लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
३० सितम्बर, १९५५

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक-सभा

शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साबरमती रेलवे यार्ड

*२४०१. **श्री डाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबरमती के यार्ड को फिर बनाने के काम में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) अब तक कुल ३० प्रतिशत ढांचा सम्बन्धी प्रगति हुई है।

(ख) १९.३९ लाख रुपये।

श्री डाभी : कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री शाहनावज खां : यह बड़ा ही विस्तृत कार्य है। इस के लिये १५०·१८ लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि कार्य की प्रगति सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होगी। कोई भी दिनांक निर्धारित करना बहुत कठिन है क्योंकि सामग्री के लिये हमें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है।

काम दिलाऊ दफ्तर

*२४०२. **श्री झूलन सिंह :** क्या श्रम मंत्री ३ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिवा राव समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को काम दिलाऊ दफ्तरों का हस्तान्तरण करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप इन दफ्तरों की व्यवस्था में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह क्या है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) तथा (ख): राज्य सरकारों को काम दिलाऊ दफ्तरों के दिन प्रति दिन के कार्यों पर और कर्मचारी रखने का प्रबन्ध, आदि सहित उन शर्तों पर, जिन के अधीन यह प्रत्यायोजन होना चाहिये, अभी राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार हो रहा है।

श्री झूलन सिंह : क्या पत्र-व्यवहार काल में पूंजीयन और रोजगार दिलाने के कार्य में कोई रुकावट हुई है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं। रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों का कार्य पूर्ववत चल रहा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह प्रश्न कब निश्चित होगा और क्या निश्चय होने के उपरान्त इन दफ्तरों को चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई धन देना पड़ेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, राज्यों से पत्र-व्यवहार हो रहा है; और स्वयं यह कार्य इस प्रकार का है कि जब तक राज्य इस हस्तान्तरण के लिये सहमत न हों और स्वयं अपने उत्तरदायित्व को न समझें, यह नहीं हो सकता । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, समिति ने सिफ़ारिश की है इस की वर्तमान अनुपात का रहना आवश्यक है; अर्थात् ६० प्रतिशत व्यय केन्द्र उठायेगा और ४० प्रतिशत राज्य ।

श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार ने कार्य के समन्वय के हित में ज़िला सैनिक, नाविक और वायु सैनिक बोर्डों, जो देश भर में प्रत्येक ज़िला में हैं, के प्रश्न पर विचार किया है, क्यों कि ये बोर्ड भी भूतपूर्वी सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के रोज़गार सम्बन्धी कार्य करते हैं ? क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है—इस कार्य को मिलाने या इन बोर्डों को रोज़गार दिलाने वाले दफ्तरों का अंग बनाने के बारे में ?

श्री खंडूभाई देसाई : यह एक नया प्रश्न है जो हमारे समक्ष रखा गया है, और निश्चय ही राज्य इस पर विचार करेंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या राज्य रोज़गार दिलाने वाले दफ्तरों को लेने के लिये तैयार हो गये हैं ?

श्री खंडूभाई देसाई : राज्यों ने रोज़गार दिलाने वाले दफ्तरों को लेना स्वीकार कर लिया है । फिर भी, वर्तमान दफ्तरों के कर्मचारियों को प्रादेशिक सेवाओं के समान बनाने के प्रश्न पर पत्र-व्यवहार और विचार हो रहा है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : किन प्रान्तों ने इस के लिये स्वीकृति दे दी है ?

श्री आबिद अली : उम्मीद है कि यह मसला लेबर मिनिस्टर्स की उस कानफरेंस में तै हो जायेगा जो नवम्बर के पहिले हफ्ते में हैदराबाद में होने वाली है । अभी कुछ प्रान्तों ने स्वीकृति तो दे दी है लेकिन उस को इस वक्त ज़ाहिर करना ज़रा अनुचित होगा ।

श्री जयपाल सिंह : इस दृष्टि से कि सारे महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों और अन्य केन्द्रों में रोज़गार दिलाने वाले सरकारी दफ्तर हैं, क्या सरकार जमशेदपुर जैसे स्थानों में काम दिलाने वाले गैर सरकारी दफ्तरों के निषेध पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही करने के लिये सुझाव हैं ।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं कुछ समय पहिले इसी प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । गैर सरकारी मालिकों से काम दिलाने वाले दफ्तरों के द्वारा आदमी भरती करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप में विचार नहीं किया गया है ।

श्री गिडवानी : विभिन्न सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले वर्तमान कर्मचारियों को रोज़गार-संरक्षण दिया जायेगा और क्या इस के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि राज्य सरकारें उन्हें नौकरी से न हटायें ?

श्री खंडूभाई देसाई : ठीक इसी प्रश्न पर तो राज्यों से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

होटल उद्योग को सहायता

***२४०३. श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६८६ के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग को सहायता देने के बारे में योजना कमीशन के परामर्श से तब से कोई अन्तिम निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा सभा टेबल पर रखा जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि पर्यटन उद्योग के लिये प्लानिंग कमीशन से कितने रुपये की मांग की गयी है, और उस म से होटल व्यवसाय को सहायता देने के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी है ?

श्री शाहनवाज खां : कुल कितनी रकम मांगी गयी है यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन होटल इंडस्ट्री के लिये दो करोड़ का मतालबा किया गया था । अभी तक प्लानिंग कमीशन इस के ऊपर कोई फैसला नहीं दे सका है, क्योंकि यह तो एक नीति की बात है, जिस का फैसला कैबिनेट करेगी कि होटल इंडस्ट्री को लोन दिया जाय या न दिया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई नियमावली तयार की गयी है जिस के आधार पर बड़े य छोटे होटलों को इस फंड से सहायता दी जायगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्वयं नीति ही निश्चित नहीं हुई है ।

श्री शाहनवाज खां : अभी तो यह सारा मसला विचाराधीन है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या विचाराधीन योजना में भारतीयों को होटल प्रबन्ध का प्रशिक्षण देने का प्रश्न सम्मिलित है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, यह उन बातों में से एक है जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ।

श्री जो० पो० सिन्हा : क्या सरकार का विचार दिल्ली में होटल तथा रेस्टौरेन्ट दरों को, जो सब से ऊंची मानी जाती ह, नियन्त्रित तथा नियमित करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं, श्रीमान् । इस का सम्बन्ध हम से नहीं है ।

श्रीमती ए० काले : क्या यह सच है कि सरकार ने उस समवाय को कुछ ऋण दिया है जो यहां युनेस्को सम्मेलन से पहिले एक होटल खोलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कल या परसों विस्तृत रूप में पूछा जा चुका है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : और इस का सम्बन्ध निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से है ।

बिना टिकट यात्रा

*२४०४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर पूर्व रेलवे पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये जो आन्दोलन आरम्भ किया गया था उस में शिथिलता आ गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी, नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि इस आन्दोलन के लिये जो दंड अधिकारी नियुक्त किये गये थे वे अभी तक अस्थायी हैं और इसलिये वे इस मामले में कोई रुचि नहीं लेते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि रेलवे दंड अधिकारी जो रेलों पर काम कर रहे हैं अभी स्थायी नहीं बनाये गये हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि वे कोई रुचि नहीं ले रहे हैं । इस के विपरीत मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि वास्तव में रेलवे दंड अधिकारी बिना टिकट यात्रा को रोकने में बहुत ही लाभदायिक कार्य कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि पिछला प्रभावी आन्दोलन फरवरी-मार्च में था; इस का बहुत अच्छा परिणाम

हुआ परन्तु उस के बाद यह शिथिल हो गया है ?

श्री शाहनवाज खां : इस वर्ष जनवरी या फरवरी में रेलवे दंड अधिकारियों के द्वारा एक आन्दोलन चलाया गया था। यह बहुत ही प्रभावी था तथा मैं कह सकता हूं कि काम हो रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस दृष्टि से कि इस रेलवे में, यहां ही नहीं बल्कि समाचार पत्रों में और अन्यत्र सारे सामान्य त्रुटियां व अवगुण बताये जाते हैं क्या सरकार का विचार उत्तर-पूर्व रेलवे के संचालन की जांच के लिये आयोग नियुक्त करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : प्रश्न का सम्बन्ध बिना टिकट यात्रा से है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि बिना टिकट चलने वालों में रेलवे कर्मचारियों और पुलिस वालों की संख्या ज्यादा है ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है। लेकिन अगर कोई रेलवे का कर्मचारी या पुलिस का सिपाही या अफसर पकड़ा जाता है तो उस के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाती और न उस पर कोई रहम किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आय-व्ययक के समय की विषयसूची में एक विषय यह भी है ।

निर्ज्ञात-पत्र कार्यालय

*२४०५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन पत्रों पर बंगला में पता लिखा होता है वे प्रायः पश्चिम बंगाल के निर्ज्ञात पत्रालय को वापस भेजे जाते हैं ताकि वे वहां से अंग्रेजी पता लिखने के पश्चात् दिल्ली में पाने वालों तक पहुचाने के लिये वापस भेज दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो पत्रों को समय पर पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। पत्रों पर बंगला में लिखे पते को अंग्रेजी में लिखने का प्रबन्ध स्वयं दिल्ली में है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने भाग (क) का उत्तर नकारात्मक दिया था। क्या यह सच नहीं है कि स्वयं मैं ने दो तीन पत्रों के बारे में विभाग से कहा था ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि विभाग के कुछ अधिकारी थोड़े समय के लिये, अर्थात् एक या दो घंटा प्रति दिन, दिल्ली कार्यालय में इन पत्रों की लिप्यन्तरण के लिये रखे जा ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न के उत्तर में मैं ने जो कहा है वह नियम है। सम्भव है कुछ अपवाद हुए हों और यह भी सम्भव है कि वे मेरे माननीय मित्र के साथ हुए हों । मुझे इन के लिये खेद है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि जब कभी ऐसा हो वह कृपा कर के उन की मुझे सूचना दें । मैं ने यह भी बताया है कि लिप्यन्तरण केन्द्र भी है, और जब भी किसी पत्र पर पता ऐसी भाषा में लिखा होता है जो उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा नहीं है, वह वहां भेज दिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या प्रादेशिक डाकघरों को ये अनुदेश दिये गये हैं कि यदि दूर के स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों के पत्रों के पते उस भाषा में लिखे हों, जो वहां की

प्रादेशिक भाषा नहीं है, तो पते अंग्रेजी में लिख दिये जायें ?

श्री राज बहादुर : जी, हां। मैं माननीय सदस्य का ध्यान डी० जी० ओ० की दिनांक १६ नवम्बर, १९५३ की गश्ती चिट्ठी की ओर आकर्षित करता हूं। आरम्भ में, सम्बद्ध डाकघर का क्लर्क या सम्बद्ध आर० एम० एस० का क्लर्क इन पत्रों के पतों को इंगलिश में लिखता है। यदि वह वह भाषा नहीं जानता है जिस में पत्र पर पता लिखा है, तो वह उसे समीपतम लिप्यन्तरण केन्द्र को भेज देता है। इस बात के कड़े अनुदेश दे दिये गये हैं कि ऐसे पत्र निर्गति पत्रालय न भेजे जायें।

श्री बी० के० दास : क्या मैं यह समझूं कि पते की लिपि चाहे जो हो, उस का अंग्रेजी या हिन्दी में लिप्यन्तरण कर दिया जाता है और फिर वे यहां दिल्ली में पाने वालों के पास पहुंचा दिये जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं। यह उस प्रदेश पर निर्भर है जहां से वह भेजा जाता है। मान लीजिये कि किसी पत्र पर तेलगू में पता लिखा है और उसे दिल्ली आना है, तो वह पत्र समीपतम लिप्यन्तरण केन्द्र को भेज दिया जाता है।

स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद्

*२४०६. **श्री गिडवानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) २३ से २९ जून १९५५ तक शिमला में हुई स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद में क्या क्या निश्चय किये गये; और

(ख) इन निश्चयों की कार्यान्विति की देखरेख के लिये आरम्भ होने वाली प्रस्तावित संस्था का रूप क्या होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) २३ से २५ जून १९५५ तक शिमला में हुई स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् की प्रथम बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद की एक कार्यपालिका समिति बनाने के बारे में आदेशों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिय परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हू कि गन्दी बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; तथा क्या संविधान के संशोधित अनुच्छेद ३१ के अधीन राज्य सरकारों ने प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने वाले अथवा गन्दी बस्तियों अथवा अन्य क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिये, प्रतिकर निश्चित करने के सिद्धान्तों सम्बन्धी किसी उपयुक्त विधान को पारित किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं प्रश्न को पूर्णतया नहीं समझी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुस्तकालय में किसी पुस्तक में ये निर्णय प्राप्य हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यवाही इस समय छप रही है तथा जभी वह छप जायगी उस की एक प्रतिलिपि लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि गन्दी बस्तियों की सफ़ाई के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह निर्णय का प्रश्न नहीं है; गन्दी बस्तियों की सफाई के

विषय पर विस्तृत चर्चा हुई थी कि क्या हमें गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये अथवा सफाई आदि के लिये विभिन्न राज्यों को सहायता देनी चाहिये। स पर योजना आयोग से बातचीत हो रही है तथा हमने राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी है जिस के प्राप्य होने के पश्चात् इस प्रश्न पर कार्यपालिका समिति में चर्चा की जायेगी।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार को यह विदित है कि संविधान के नये संशोधित अनुच्छेद के अधीन गन्दे क्षेत्रों अथवा अन्य भूमियों की सफाई के सम्बन्ध में क्या किसी राज्य सरकार ने कोई विधान पारित किया है क्योंकि प्रतिकर निर्धारित करना है तथा बहुत से राज्यों में भूमि लेने तथा गन्दी बस्तियों की सफाई में यही बड़ी अड़चन थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता है। शिमला सम्मेलन में किये गये निर्णय तथा इस सम्बन्ध में कई राज्य सरकारों ने जो कुछ किया है, वह इस प्रश्न का विषय नहीं है।

श्री हेम राज : इस विचार से कि बहुत से राज्य ज़िला बोर्डों को समाप्त कर रहे हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन ने कोई निर्णय किया है कि उन्हें पंचायत तथा सरकार में किसी मध्यवर्ती संस्था की स्थापन की नीति को अपनाना चाहिये ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : स्थानीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के बीच एक मध्यवर्ती संस्था बनाने का निर्णय केवल अधीक्षण कार्य के लिये नहीं अपितु अपने प्रबन्ध के लिये अपेक्षित धन को इकट्ठा करने के लिये भी किया गया था। ज़िला बोर्डों की समाप्ति से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हम ने राज्य सरकारों को कोई सूचना नहीं भेजी है।

श्री एस० एन० दास : इस परिषद् ने केन्द्रीय सरकार को किन विषयों का निदेश किया है तथा क्या मैं जान सकता हूं कि क्या परिषद् ने उन विषयों पर विचार किया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कौन सी परिषद् ने ? क्या उन का तात्पर्य कार्यपालिका समिति से है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानीय स्वशासन सम्बंधी केन्द्रीय परिषद् नें।

श्रीमती चन्द्रशेखर : संकल्पों की एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रख दी गई है तथा उस से इस वर्ष शिमला सम्मेलन में विवादित सभी बातों का स्पष्ट रूप से पता लग जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक सभा में निर्णय नहीं रखे गये हैं। माननीय सदस्य कुछ समय प्रतीक्षा करें तथा उस के पश्चात् यदि आवश्यकता हो तो और प्रश्न कर सकते हैं।

बरबील की रेलवे साईडिंग

*२४०८. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरबील (उड़ीसा) की मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी की ग़ैर-सरकारी सहायता प्राप्त साईडिंग को अपने हाथ में ले लेने तथा उसे उसी क्षेत्र के सभी खान मालिकों में, बराबर बांट देने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). जी हां। ग़ैर-सरकारी साइडिंग को सरकार नहीं ले सकती है। बरबील (उड़ीसा) की बर्ड एण्ड कम्पनी से सहायता प्राप्त साईडिंग

के सम्बन्ध में यह है कि इस को कुछ शर्तों पर जिन के सम्भव परिणामों की जांच की जा रही है, के अधीन लिया जा सकता है ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कानूनी तथा संविधानिक बातों की जांच कर ली है तथा यह मालम किया है कि वे ग़ैर-सरकारी साइडिंग को सार्वजनिक कार्यों के लिये लेने में असमर्थ हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, स्थित यही है ।

श्री आर० एन० एस० देव : म जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि भार लादने की सुविधाओं के न होन से खिनज पदार्थों का माल जमा होता जा रहा है तथा इस से खान क्षेत्र में श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में निकाला जायगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । कुछ पक्षों ने रेलवे मंत्रालय तक पहुच की थी कि नई साइडिंग बनाई जाय । ठाकुर रानी साइडिंग ले ली जाये परन्तु वह साइडिंग "बर्ड एण्ड कम्पनी" की गैर-सरकारी साइडिंग थी । एक सम्बन्धित दल को, सम्बन्धित व्यक्तियों के समझौते अथवा सहमति के पत्र को भी प्रस्तुत करना था परन्तु वे उस पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाये । उस के न मिलने के कारण, हम अगली कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । स्थिति इस प्रकार है ।

श्री आर० एन० एस० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि यह गैर-सरकारी साइडिंग कब बनाई गई थी, इस की लम्बाई तथा भारशक्ति कितनी है तथा भूतपूर्व सरकार ने किन रियायतों के कारण यह समवाय को दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बधित नहीं है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस को लिया जा सकता है अथवा नहीं तथा यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जयपाल सिंह : इस विशेष सार्थ के द्वारा एकाधिकृत नीति अपनाई जान के आधार पर, लगभग ५०,००० व्यक्ति बेकार हो गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इस साथ को समान आधार पर प्रत्येक के उपयोग के लिये बाध्य करे ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि में स्पष्ट कर चुका हूं, दो प्रकार की साइडिंग होती हैं : एक गैर-सरकारी साइडिंग तथा दूसरी सहायता प्राप्त साइडिंग । वर्तमान विधि तथा नियमों के अधीन हम गैर-सरकारी साइडिंग को नहीं ले सकते हैं। सरकार सहायता प्राप्त साइडिंग को कुछ शर्तों पर ले सकती है। यह स्थिति है तथा जहां जनता के हित में सहायता प्राप्त साईडिंग को लेना आवश्यक होगा हम ऐसा ही करेंगे । विषय की जांच की जा रही है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संविधान में कुछ दिन पूर्व किये गये संशोधन इस विशिष्ट सार्थ पर लागू नहीं होते हैं अथवा सार्थ संविधान से ऊपर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संभवत: सरकार ने इस की उस प्रकार भी जांच कर ली है ।

श्री जयपाल सिंह : उन का कहना है कि वे उस को नहीं ले सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब हमें संविधान का वैधानिक निर्वचन करना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । उस समझौते में खण्ड २१ है जिस के अधीन सरकार को साइडिंग लेन से तथा उसे सार्वजनिक बनाने से नहीं रोका जा सकता है । परन्तु यदि दोनों पक्षों में झगड़ा

है तब हमें इस समस्त को न्यायाधिकरण को सौंपना होगा तथा हम यह तरीका अपना सकते हैं ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि इन गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त साइडिंग को लेने के लिये सरकारी कठिनाइयों के आधार पर क्या सरकार एक सार्वजनिक साइडिंग की व्यवस्था करने का विचार कर रही है जिस से कठिनाई दूर हो सके ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम इस पर विचार करेंगे ।

भारत-ईराक़ विमान सेवा

*२४०९. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या जुलाई १९५५ में भारत तथा इराक दोनों सरकारों के बीच, वैमानिक परिवहन पर हस्ताक्षरित करार के अनुसार इन देशों के बीच विमान सेवा नियमित रूप से शुरू हो गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): जी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दोनों सरकारों में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है जिस के आधार पर, हम यह जान सकें कि इन दोनों देशों में यह विमान सेवा कब तक शुरू होने की संभावना है ?

श्री राज बहादुर : बहुत समय पहले २८ जलाई १९५५ को बगदाद में करार पर हस्ताक्षर हुए थे । अनुसमर्थन के लिखित का अभी परस्पर विनिमय नहीं हुआ है तथा यह शीघ्र ही किया जायेगा । इस समय एयर इंडिया इंटरनेशनल की ईराक़ में नियमित 'हाल्ट' (ठहराव) की नियमित सेवा के शिरू करने का विचार नहीं है ।

हैदराबाद स्थित सोने की खानें

*२४१०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सौमनस्य अधिकारी (केन्द्रीय) सिकन्दराबाद से हैदराबाद स्थित सोने की खानों के प्रबन्धकों द्वारा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ मजूरों की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा करने से इनकार कर देने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा और कौन से अग्रेतर उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सौमनस्य विफल हो गया है, मजूरों की मांगों को न्यायनिर्णयन के लिये भेजने का विचार करती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). सौमनस्य अधिकारी (केन्द्रीय) सिकन्दराबाद से एक रिपोर्ट दिनां २४ जून १९५५ प्राप्त हुई थी । सौमनस्य कार्यवाही के दौरान में समवाय ने कहा कि वह एक अन्य संघ हट्टी गोल्ड माइंस कामगार संघ को मान्यता दे चुका है जो कि उन के अनुसार ऐसा एकमात्र प्रतिनिधि निकाय था जो कि मजूरों की ओर से बोलने का अधिकार रखता था और इसलिय वह हैदराबाद गोल्ड माइंस लेबर यूनियन से वार्ता करने में असमर्थ थे । जुलाई १९५५ में सौमनस्य अधिकारी (केन्द्रीय) सिकन्दराबाद, ने फिर सघ की मांगों पर उभय पक्षों से पृथक-पृथक बातचीत की और यूनियन से प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में अपने मामले का पूर्ण विवरण देने को कहा । अभी तक यूनियन द्वारा इस की पूर्ति नहीं की गई है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जवाब मे कहा गया है कि दूसरी यूनियन प्रतिनिधिक थी । सोने की खानों में काम करने वाली इन

दोनों यूनियनों की सदस्य संख्या कितनी है और क्या सौमनस्य अधिकारी ने दोनों यूनियनों की सदस्य संख्या का सत्यापन किया है ?

श्री आबिद अली : सौमनस्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार, दूसरी यूनियन प्रतिनिधिक थी और प्रबन्धकों ने उस को मान्यता प्रदान कर दी थी । जहां तक मान्यता का प्रश्न है, यह तो मालिकों और कर्मचारियों के बीच का प्रश्न है । प्रश्न के दूसरे भाग का जहां तक सम्बन्ध है, उस संगठन ने, जिस से कि वह यूनियन सम्बन्धित है, गत वर्ष के अपने नक़शे समय के भीतर सत्यापन के लिये नहीं भेजे थे । उस ने ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के नक़शे भेजे हैं और उन का सत्यापन किया जा रहा है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सोने की खानों में मजूरी न तो न्यायाधिकरण द्वारा और न मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, क्या सरकार मजूरों की मांगें न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने का विचार करती है जैसा कि उस ने कोलार गोल्ड माइंस के मजूरों के सम्बन्ध में किया है ?

श्री आबिद अली : अपने उत्तर के पिछले भाग में मैं ने कहा है कि यूनियन स्वयं अपनी मांगों का ब्यौरा प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है । यह मामला इतना सरल नहीं है जितना कि जान पड़ता है । इस के पीछे ताला बन्दियों, हड़तालों, हिंसात्मक कार्यों और राजनीतिक दलों द्वारा मजूरों के विदोहन का बहुत बड़ा इतिहास है ।

श्री राघवैया : यूनियन को मान्यता देने की प्रबन्धकों की कसौटी क्या है ? क्या इस का आधार केवल वार्षिक नक़शे हैं या और कोई बात है ?

श्री आबिद अली : वार्षिक नक़शे नहीं वरन् मजूरों का सहयोग इस की कसौटी है । मालिकों के अनुसार स्वयं मजूरों ने उस यूनियन को अपनाने से इंकार कर दिया है ।

श्री राघवैया : मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि दूसरी यूनियन के मजूरों के पीछे हड़तालों तथा अन्य बातों का एक इतिहास है । क्या मजूरों द्वारा अपनी मांगें पूरी कराने के लिये की गई यह हड़तालें तथा अन्य संघर्ष असंवैधानिक हैं और क्या प्रबन्धकों द्वारा उस यूनियन को मान्यता न दिये जाने का यही कारण है ? यदि यही कारण है, तो इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री आबिद अली : इस विशेष मामले में मजूरों को असंवैधानिक तरीक़े काम में लाने के लिये भी विवश किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या २४१३ ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : एक और प्रश्न संख्या २४४६ है जिसे इस प्रश्न के साथ लिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया जा सकता है ।

रेलों पर वस्तुयें बेचने के ठेके

***२४१३. ठाकुर युगल किशोर सिंह** क्या रेलवे मंत्री १४ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रय ठेकों के सम्बन्ध में सहकारी समितियों को कोई अवसर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उस का क्या परिणाम हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). अक्तूबर १९४९ से उत्तर रेलवे के दो स्टेशनों पर कुछ वस्तुओं के विक्रय ठेके सहकारी समितियों को दिये गये हैं और वह इस काम को कर रही हैं। इन संविदाओं के सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सहकारी समितियां और ठेकेदार

***२४४६. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १४ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संभरण की गई वस्तुओं के मूल्य और क़िस्म के सम्बन्ध में सहकारी समितियों और ठेकेदारों के कार्य संचालन और प्रबन्ध का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या सरकार सहकारी समितियों की सेवाओं में सुधार करने की प्रस्थापना करती है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां।

(ख) तथा (ग). जहां भी आवश्यक हो सुधार करने के लिये विशिष्ट करार की शर्तों के अनुसार रेलवे इन समितियों की वैसे ही देखरेख करती है जैसे कि अन्य ठेकेदारों की करती है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या कोआपरेटिव सोसायटी के बारे में कोई जांच हुई है, और हुई है, तो उस का नतीजा क्या निकला ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, बहुत गहरी जांच पड़ताल हुई है। ग़ाज़ियाबाद में जो कोआपरेटिव सोसायटी है उस में तो आपस में काफ़ी झगड़ा फ़साद हुआ और भूख हड़ताल भी हुई। जो वहां की सोसायटी के मेम्बर्स हैं उन में पार्टियां बन गईं और उन की आपस में मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : भविष्य में इस प्रकार की कोआपरेटिव सोसायटियों की ज्यादा उपयोगिता के लिये या उन के काम के सुधार के लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : आनरेबुल सदस्य को मालूम होगा कि थोड़ा ही अर्सा हुआ जब कि एक अलगेशन कमेटी के नाम से हाई पावर कमेटी मुक़र्रर की गई थी। उस कमेटी ने इस मसले पर काफ़ी गहरे तौर पर जांच पड़ताल की थी और उस पर खूब विचार किया था। वह इस नतीजे पर पहुंची थी कि रेलवे के भीतर वेन्डिग या केटरिंग के ठेके जो हैं उन को कोआपरेटिव सोसायटीज़ को देने के लिये कोई ख़ास क़ायदा नहीं निकल सकता।

श्री बी० एस० मूर्ति : उन स्थानों में, जहां यह समझा जाता है कि सहकारी समितियां विक्रेताओं के हित में काम नहीं कर रही हैं, ठेके की अनुज्ञप्तियां वास्तविक विक्रेताओं को क्यों नहीं दी जाती हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जिस वक्त इस बात की जरूरत महसूस हुई.....

श्री बी० एस० मूर्ति : अंगरेजी में बोलिये।

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं ने बताया है खुर्जा में सहकारी समितियों का कार्य बहुत असंतोषजनक है। उन को अनेक बार चेतावनी दी गई है। काम खराब होता जा रहा है और जब एक सीमा पहुंच जायेगी तो हो सकता है कि ठेके को रद्द कर देना आवश्यक हो और वह उपाय करना पड़े जिन के सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर कंट्रेक्टर्स वेन्डर्स को मुक़र्रर करते हैं, रेलवे की तरफ़ से क्या यह शर्त उन के लिये है कि वह वेन्डर्स को कमीशन बेसिस पर या तन्ख्वाह पर काम देंगे ? और यदि है, तो जो कंट्रैक्टर्स रूल को तोड़ते हुए पाये गये हैं, उन के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अगर आनरेबुल सदस्य का मतलब सबलेटिंग से है तो सबलेटिंग रेलवे के क़ानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और अगर कोई ठेकेदार अपने ठेके को सबलेट करता है तो वह एक जुर्म करता है और अगर यह चीज़ रेलवे को मालूम हो जाय और साबित हो जाय तो न सिर्फ़ उस का वह ठेका बल्कि उस के रेलवे के जितने ठेके हैं उन तमाम को कैंसिल कर दिया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि बहुत सी जगहों पर ईश्वरदास वल्लभदास के वेन्डर्स इस तरह पर चलते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य के कहने से ही तो यह साबित नहीं हो जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने जांच की है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : जांच की है, लेकिन क्या आप ने कभी हमें मामला दिया या यह साबित करने की कोशिश की । पहले आप इस चीज़ को बतलायें फिर अगर वह मामला साबित हो जाता है तो उन को भी हटना पड़ेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या वल्लभ-दास.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम सहकारी समितियों के विषय से अलग जा रहे हैं । क्या वल्लभदास एक सहकारी समिति है ? हम एक विषय से दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया कि जो कोई शिकमी उठाने का अपराधी पाया जायेगा उस को दण्ड दिया जायेगा....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता है ।

पर्यटन सूचनालय केन्द्र

*२४१४. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में एक पर्यटन सूचनालय केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो अब यह प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां ।

(ख) पर्यटक स्वागत तथा सूचना अधिकारी के अन्तर्गत एक छोटा सा कार्यालय खोलने का विचार है । संघ लोक सेवा आयोग अधिकारी का चुनाव कर रहा है ।

श्री संगण्णा : इस केन्द्र के खोलने के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : भुवनेश्वर ।

श्री संगण्णा : किसी स्थान में पर्यटन सूचनालय खोले जाने के लिये उस में कौन-कौन सी विशेषतायें होनी चाहियें ?

श्री शाहनवाज़ खां : वह पर्यटकों के लिये बहुत दिलचस्पी का स्थान होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : जैसे कि दिल्ली ।

उद्योग के भीतर प्रशिक्षण

*२४१५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "उद्योग के भीतर प्रशिक्षण" के सम्बन्ध में श्री क्लिफोर्ड के जाने के बाद क्या कोई काम हो रहा है;

(ख) श्री क्लिफोर्ड ने किन किन उद्योगों में इस प्रणाली को आरम्भ करने की सिफारिश की थी; और

(ग) इस प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) श्री फी एवं एक और विदेशी विशेषज्ञ श्री पियर्सन अभी भारत में ही हैं और "उद्योग के भीतर शिक्षा" योजना का काम हो रहा है ।

(ख) इन विशेषज्ञों की यह सलाह है कि लोहा, तार और इंजन बनाने वाले भारी इंजिनियरिंग उद्योगों में यह योजना चलाई जाय ।

(ग) इस योजना का ध्येय नीचे और बीच के देखरेख करने वाले कर्मचारियों की कार्य-प्रवीणता को बढ़ाना है ।

श्री के० सी० सोधिया : कौन कौन सी जगहों पर यह प्रशिक्षण बढ़ाया गया है ?

श्री आबिद अली : यह प्रशिक्षण टैक्स्टाइल, सीमेन्ट और कई दूसरे उद्योगों में जो कि बम्बई, नागपुर, दिल्ली जैसे कई स्थानों में हैं, काफ़ी बढ़ा है ।

श्री के० सी० सोधिया : कितने आदमियों ने इस का उपयोग किया है ?

श्री आबिद अली : जसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो नीचे और बीच के कर्मचारी हैं उन को इन में सिखाया जाता है, और उन की मार्फ़त उद्योग में तरक्की की कोशिश हो रही है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस के कोई आंकड़े रखे जाते हैं कि कितने आदमियों को सिखाया जाता है ?

श्री आबिद अली : उन का नम्बर तो अगर मेंम्बर साहब नोटिस देंगे तो पेश कर दिया जायेगा, लेकिन जहां तक इन्डस्ट्री का ताल्लुक़ है, उस के बारे में मैं कह सकता हूं कि अहमदाबाद में काफ़ी काम हुआ है और इस लिये पहले उस को एक साल के लिये, फिर दुबारा एक साल के लिये और अब फिर एक साल के लिये और बढ़ाया गया है ।

पशु विकास

*२४१६. **श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बिहार सरकार को १९५५–५६ म पशु विकास के लिये १,०५,००० रुपये की कोई राजकीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) क्या यह अनुदान किन्हीं शर्तों के अन्तर्गत दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १२**]

श्री राधा रमण : क्या संघ सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसी ही राजकीय सहायता की मांगें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह योजना सारे भारत में चल रही है । हमारे कुछ नियम हैं जिन के अनुसार राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संस्थायें राजकीय सहायता तथा

अन्य रियायतें पाने के हक़दार हैं । जो भी इस की मांग करता है उसे उन नियमों के अनुसार समान रूप से सहायता दी जाती है ।

श्री राधा रमण : दिल्ली राज्य के पशुओं की हीन दशा का विचार करते हुए, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या दिल्ली राज्य की ओर से भी विकास सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त हुई है और क्या संघ सरकार द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति. शान्ति । हम ने बिहार राज्य से आरम्भ किया उस के बाद दिल्ली पर आये और अब दिल्ली के बाद मद्रास और मद्रास के बाद बम्बई पर आ जायेंगे । माननीय सदस्य को चाहिये कि एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे कर यह जानकारी मांगें । उस के बाद, यदि वह किसी प्रश्न विशेष में दिलचस्पी रखते हों और जिस के सम्बन्ध में सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछा जाना आवश्यक हो तो, तो वह उस को पूछ सकते हैं । मैं इस प्रकार सभा का समय नष्ट नहीं होने दे सकता हूं ।

डा० रामा राव : इस अनुदान का एक प्रयोजन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना है । बिहार में कितने केन्द्र खोले गये हैं या खोले जाने वाले हैं, और कहां ?

डा० पी० एस० देशमुख : बिहार की एक सूची मेरे पास है । उन के नाम हैं, शिकारपुर हूरा, दरभंगा, पूसा, शकरा, बरबीघा, भागलपुर एकगा सराय.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री यदि सारे नाम पढ़ कर सुना भी दें तो मेरी तरह माननीय सदस्य भी कुछ नहीं समझ सकते हैं । उन की संख्या कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बारह ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उन में से कितनें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख: वह सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार की ओर से पशुओं के विकास के लिये जो डेसी फ़ार्म बिहार में खोले गये हैं क्या उन में से एक भी डेरी फ़ार्म मुनाफ़े पर चलती है या सब के सब घाटे पर चलते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सवाल डेरी फ़ार्मों की निस्बत नहीं है, यह आर्टीफ़िशल इनसेमिनेशन के लिये है ।

श्री जनार्दन रेड्डी : कैटिल डेवलपमेण्ट के लिये कौन सी नसलों पर ज़ोर दिया जाता है ? क्या देउनी की नस्ल, जो कि मुल्क की बेहतरीन नस्ल है, वह भी इस में शामिल है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह भी इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री जयपाल सिंह : दक्षिण बिहार में कोई पशुअभिजनन फ़ार्म क्यों नहीं है । सूची जहां तक कि पढ़ कर सुनाई गई थी केवल उत्तर बिहार के सम्बन्ध में थी ।

डा० पी० एस० देशमुख : पहले तो यह कोई पशुअभिजनन कार्यक्रम नहीं है । यह कृत्रिम गर्भाधान और मूल ग्राम केन्द्रों के सम्बन्ध में है । हम राज्य सरकारों की प्रस्थापनायें स्वीकार करते हैं । स्थानों का निर्णय हम नहीं करते हैं ।

परिवार आयोजन

*२४१८. **श्री के० के० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार परिवार आयोजन के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को, जिन में गर्भनिरोधक उपाय भी सम्मिलित हैं, प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में इस प्रयोजन के लिये कितना रुपया खर्च किया गया;

(ग) सरकार द्वारा, इस प्रयोजन के लिये, कौन सा संगठन स्थापित किया गया है, यदि कोई किया गया हो तो; और

(घ) अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सरकार वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देती है । परन्तु जहां तक गर्भ-निरोधक उपायों का सम्बन्ध है सरकार ने उन के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया है यद्यपि उन के सम्बन्ध में कुछ गवेषणा कार्य किया जा रहा है ।

(ख)

१९५४-५५	६,९८,८८९ रुपये
१९५३-५४ } १९५२-५३ }	कुछ नहीं ।

(ग) और (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १३]**

श्री के० के० दास : ऐच्छिक संगठनों के वित्तीय सहायता दिये जाने सम्बन्धी कितने आवेदन पत्रों को अब तक निपटाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : लगभग ३९ आवेदन पत्रों को, और कुछ और स्वतंत्र गवेषणा योजनाओं के लिये भी, जिन की संख्या लगभग ५० होगी, वित्तीय सहायता दी गई है ।

डा० रामा राव : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया सरकार गर्भनिरोधक उपायों के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं करती है । सरकार ने देखा है कि मदनतरंग प्रणाली पर आधारित दिल्ली के परिवार आयोजन केन्द्र असफल साबित हुए और लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके हैं । उपयुक्त मामलों में भी सरकार शल्य चिकित्सा को प्रोत्साहन नहीं दे रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो भाषण दे रहे हैं । प्रश्न क्या है ?

डा० रामा राव : इन तीन को छोड़ कर सरकार और क्या कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मदनतरंग प्रणाली के असफल होने के सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कह सकती हूं क्योंकि दो केन्द्रों का जो कि इस कार्य को कर रहे थे, अध्ययन हम ने अभी अभी समाप्त किया है और परिणामों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । उस समय तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं । गर्भनिरोधक उपायों का जहां तक सम्बन्ध है, कुछ परिवार आयोजन केन्द्र उन का प्रयोग कर रहे हैं । मैंने जो कुछ कहा था उस का तात्पर्य यह था कि बिना मूल्य उन को दे कर हम ने उस के सार्वजनिक उपयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि उस परिवार आयोजन का मुख्य परामर्शदाता कौन है जो कि इस माल्थूसियन जैसे मूर्खतापूर्ण सिद्धान्त पर आधारित है कि समस्त सामाजिक दोषों का कारण उन्मुक्त और निर्विरोध बहुफलता है और यह मुख्य परामर्शदाता सरकार से कितना रुपया पा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : कोई मुख्य परामर्श-दाता नहीं है । स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय का एक उपमहानिदेशक ही इस कार्य का प्रभारी है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि वह परिवार आयोजन केन्द्र, जहां कि गर्भनिरोधक उपाय काम में लाये जा रहे हैं, न केवल नगरीय क्षेत्रों में वरन् ग्रामीण

क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जिस गति से जन सख्या बढ़ रही है जब तक एक बड़े पैमाने पर परिवार आयोजन न किया गया तो देश में कोई उन्नति नहीं हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने तो भाषण दे डाला ।

युवक कृषक क्लब

*२४१९. **श्रीमती जयश्री** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में अमरीका गये हुए भारतीय कृषक युवकों के वापिस लौटने के समय से आज तक कितने युवक कृषक (४-एच.) क्लब प्रारम्भ किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : भारत सरकार ने अभी तक कोई भी ४-एच. क्लब प्रारम्भ नहीं किया है । ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अमरीका से वापिस आये हुए कृषक युवकों ने विभिन्न राज्यों में लगभग २०० युवक कृषक क्लब प्रारम्भ किये हैं । कई एक राज्य सरकारों ने भी युवक क्लब स्थापित किये हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रारम्भ में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के अन्तर्गत कृषक युवक क्लब संगठित करने की एक योजना तैयार की गई है ।

श्रीमती जयश्री : क्या अन्य देशों के युवक कृषक भी कभी भारत पधारे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । अमरीका से भारत को और भारत से अमरीका को युवक कृषकों के विनिमय का एक नियमित कार्यक्रम है ।

श्री एस० एन० दास : ऐसे कृषकों की कुल संख्या कितनी है जो अभी तक इन क्लबों के सदस्य बन चके हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं संख्या नहीं बता सकता हूं । मैं क्लबों की संख्या पहले ही बता चुका हूं ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : आन्ध्र राज्य म ऐसे कितने क्लब प्रारम्भ किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इन क्लबों की स्थापना में कोई प्रत्यक्ष रुचि नहीं ली है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा ऐसा करने का विचार है, और इसलिये, यह तो एक प्रकार से ग़ैर-सरकारी कार्यवाही है, सिवाये उन स्थानों के जहां कि राज्य सरकारों ने इस कार्य में कोई रुचि ली है । इसलिये मेरे पास इस का ब्योरा नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या सरकार इन ४-एच. क्लबों को कोई सहायता देने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय तो नहीं । हम यह विचार करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस के लिये क्या किया जा सकता है ।

श्री जनादन रेड्डी : क्या मैं इन क्लबों की गतिविधियों को जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस का प्रमुख कार्य नवयुवकों में खेती बाड़ी में रुचि उत्पन्न करना और अच्छे उपायों को लागू करना और उन्हें उत्तम कृषि उपायों से परिचित कराना है ।

वृद्ध व्यक्तियों को निवृत्ति-वेतन

*२४२०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्ध व्यक्तियों को समाज सुरक्षा कार्यवाही के रूप में निवृत्ति-वेतन देने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में इस कार्य को प्रारम्भ करने की प्रस्थापना नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि विभिन्न प्रदेशों में जमींदारी एबालीशन के बाद जो बहुत से आदमी जमींदारों के आश्रित रहा करते थे, अब बुढ़ापे में उन को कोई पूछने वाला नहीं है ? क्या सरकार उन को खाना देने के लिये कोई इन्तिजाम करेगी ?

श्री आबिद अली : जहां तक उद्योगों में लगे हुए कामगरों का सम्बन्ध है उन के लिये कहीं कहीं ग्रेचुइटी की स्कीम है कहीं प्रावीडेंट फंड की स्कीम है । उस को हम काफी बढ़ा रहे हैं । जहां तक गांवों का सम्बन्ध है, यह तो आम मसला है और इस को तो राज्य सरकारें ही संभाल सकती हैं ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार को पता होना चाहिये कि गांवों में बहुत से भूमिहीन हैं और उन के बूढ़े आदमियों को कोई पूछने वाला और सहायता देने वाला नहीं है । क्या. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार उन के लिये कोई इन्तिजाम करेगी ?

श्री आबिद अली : उन के पास जमीन तो है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह राज्य सरकारों का कार्य है । माननीय सदस्य यह तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसे क्यों न प्रारम्भ किया गया । कोई भी व्यक्ति इस की आवश्यकता से इनकार नहीं करता है । परन्तु यह तो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार हैं । उत्तर प्राप्त करने के स्थान पर जानकारी देने से कोई लाभ नहीं है । यह तो सभा का समय व्यर्थ में गंवाना है ।

श्री विभति मिश्र : क्या केन्द्रीय सरकार इस के लिये कोई आदेश दे रही है कि राज्य सरकारें इस काम को करें ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस से पूर्व, भिक्षुक समस्या को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में लिया जायेगा और भिक्षुकों में से जो वृद्ध हैं उन को विशेष अधिमान दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है ।

अयस्कों का परिवहन

*२४२१. **श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में रेलवे कलकत्ता-पत्तन को अयस्कों की अनुमानतः कितनी मात्रा ले जा सकगी; और

(ख) क्या रेलवे अयस्क यातायात के लिये और अधिक डिब्बे प्रदान करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) ऐसी संभावना है कि १९५६ में कलकत्ता-पत्तन को लगभग दस लाख टन अयस्क ले जाये जा सकेंगे ।

नौवहन कर्मचारी

*२४२३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जहाज़ों पर काम करने वाले अनुभवी पदाधिकारी सदैव तट पर सेवा करने के लिये उत्सुक रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका क्या उपचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रीमान्, यह बात हमारी जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कनौज में तम्बाकू-गवेषणा केन्द्र

*२४२४. **श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिगरेटों के तम्बाकु की किस्म को सुधारने के लिये उत्तर प्रदेश स्थित कन्नौज में एक गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर लगभग कितना खर्च किया जायेगा; और

(ग) इस खर्च को कौन वहन करेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रेल गाड़ियों में स्थान

*२४२५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १ जुलाई, १९५५ को वाणिज्य मण्डल, तेजपुर ने तेजपुर-रंगिया रेल गाड़ी में, लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों और विशेषकर तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये स्थान की कमी के बारे में शिकायत की है; और

(ख) इस के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) १-१०-१९५५ से अमीनगांव तक आने वाली तथा वहां जाने वाली ३०५ अप तथा ३०६ डाऊन उत्तर बैंक एक्सप्रेस गाड़ियों के विस्तार किये जाने पर, तेजपुर और मनिहारी घाट के बीच मिलान करने वाली गाड़ियों में दो तृतीय श्रेणी के डिब्बे और एक प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी का मिला जुला डिब्बा चलाने की प्रस्थापना की गई है।

इस के परिणाम स्वरूप रंगिया-तेजपुर विभाग में लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये तृतीय श्रेणी में पर्याप्त स्थान बढ़ जायेगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या इस का यह अर्थ है कि तेजपुर से मनिहारी घाट को जाने वाली उत्तर बैंक एक्सप्रेस, जिस का रेलवे मंत्री ने स्वयं उदघाटन किया था, अब समाप्त कर दी जायेगी और अब यह अमीनगांव से मनिहारी घाट तक ही चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि दो और बोगियां चलाई जायेंगी।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं, परन्तु माननीय सदस्य का अनुमान सत्य प्रतीत होता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: मैं अनुमान के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि अमीनगांव की ओर मोड़े जाने का अर्थ यह है कि यह तेजपुर से हटाई जा रही है। इस विषय के सम्बन्ध में मैं सूचना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस ब्यौरे को बताने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछें अनुपूरक प्रश्न नहीं।

हिन्दी में तार

*२४२७. **डा० सत्यवादी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि देहाती क्षेत्रों में तार बांटने से पहले उन का अनुवाद हिन्दी में या क्षेत्र विशेष की प्रादेशिक भाषा में किया जाये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : किसी भाषा के तार, किसी अनुपत लिपि—रोमन या देवनागरी—में लिखे हुए, जैसा कि प्रेषक ने लिखा हो, एड्रेसी (पाने वालों) को वैसे ही वितरण कर दिये जाते हैं। यदि कोई अंग्रेजी न जानने वाला व्यक्ति तार का अनुवाद कराना चाहे, तो वह तार-घर से कह कर उस का अनुवाद करा सकता है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो अंग्रेजी के तार देहातों में भेजे जाते हैं उन के लिये ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा रहा है कि वे तार घर से ही हिन्दी में अनुवाद करने के बाद भेजे जायें, क्योंकि देहात में अंग्रेज़ी पढ़े लिखे आदमी न मिलने के कारण उन तारों का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है ?

श्री राज बहादुर : वर्तमान में जो प्रबन्ध है वह तो केवल इतना ही है कि यदि पाने वाला तार का अनुवाद कराना चाहे तो वह तारघर में हो सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहां देहातों में अंग्रेजी जानने वाले नहीं रहते, क्या सरकार के पास इस तरह की मांग आयी है कि जो तार देहातों में भेजे जायें वे प्रादेशिक भाषाओं में भेजे जायें ?

श्री राज बहादुर : इस प्रकार का यह पहला सुझाव आप के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या भोपाल राज्य और मध्य भारत की रीजनल कमेटी ने इस प्रकार का सुझाव गवर्नमेंट को भेजा है ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि उन को स्मरण भी होगा, कि मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में बहुत से तारघर ऐसे हैं जहां कि हिन्दी में ही तार दिये जा सकते हैं। फिर जहां हिन्दी में तार दिये जा सकते हैं वहां यह अनुवाद करने की सुविधा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

डा० सुरेश चन्द्र : उन तारों के बारे में क्या प्रबन्ध है जो कि हिन्दी में भेज जाते हैं लेकिन जिन के पहुंचने के स्थान पर हिन्दी जानने वाले नहीं हैं ?

श्री राज बहादुर : इस की व्यवस्था तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा होगी ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद का पंचाट

*२४२८. **डा० रामा राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद द्वारा २४ जून, १९५५ को मैंगनीज़ खान स्वामियों और उन के कर्मचारियों के मध्य हुए विवाद के बारे में दिये गये पंचाट की मख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) चिकित्सिक सुविधाओं के बारे में दिये गये आदेशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान सरकारी अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४०९, दिनांक २४ जून, १९५५ के अधीन भारत के राजपत्र (भाग २, धारा ३) दिनांक २ जुलाई,

१९५५ में प्रकाशित पंचाट के पूर्ण पाठ की ओर आकर्षित करता हूं, उस की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ख) पंचाट को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, बम्बई द्वारा रोक दिया गया है । इसलिये पंचाट को मालिकों द्वारा कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न इस स्थिति में उत्पन्न नहीं होता ।

डा० रामा राव : यह पंचाट धनबाद की अधिकांश मैंगनीज़ खानों पर लागू होता है इन के अतिरिक्त आन्ध्र, उड़ीसा तथा बिहार में भी तीस या चालीस खानें हैं । क्या इस पंचाट की शर्तें उन खानों पर भी लागू की जायेंगी अथवा वहां के श्रमिकों को भी औद्योगिक विवाद की सारी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा और तब पंचाट को प्राप्त करना होगा ?

श्री आबिद अली : मैं नहीं समझता कि वैध रूप से हम इस पंचाट को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकते हैं । यदि आन्ध्र तथा अन्य स्थानों के श्रमिक यह चाहते हैं कि उन के मामले का भी न्यायनिर्णयन किया जाये, तो वे भी अपनी मांगें हमारे पास भेज सकते ह ।

डा० रामा राव : क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्या लाभांश, मजूरी तथा अन्य चीज़ों के बारे में बातें अभी तक कार्यान्वित को गई हैं अथवा क्या उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : जैसे कि उत्तर दिया जा चुका है, २४५ खानों का प्रश्न एक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था । इस ने एक निर्णय दिया था । जिस पर अब अपील की गई है, और उस अपील के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही पंचाट को कार्यान्वित किया जायेगा । उन अन्य राज्यों के सम्बन्ध में, जहां पर यह न्यायनिर्णयन लागू नहीं होता है, यदि यह बात सरकार के ध्यान में लाई जाये, तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

डा० रामा राव : प्रायः यह होता है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ? प्रश्न के प्रारम्भ में ही, प्रश्न का संकेत होना चाहिये ।

डा० रामा राव : जब ये पंचाट कार्यान्वित नहीं किये जाते हैं तो सरकार मालिकों को इन पंचाटों को कार्यान्वित करन के लिये कितनी जल्दी बाध्य करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपील का निर्णय किया जाना है । फिर उसे कार्यान्वित करने अथवा कार्यान्वित न करने के लिये समय दिया जाना है । फिर तृतीय अवस्था में ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि वे पंचाट कार्यान्वित नहीं किये गये तो उस के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

सड़क परिवहन विकास

***२४२९. श्री बी० एन० मिश्र :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में भारतीय सड़क तथा परिवहन विकास संस्था के सभापति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने उन से भारत में सड़क परिवहन की अग्रेतर उन्नति किये जाने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिये उन से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बातों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि कोई निर्णय किये गय थे तो वे क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). देश में सड़क परिवहन के विकास से सम्बन्ध रखने वाली अनेक बातों पर चर्चा की गई थी। प्रतिनिधि मण्डल को बताया गया था कि उन के द्वारा की गई बातों पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

श्री बी० एन० मिश्र : मेरा प्रश्न यह था :

"यदि हां तो किन किन बातों पर चर्चा हुई थी।"

माननीय सभासचिव ने यह बताया कि बहुत सी बातों पर चर्चा हुई थी। मैं उन बातों का ब्योरा जान सकता हूं ? यही तो मैं जानना चाहता हूं।

श्री शाहनवाज़ खां : उस चर्चा में बहुत सी बातें आ गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सभा-सचिव ने उन्हें सभा-पटल पर क्यों नहीं रख दिया ? मैं माननीय मन्त्रियों को सुझाव देता हूं कि जब भी कोई प्रश्न ऐसा आये जिस में कि उत्तर के रूप कोई विवरण दिया जाना हो तो उसे पहले ही से नोटिस ऑफ़िस को दे दिया जाये। प्रश्न का भाग (ख) यह है :

"यदि हां, तो किन किन बातों पर चर्चा हुई थी।"

यदि इस का उत्तर कोई विस्तृत विवरण है अथवा इस में कई बातें अन्तर्निहित हैं, तो माननीय सभासचिव को इसे पहले ही सभा पटल पर रख देना चाहिये था अथवा नोटिस ऑफ़िस को दे देना चाहिये था।

श्री शाहनवाज़ खां : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसे कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय उसे पढ़े जाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बी० एन० मिश्र : मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि मेरा प्रश्न कोई विशिष्ट प्रश्न था और उस का कोई लम्बा चौड़ा उत्तर है तो उसे सभा-पटल पर रख देना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य में ऐसा ही किया जायेगा।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या वे बातें जो मैं ने अपने प्रश्न में पूछी हैं अब सदस्यों में परिचालित की जायेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को परिचालित की जायेंगी ? यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह माननीय मंत्री महोदय से प्राप्त कर सकते हैं।

श्री बी० एन० मिश्र : मैं उन बातों को जानना चाहता हूं। क्या मैं वे बातें जान सकूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य ने ही तो सुझाव दिया है कि वे सभी सदस्यों को परिचालित की जायें। यदि माननीय सदस्य चाहते तो उन्हें एक प्रति मिल जायेगी।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं उन्हें मुख्य बातें बता सकता हूं। वे इस प्रकार हैं : (१) परिवहन क्षमता में वृद्धि; (२) मोटर गाड़ियों के मूल्यों में कमी; (३) मोटर गाड़ियों पर करों का घटाया जाना; और (४) मोटर गाड़ियों के चालन पर लगी पाबन्दियों का हटाया जाना।

श्री एम० एल० द्विवेदी : करों के घटाये जाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

स्थानीय पोस्टकार्ड

*२४३०. **श्री तेलकीकर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समस्त डाक घरों में स्थानीय पोस्टकार्ड विक्रय के लिये उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पोस्ट कार्डों के विक्रय से कितनी वार्षिक आय होती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, जहां उन की मांग है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता;

(ग) सरकारी खज़ानों को, डाकघरों को जनता में विक्रय के लिये जारी करने के लिये दिये गये स्थानीय पोस्टकार्डों का मूल्य लगभग ४,२४,००० रुपये प्रति वर्ष है । इन पोस्टकार्डों के वास्तविक विक्रय के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस जानकारी को एकत्रित करने में जो समय तथा व्यय होगा वह प्राप्त किये जाने वाले के समानुपातिक नहीं होगा ।

श्री तेलकीकर : क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां यह पोस्टकार्ड उपलब्ध हैं ?

श्री राज बहादुर : यह सुविधा १ अप्रैल १९५० से है और ऐसे समस्त क्षेत्रों को यह सुविधा दी गई है जहां कि स्थानीय पोस्टकार्डों की मांग है; और ये क्षेत्र पृथक कर दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानीय पोस्टकार्ड केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रयोग किये जायेंगे जहां स्थानीय क्षेत्र पर्याप्त बड़े हैं । क्या यह कहा जा रहा है कि इन को एक घर से दूसरे घर भेजे जाने के लिये काम में लाया जाता है ?

श्री तेलकीकर : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी जन संख्या वाले नगर में ये पोस्टकार्ड दिये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य किसी नगर विशेष में रुचि रखते हैं तो उन्हें एक पृथक प्रश्न रखना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या २४३१ ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या २४५५ को भी इसी प्रश्न के साथ ले लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को इस में सुविधा है तो वह दोनों का एक साथ उत्तर दे सकती हैं ।

भूतपूर्व महिला-चिकित्सा-सेवा

*२४३१. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भूतपूर्व महिला-चिकित्सा-सेवा की निधियों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने इस निधि में से किसी भाग की मांग की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) महिला चिकित्सा सेवा निधि की रकम का उपयोग अवकाश वेतन अंशदानों, भविष्य निधि, अध्ययन अवकाश, यात्रा की लागत तथा महिला चिकित्सा सेवा के वेतन और राज्य सरकारों द्वारा महिला चिकित्सा सेवा के उन पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन के अन्तर को पूरा करने के लिये जिन्हें उन्होंने राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में खपा लिया था, किया जाता है । इन निधियों को चिकित्सा शास्त्र में अवर स्नातक तथा स्नाकतोत्तर अध्ययनों के लिय तथा नर्सिंग के प्रशिक्षण के लिये विद्यार्थियों को छात्र वृत्तिया देने के काम में भी लाया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

महिला-चिकित्सा-सेवा

***२४५५. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस सेवा के भंग किये जाने के समय महिला चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उन में से कितनों को नौकरियां दी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनके स्तर तथा वेतन-क्रम के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सच है कि यद्यपि महिला चिकित्सा सेवा के बहुत से अर्ह चिकित्सकों ने जिन को पढ़ाने का लम्बा अनुभव था तथा जिन के पास एम० आर० सी० सी० तथा एफ० आर० सी० एस० जैसी गवेषणा अर्हतायें थीं लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज के प्रधानाध्यापक के स्थान के लिये आवेदन-पत्र दिये थे किन्तु फिर भी वह पद एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो कि इन से बहुत कम अर्हतायें रखता था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जिस व्यक्ति को इस समय लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज के प्रधानाध्यापक के पद के लिये चुना गया है वह पर्याप्त तथा अपेक्षित अर्हतायें रखता है । जहां तक महिला चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार से उनमें से एक ही ऐसी पदाधिकारी थी जो कि अपेक्षित अर्हतायें रखती थी । किन्तु उस ने संस्था के विरुद्ध पहले ही एक दावा दायर कर रखा है; और क्योंकि दावा अभी न्यायालय में लम्बित है, इसलिये उस के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जा सका था ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सच है कि जब अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के लिये कुछ महिलायें भर्ती की जा रही थीं उस समय भूतपूर्व महिला चिकित्सा सेवा की कुछ महिलाओं ने भी आवेदन-पत्र दिये थे किन्तु उनमें से किसी को भी नहीं चुना गया ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिये भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, और मैं नहीं समझती कि संघ लोक सेवा आयोग किसी भी ऐसी महिला को अस्वीकार करेगा जिस के पास अपेक्षित अर्हतायें हों ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सच है कि आरम्भ से ही लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज के प्रधानाध्यापक का पद एक महिला द्वारा धारण किया जाता रहा है, और यदि हां,तो क्या कारण है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ? यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है ।

श्री एन० बी० चौधरी : यह प्रश्न, प्रश्न संख्या २४५५ के भाग (ख) से उत्पन्न होता है जो कि महिला चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को रोजगार देने से सम्बन्धित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का भाग (ख) केवल रोजगार का उपबन्ध करने से सम्बन्धित है । क्या हम अब इस प्रश्न में भी जायें कि लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज के प्रधानाध्यापक का पद अमुक को क्यों दिया गया और अमुक को क्यों नहीं दिया गया ?

डा० रामा राव : पाकिस्तान द्वारा मांगी जाने वाली रक़म कितनी होती है । यदि

कोई भुगतान करने की हांमी भर ली गई है तो क्या वह राशि उस रकम में से काट दी जायेगी जो हम को पाकिस्तान से लेनी है अथवा हमें पाकिस्तान को नक़द भुगतान करना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जब काउंटैस ऑफ़ डफरिन निधि को भंग किया गया था उस समय कुल आस्तियां १३,७६,२०३ रुपये के लगभग थीं । पाकिस्तान के अंश के रूप में उसे १,१०,०९६ रुपये की एक रकम दी जानी थी जो कि उन पदाधिकारियों की संख्या के अनुपात के आधार पर थी जिन्होंने पाकिस्तान तथा भारत के लिये अपने विकल्प दिये थे । किन्तु विभाजन के समय पाकिस्तान को पंजाब (भारत) को लगभग १,८०,००० रुपये देने पड़े थे । इस लिये हिसाब किताब करने के बाद मेरे विचार में पाकिस्तान को हमें १,८०,००० रुपये तथा १,१०,०९६ रुपये का अन्तर देना पड़ेगा । और उस के बारे में कर्णाधार समिति निर्णय करेगी जिस की बैठक हाल ही में होगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में अर्ह चिकित्सकों को भर्ती करते समय सरकार उन महिला चिकित्सा सेवा के डाक्टरों के मामलों पर विचार करेगी जो अभी तक बेरोजगार हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : निस्सन्देह, कुछ महिलायें, जो महिला चिकित्सा सेवा से सम्बन्धित थी, अब भी नौकरी में हैं । उन में से कुछ अब भी लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज में काम कर रही हैं । उन में से भी कुछ एक ने, प्रधानाध्यापक के पद के लिये आवेदन-पत्र दिये थे किन्तु क्योंकि उन को अपेक्षित अनुभव नहीं था, उन के बारे में विचार नहीं किया गया था ।

अखिल भारतीय गोदाम निगम

***२४३३. श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एक अखिल भारतीय गोदाम निगम बनाने की प्रस्थापना करती है;

(ख) यदि हां, इस निगम के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(ग) इस के कब तक बन जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) निगम के मुख्य कृत्य यह होंगे (१) अखिल भारतीय महत्व के स्थानों में भूमि अर्जन करना तथा वहां गोदाम तथा सामानगृह बनाना, (२) अनुज्ञप्त सामानगृहों का संचालन करना तथा उस प्रयोजन के लिये आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, (३) राज्य गोदाम निगमों की स्थापन में सहायता करना तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ।

(ग) संसद् द्वारा अपेक्षित विधान के पारित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे संगठन, जो इस निगम द्वारा बनाये जाने को हैं, केवल कृषकों द्वारा गोदामों में लाये गये सामानों की देखभाल का ही कार्य करेंगे अथवा ऋण तथा विक्रय समितियों की भांति भी कार्य करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय राज्य गोदाम निगमों से है, तो उन्हें निर्माण कार्य तथा गोदामों से सम्बद्ध विभिन्न कार्यों का प्रभारी बनाया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रश्न संख्या २४६२ अल्प सूचना प्रश्न के रूप में रखा गया था । सचिवालय द्वारा यह कहा गया था कि इस का उत्तर सामान्य रूप से दिया जायेगा । अब क्योंकि इस प्रश्न का प्रयोजन इसे सामान्य प्रकार के प्रश्नों में रखे जाने से नष्ट हो रहा है, तो मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न के महत्व को दृष्टि में रखते हुए, इस का उत्तर अभी दिये जाने का आदेश दिया जाये । यह कांडला में ५००० टन तेल के आग द्वारा नष्ट हो जाने के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : हम प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हैं ।

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : एक सिपाही की भांति ।

कांडला के पास तेलवाहक पोत में आग

*२४६२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला बन्दरगाह के पास पांच हज़ार टन के तेलवाहक पोत में आग लगने का कारण क्या है;

(ख) क्या कोई जन-धन की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और उस का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(घ) क्या दुर्घटना की कोई जांच की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (घ). कांडला के विकास आयुक्त द्वारा नियुक्त की गई एक विभागीय समिति ने इस दुर्घटना की जांच की थी और आग लगने के ठीक ठीक कारण को निश्चित करना संभव नहीं हो सका है ।

(ख) और (ग). कोई जन हानि नहीं हुई है । पत्तन की लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का अनुमान है । तेलवाहक को हुई हानि ज्ञात नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि बताई गई हानि केवल तेल की क़ीमत है अथवा इस में कोई अन्य सम्पत्ति की क़ीमत भी सम्मिलित है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस में दूसरी सम्पत्ति भी सम्मिलित है । तेल के अतिरिक्त, संभव है कि जैटी तथा अन्य सम्पत्ति भी नष्ट हुई हो ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस मामले में कोई जांच की जायेगी ? यह ज्ञात नहीं है कि तेलवाहक को क्या हानि पहुंची है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तेलवाहक को पहुंची हानि का पता लगाने के लिये भी कोई जांच की जायेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : एक जांच तो पहले ही की जा चुकी है । किन्तु विस्फोटक निरीक्षक का एक सुझाव यह भी था कि निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा इस मामले की दोबारा जांच की जाये । अभी यह मामला विचाराधीन है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

डालमिया नगर में मंत्रियों के दौरे

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री जी० पी० सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने श्री रामकृष्ण डालमिया की

गिरफ्तारी से किंचित पूर्व डालमिया नगर का दौरा किया था;

(ख) क्या वित्त मंत्री भी शीघ्र ही वहां जाने वाले हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन के दौरे का प्रयोजन क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ग). वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने (डेयरी ओन सोन (डालमिया नगर) का २३ सितम्बर, १९५५ को दौरा किया था। यह दौरा उन्होंने बिहार राज्य के औद्योगिक उपक्रमों से परिचित होने के लिये बिहार सरकार द्वारा आयोजित दौरे के सिलसिले में किया था। उन के दौरे का श्री रामकृष्ण डालमिया की गिरफ्तारी से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह समझा जाता है कि श्री रामकृष्ण डालमिया का अब डालमिया नगर के औद्योगिक एककों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) वित्त मंत्री उस स्थान का दौरा नहीं कर रहे हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि श्री शान्ति प्रसाद जैन ने दो करोड़ रुपये की वह रक़म दे दी है जिसे श्री रामकृष्ण डालमिया द्वारा गबन किया गया बताया जाता है और क्या.....

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह इस से उत्पन्न नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। प्रकटतया यह मामला अभी लम्बित है और जांच जारी है। उस का ब्यौरा यहां कैसे पूछा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे स्वीकार किया गया। यह मामला भी यहां नहीं उठाया जाना चाहिये था। इस प्रश्न के बारे में मैं पहले ही यह समझ गया था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे तो इस में भी सन्देह है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री को गिरफ्तारी या होने वाली गिरफ्तारी का कोई ज्ञान था भी। मैं नहीं समझता कि उन्हें इस के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान था भी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले का ब्यौरा अब नहीं पूछा जा सकता है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि सरकार ने भारत इन्श्योरेन्स कम्पनी का प्रबन्ध सम्हालने के लिये एक प्रशासक नियुक्त किया है....

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस से कैसे उत्पन्न होता है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि इस के बारे में कुछ निश्चित हिदायतें हैं कि प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री साधारणतया कहीं दौरा नहीं कर सकते हैं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में साधारणतया किसी व्यक्तिगत संस्था का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं ? क्या ऐसी कोई हिदायतें जारी की गई हैं ? यदि हां, तो माननीय मंत्री के डालमिया नगर के दौरे का प्रयोजन क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे ऐसी किसी हिदायत के बारे में ज्ञान नहीं है। वास्तव में मैं ने स्वयं ऐसी संस्थाओं का दौरा किया है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इस दौरे के बारे में उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद् सदस्यों को सूचना दी गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्हें सूचना देने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई तीन वर्ष पूर्व, जून अथवा जुलाई १९५२ में, जब सभा में कुछ प्रश्न पूछे गये थे, तो प्रधान मंत्री से यह

राय प्रकट की थी कि मंत्री लोग सामान्यतया दौरों पर जाते समय व्यापारियों के घरों पर न ठहरा करें; और इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि तब से संसद् सदस्यों को मंत्रियों के दौरों के जो कार्यक्रम भेजे जाते हैं उन में साधारणतया इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है कि वह कहां ठहरने को हैं; क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे कोई उपाय कर रही है जिन से कि इन मंत्रियों के दौरों से कुछ और निष्कर्ष न निकाले जा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम डालमिया-जन से किसी और विषय पर जा रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहले तो किसी व्यक्ति के पास ठहरना, किसी फैक्टरी के निरीक्षण करने से बिल्कुल भिन्न बात है । यह बिल्कुल ही अलग बात है । इस के बारे में, जो कुछ मैंने पहले कहा था वह अब भी सामान्यतः लागू होता है । किन्तु इसे एक निश्चित नियम नहीं समझा जाना चाहि ; कई बार कई स्थान ऐसे होते हैं जहां ठहरने के सिवाय कोई चारा ही नहीं होता है; कोई अन्य स्थान ठहरने के लिये होता ही नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार सरकार द्वारा किया गया था । क्या मैं बिहार सरकार के उस मंत्री अथवा अधिकारी विशेष का नाम जान सकता हूं जिस ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री को पत्र लिखा था अथवा टैलीफोन किया था ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने और किन किन औद्योगिक केन्द्रों का दौरा किया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वास्तव में मैं इन प्रश्नों का अभिप्राय नहीं समझ पाया हूं । यदि उन का कुछ और तात्पर्य है तो मैं उसका प्रतिवाद करता हूं । मेरी समझ में नहीं आता है कि यह मालूम करने का क्यों प्रयत्न किया जा रहा है कि किस ने टैलीफ़ोन किया था और कब किया था । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं । बिहार में कुछ बड़े औद्योगिक स्थान हैं जिन का दौरा किया जाना चाहिये । वाणिज्य और उद्योग मंत्री इन का समय समय पर दौरा करते हैं । इन्हें देखना उन का कर्तव्य तथा कार्य है । ऐसा अवश्य है कि इसी समय के लगभग श्री रामकृष्ण डालमिया गिरफ्तार किये गये थे । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री तथा मेरे अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को इस का पूर्व ज्ञान नहीं था ।

श्री कामत : और गृह मंत्री ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री फिरोज गांधी : क्या मैं एक स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री फिरोज गांधी : अगला प्रश्न लेने से पूर्व मैं आप से सूचनार्थ यह पूछना चाहता हूं । यह प्रश्न आप के द्वारा अभी अभी दिये गये विनिर्णय से उत्पन्न होता है । आप का कहना है कि श्री जी० पी० सिन्हा द्वारा उठाये गये प्रश्न से सम्बद्ध विषय इस समय न्यायालय के समक्ष है । किन्तु यह विषय इस समय न्यायालय के समक्ष नहीं है । इस में भारत इन्श्योरेंस कम्पनी में बीमा कराने वाले व्यक्तियों के हित अन्तर्ग्रस्त हैं । सरकार ने यह देखने के लिये कि उन्हें अपना सारा धन न खोना पड़े क्या सुरक्षा प्रदान कर सकती है ? यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष नहीं आयेगा और न ही कोई न्यायालय प्रश्न के इस पहलू पर विचार करेगा । अतः हम वित्त मंत्री अथवा प्रधान मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में क्या करने का विचार करती है । मुझे समाप्त कर लेने दीजिये । क्योंकि बीमा सरकारी रक्षण है इसलिये

इस बात के सम्बन्ध में हम सरकार से जानना चाहते हैं । बीमा बहुत सीमा तक सरकारी नियन्त्रण में हैं, अतः हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है, जिस से कि भारत इन्श्योरेन्स कम्पनी में बीमा कराने वालों को उस कम्पनी में लगाये हुए रुपये से हाथ न धोना पड़े । मैं उनमें से एक हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । इन पर उचित प्रश्न बना कर उत्तर मांगे जा सकते हैं । किन्तु जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस में केवल उतना ही पूछा गया है कि क्या यह सच है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने श्री रामकृष्ण डालमिया की गिरफ्तारी से किंचित पूर्व डालमिया नगर का दौरा किया था; क्या वित्त मंत्री भी शीघ्र ही वहां जाने वाले हैं; और यदि हां, तो उन के दौरे का प्रयोजन क्या है ? हम यहां इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि श्री रामकृष्ण डालमिया किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किये गये हैं अथवा इसका क्या परिणाम होने वाला है, अथवा जिन व्यक्तियों ने भारत इन्श्योरेन्स कम्पनी में अपने जीवन का बीमा कराया हुआ है उन के हितों की कैसे रक्षा की जाये । ये बिल्कुल भिन्न प्रश्न हैं ।

एक माननीय सदस्य : यहां डालमिया की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया था ।

श्री जयपाल सिंह : एक विशेषाधिकार प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रश्न मुझे पत्र लिख कर उचित रीति से उठाया जा सकता है, और यदि मैं इस की अनुमति दे दूं, तो या तो मैं इसे सभा के सामने अथवा विशेषाधिकार समिति के सामने रख सकता हूं । इस सभा में विशेषाधिकार का कोई भी प्रश्न सहसा नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, क्या मैं औचित्य प्रश्न उठा सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या औचित्य प्रश्न है ?

श्री जयपाल सिंह : सदन नेता ने कुछ ऐसी बात कही है जो मैं समझता हूं सत्य नहीं थी । हमें आज तक जब कभी भी कोई केन्द्रीय मन्त्री हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जाता था तो उस की सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार था । किन्तु सदन नेता ने अभी बताया है कि सदस्यों को सूचना देने की कोई बात नहीं है । मैं आशा करता हूं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

डा० रामा राव : श्रीमान् मुझे यह गतकालीन प्रश्न लगता है । इस की सूचना १२ अगस्त को दी गई थी जब कि इस विषय पर बातचीत चल रही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा नहीं ?

डा० रामा राव : जब तक कि माननीय सदस्य यह न जान लें . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये कि माननीय सदस्य चाहते क्या हैं । क्या वह प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा नहीं ।

डा० रामा राव : उस की सूचना दिये एक मास और सोलह दिन हो गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे दो मास हो जायें ।

डा० रामा राव : मैं आप का विचार जानना चाहता हूं । यह दिनांक १२ अगस्त का एक अल्प सूचना प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन को प्रश्न पूछने दीजिये ।

ब्रह्मा को ऋण

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. डा० रामा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मा को ऋण देने के सम्बन्ध में कोई बातचीत चल रही है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है तथा सरकार कितनी धन राशि देने का विचार करती है; और

(ग) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). ब्रह्मा की सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ब्रह्मा को दस करोड़ रुपये का ऋण देने को सहमत हो गई है । इस के अतिरिक्त, वह ब्रह्मा को दस करोड़ रुपये का प्रत्यय देने को भी सहमत हुई है ताकि ब्रह्मा भारत में की गई खरीदारी का भुगतान कर सके ।

(ग) ऋण और प्रत्यय की शर्तों पर चर्चा ब्रह्मा के प्रतिनिधि मंडल के साथ की जायेगी जो कल दिल्ली आया है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार बड़े बड़े ऋण या बड़ी बड़ी धन राशियां गत वर्ष की भांति इस सभा की अनुमति के बिना दे सकती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो सम्मति तथा प्रक्रिया का प्रश्न है । पहली बात क्या ऋण बड़ा है और दूसरी बात सभा को किसी प्रकार की सूचना दिये जाने से पूर्व अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या भारत सरकार का यह नतिक कर्तव्य नहीं है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मा की सहायता करे और विशेष रूप से तब जब कि उस ने अपने विकास के लिये अमरीका द्वारा दिये जा रहे ऋण को अस्वीकार कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ?

श्री जयपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ब्रह्मा संघ की सरकार की २० करोड़ रुपये से सहायता कर रहे हैं क्या नई दिल्ली में हो रही बातचीत में क्या उस से श्री लंका की चाय के स्थान पर हमारी चाय की खपत करने का प्रस्ताव मानने को कहा जायेगा क्योंकि इस समय वह हम से तनिक सी भी चाय नहीं ले रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सी बातें की जा सकती हैं ।

श्री जयपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन विषयों पर बातचीत की जायेगी उन में इसे भी सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार से यह एक ऐसा विषय होगा जो इस बातचीत के आशय से असंगत होगा । वह यह ऋण कुछ ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिये चाहते हैं जिन को उस ने हम से खरीदने का निश्चय किया है और हमारे लिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह हम से कुछ अन्य वस्तुयें खरीदे । मेरे सहयोगी मुझे बताते हैं कि इस समय हमारे पास चाय का कोई अतिरेक नहीं है ।

डा० रामा राव : यद्यपि ब्रह्मा जैसे उत्तम पड़ौसी की सहायता करना अत्यन्त वांछनीय है मैं जान सकता हूं कि धन की कमी के कारण जब सरकार अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिये धन प्राप्त नहीं कर सकी है तो वह इस के लिये कैसे धन प्राप्त करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारे पास कुछ पौण्ड पावना है । इस खाते में हमारे पास जितनी निधि है उस की तुलना में यह धन-राशि अधिक नहीं है और अभी तो हमें यह

भी निर्णय करना है कि ब्रह्मा सरकार को यह ऋण कितनी अवधि के लिये दिया जाना है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा कि भारत में खरीदारी करने के लिये धन की व्यवस्था करने के हेतु ब्रह्मा को बीस करोड़ रुपया दिया जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक नहीं है; यह ऋण केवल दस करोड़ रुपये का है ।

श्री वी० पी० नायर : दस करोड़ रुपया ही रहने दीजिये । क्या इस बातचीत में भारत सरकार ब्रह्मा के प्रतिनिधिगों पर इस सम्बन्ध में अपना प्रभाव डालेगी कि ब्रह्मा द्वारा त्रावनकोर-कोचीन से जो तीन करोड़ रुपये के मूल्य की झींगा मच्छी नियमित रूप से ली जाती थी और जिस के लेने पर अब प्रतिबन्ध लगा दिया गया है फिर से ली जाने लगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : बातचीत के समय झींगा मच्छी की खरीद के प्रश्न पर विचार किये जाने की संभावना है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या पिछला ऋण पूर्णतया अथवा अंशतः परिमाणित हो गया है और ऋण को स्वीकृति के लिये कैसे और क्या इस सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है १५.४४ करोड़ रुपये की राशि अप्रैल १९५४ में हुए करार अथवा पत्र व्यवहार के अनुसार समायोजित कर दी गई है और शेष राशि को या तो समायोजित कर दिया जायेगा अथवा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रह्मा को वित्तीय सहायता समझा जायेगा और इस प्रकार प्रायः समस्त व्यवहारिक प्रयोजनों के लिये उस ऋण को परिसमापित समझा जाये ।

विदेशी समाचारों का प्रकाशन

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९. श्री एस० एन० दास : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी विदेशी समाचार प्रकाशनों को भारतीय संस्करण प्रकाशित करने से रोक देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान **न्यूयार्क टाइम्स** में "भारत विदेशी प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाता है" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में वास्तविक वस्तु-स्थिति को बतायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सरकार ने प्रेस आयोग की इस सिफारिश को सिद्धान्तरूप से स्वीकार करने का निर्णय किया है कि उन विदेशी समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को जो मुख्य रूप से समाचारों और चालू मामलों को प्रकाशित करते हैं भारत में अपने संस्करण निकालने की अनुमति न दी जाये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) **न्यूयार्क टाइम्स** को सूचित कर दिया गया है कि उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप अपनाई गई एकसमान नीति के अनुसार भारत में उस के अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण के प्रकाशित करने से सम्बन्धित उस की प्रस्थापना को स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या इसी प्रकार की एक रिपोर्ट कुछ समय पूर्व **लन्दन टाइम्स** के दैनिक संवाददाता को भी भेजी गई थी और क्या भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति उक्त संवाददाता द्वारा उक्त समाचार पत्र को भेजी गई थी और क्या वह प्रेस विज्ञप्ति अन्य समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई थी ?

डा० केसकर : मैं यह नहीं समझ पाया कि यह इस प्रश्न विशेष से किस प्रकार संगत है जिस में **न्यूयार्क टाइम्स** के अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण के मुद्रण के सम्बन्ध में पूछा गया था। **लन्दन टाइम्स** के संवाददाता ने क्या लिख कर भेजा है अथवा क्या लिख कर नहीं भेजा है यह इस प्रश्न से संगत नहीं है ।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच नहीं है कि **रीडर्स डायजैस्ट** का भारतीय संस्करण भारत में प्रकाशित किया जा रहा है, और यदि हां, तो क्या सरकार उस पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रस्थापना करती है ?

डा० केसकर : रीडर्स डायजैस्ट भारत में एक संस्करण प्रकाशित करता है, और इस के लिये अनुमति कुछ समय पूर्व, संभवतः एक या दो वर्ष पूर्व, दी गई थी । इस के पश्चात हम कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं क्यों कि अब हम ने प्रेस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या अन्य विदेशी पत्रिकाओं ने अपने संस्करण भारत में प्रकाशित करने के लिये आवेदन किया है, और क्या सरकार किसी भी विदेशी को, चाहे वह राष्ट्रमण्डल का सदस्य ही क्यों न हो, इस देश में अपने किन्हीं भी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को प्रकाशित करने की अनुमति न देने के निर्णय पर दृढ़ रहेगी ?

डा० केसकर : जो निर्णय मैं ने पढ़ कर सुनाया है वह बिल्कुल स्पष्ट है और उस के सम्बन्ध में कोई भी संदिग्धता नहीं है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०. श्री एन० एम० लिंगम : (श्री एस० वी० रामस्वामी की ओर से) : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है जिस के अनुसार १९ सितम्बर, १९५५ को पुनर्वास वित्त प्रशासन के मुख्य प्रशासक ने एक 'प्रैस इंटरव्यू' में यह कहा था कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन 'ग़लत आंकड़ों' तथा "अल्प सूझ बूझ" पर आधारित है;

(ख) क्या एक व्यक्तिगत पदाधिकारी को संसद् समिति के प्रतिवेदन को प्रैस इंटरव्यू में आलोचना करने का अधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यों की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). संसदीय समिति के प्रतिवेदनों तथा संसद् की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से चर्चा करना अनुचित है । जैसे ही समाचारपत्रों में 'इंटरव्यू' की सूचना को मैं ने देखा, इस विषय पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया गया था । यह स्पष्ट है कि उस अधिकारी ने इसे पूर्णतः महसूस नहीं किया । सम्बन्धित पदाधिकारी न इस दुर्घटना पर दिल से खेद प्रकट कर दिया है । इस प्रकार का और कोई मामला नहीं हुआ है तथा सरकार को आशा है कि अब इस प्रकार का कोई मामला नहीं होगा । परन्तु आवश्यक होने पर सरकार, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये उपयुक्त कार्यवाही पर निश्चिन्त रूप से विचार करेगी ।

श्री सी० आर० नरसिंहन: क्या सरकार के पदाधिकारियों को पहले ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया जिससे उन्हें इस में सहायता मिले कि कब उद्घोषणायें करनी चाहिये तथा कब नहीं ? यदि इस समय एसे निदेश मौजूद हैं, तो क्या पदाधिकारियों को उन की सूचना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल इतना जानने के इच्छुक हैं कि क्या पहले से ऐसे कोई निदेश मौजूद हैं ?

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप से आदेश जारी किये जाते हैं कि उन्हें इस प्रकार वक्तव्य कब देने चाहियें तथा कब नहीं देने चाहियें ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यह कार्य सर्वथा अनुचित था । इस प्रकार की कार्यवाहियों के पूर्वानुमान के सम्बन्ध में कोई निदेश नहीं थ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दी

*२४००. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में डाक तथा तार कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को आरम्भ करने का कार्यक्रम क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है । परन्तु कई दृढ़ कार्यवाहियां की गई हैं तथा की जा रही हैं जिससे डाक तथा तार कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग का प्रचार हो सके ।

किराये के बकायों का परिहार

*२४०७. **श्री बोरेन दत्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक, किराये के बकायों के परिहार के लिये किरायेदारों ने त्रिपुरा सरकार को कितनी याचिकायें भेजी हैं;

(ख) कितने मामलों में परिहार स्वीकृत किया गया है; और

(ग) क्या सरकार, "खास" भूमि की किराया वसूली के मामले में भी त्रिपुरा में परिसीमन अधिनियम लागू करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १३२१ ।

(ख) अभी तक किसी मामले में भी परिहार स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ग) जब तक त्रिपुरा में भूमि सुधार अधिनियम के स्थान पर त्रिपुरा काश्तकारी अधिनियम जो कि इस समय बनाया जा रहा है, लागू नहीं होगा, ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में भूमि का परिमाप

*२४११. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ने की खेती के विकास के लिये सरकार निकट भविष्य में गन्ना उगाने वाले भागों का भूमि परिमाप प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य अपने गन्ना गवेषणा केन्द्रों के द्वारा गन्ने के क्षेत्रों के भूमि परिमाप सम्बन्धी कार्य को पहले से ही कर रहे हैं । इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के द्वारा वित्तीय सहायता देती है । भूमि परिमाप कार्य को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गवेषणा तथा विकास कार्यक्रम का अंग बनाने का विचार है ।

रेलवे की रियायतों का दुरुपयोग

*२४१२. **श्री केलप्पन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेकरेड हार्ट हाई स्कूल, मऊ के कुछ विद्यार्थियों को दी गई

रेलवे रियायतों के दुरुपयोग का मामला जून १९५४ अथवा उस के आस पास हुआ था;

(ख) क्या पहले कभी इस स्कूल द्वारा रियायतों के इसी प्रकार के दुरुपयोग किये गये हैं; और

(ग) रेलवे को इस से कुल कितनी हानि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पहले कभी इस रियायत का दुरुपयोग किया गया था ।

(ग) रेलवे को कोई हानि नहीं हुई ।

माल का ट्रांसशिपमेंट

*२४१७. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मडुआडीह स्टेशन के ट्रांसशिपमेंट सेवा में इस प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है कि वह २४ घंटे काम करता रहे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जी हां, रात-दिन काम चालू रखने के लिये ज़रूरी सहूलियतें दी जा रही हैं ।

व्यापारिक विमानों के चालकों का प्रशिक्षण

*२४२२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से, वर्षवार, सरकार ने व्यापारिक विमानों के चालकों के प्रशिक्षण में कितना धन व्यय किया;

(ख) इस समय अर्हता प्राप्त व्यापारिक विमानों के चालक कितने हैं; और

(ग) इस समय इस प्रकार के बकार चालक कितने हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) मैं अपेक्षित सूचना का एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) प्रथम सितम्बर, १९५५ को ५२४१ ।

(ग) व्यापारिक अनुज्ञप्ति में डकोटा चलाने की अर्हता के विवरण वाला कोई भी चालक इस समय बेकार नहीं है । परन्तु लगभग ५० चालकों की अनुज्ञप्तियों में डकोटा चलाने का विवरण नहीं है तथा यही बेकार हैं । इस समय इन में से १४ डकोटा चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

वस्तु-भाड़ा दरें

*२४३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच चलने वाली शिपिंग लाइन ने प्रथम अक्तूबर, १९५५ से वर्तमान भाड़ा दर के बढ़ाने का निश्चय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जी हां ।

वनस्पति

*२४३४. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि **खाद्य** टैक्नो-लोजिकल प्रयोगशाला, मैसूर से वनस्पति के लिये उपयुक्त रंग की खोज के प्रयोग करने के लिये कहा गया था;

(ख) क्या उस की गवेषणा अचानक ही बन्द कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी, नहीं । सरकार ने खाद्य टैक्नोलोजिकल गवेषणा संस्था, मैसूर से यह नहीं कहा था । परन्तु हमने वनस्पति में रंग मिलाने के कार्य को अपने नियमित कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महानन्द पुल

*२४३५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४७ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने महानन्द नदी पर बनने वाले पुलों के ब्यौरे स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन के निर्माण की कोई स्वीकृति दी जा चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सोनापुरहाट में महानन्द नदी पर पुल बनाने की योजनायें तथा प्राक्कलन प्राप्त हो चुके हैं तथा जांच की जा रही है । कार्य की स्वीकृति शीघ्र होने की आशा है । परिवहन मंत्रालय द्वारा सुझाई गई रूपरेखा के आधार पर डिंगराघाट में पुल के प्राक्कलन तथा योजनाओं की बिहार सरकार से आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रेलवे बुकिंग

*२४३६. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वस्तुओं की बुकिंग महीने तक नहीं होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सड़क परिवहन के द्वारा उत्तर प्रदेश से दिल्ली में हज़ारों मन वस्तुएं लाई गईं तथा फिर दिल्ली से बुक की गईं जिस के कारण दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी हैं; तथा

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस के क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) केवल दक्षिण, सौराष्ट्र क्षेत्र तथा आसाम रेल कड़ी के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों को बुक करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) हमें उत्तर प्रदेश से दिल्ली में सड़क द्वारा सामान लाने की तथा उसे रेल द्वारा आगे ले जाने की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) भाग (क) में वर्णित क्षेत्रों में बुकिंग में देरी का कारण सीमित आवागमन है। पंजीयन बहुत अधिक है तथा इस आवागमन का कोटा निर्धारित कर के नियमित करने की आवश्यकता है ।

आन्ध्र में चीनी सुविधायें

*२४३७. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्यर्थियों ने, आन्ध्र राज्य में नये चीनी कारखाने प्रारम्भ करने के लिये किस प्रकार की सुविधायें मांगी थीं; और

(ख) इन कारखानों म लगी हुई प्राक्कलित पूंजी कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभ्यर्थियों ने गन्ने तथा चीनी के यातायात तथा नियंत्रित वस्तुओं जैसे सीमेन्ट

तथा लोहे के संभरण की सुविधाये मांगी थीं। सहकारी उपक्रमों ने भी, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण देने का निश्चय किया है जिस से वे सहकारी चीनी फैक्टरियों की अंशपूंजी में धन लगा सकें।

(ख) तीन फैक्टरियों में लगभग २·२५ करोड़ रुपये अभी तक लगे हुए हैं जिन की स्थापना की अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं।

अनन्तपुर के निकट ऊपरी पुल

*२४३८. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अनन्तपुर नगरपालिका से इस अभिप्राय का कोई ज्ञापन अथवा प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है कि पुराने नगर तथा अनन्तपुर के विस्तारों के बीच रेलव लाइन के ऊपर या नीचे एक पुल बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है तथा नगरपालिका को इस कार्य के लिये ऋण का देना स्वीकार किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भोपाल में फस्लों को क्षति

*२४३९. **पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भोपाल राज्य में भारी वर्षा के कारण खरीफ की फस्ल को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में;

(ग) किस सीमा तक क्षति हुई है;

(घ) क्या सरकार से भोपाल सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी सहायता की प्रार्थना की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३ अगस्त, १९५५ से भोपाल राज्य में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। खरीफ़ की फस्ल को नुक़सान पहुंचा है लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है।

(ख) भोपाल राज्य के सिहोरे ज़िले में इचावर और सिहोरे तहसीलों के ३५ गांवों पर असर पड़ा है।

(ग) जिन क्षेत्रों में असर पड़ा है वहां खरीफ की फस्ल को रुपये में ४ से ६ आने तक नुक़सान पहुंचा है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उस को अब तक २९,००० रुपये का कुल नुक़सान होने की खबरें मिली हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रकार की सहायता की प्रार्थना नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी

*२४४०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में हाल ही में विद्यार्थियों पर गोली चलाये जाने के दौरान जब भारतीय रेडक्रास समिति के कार्यकर्ताओं ने अपना कर्तव्य-पालन करने का प्रयत्न किया, तो पुलिस ने उन को रोक दिया; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). भारतीय रेड क्रास सोसाइटी

कें पास इस प्रकार की एक शिकायत आई है और सोसाइटी उस की जांच कर रही है ।

मैंगनीज़ की खानें (उड़ीसा)

*२४४१. **श्री बी० सी० दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारबील की मैंगनीज़ की खानों में काम करने वाले मज़दूरों की मांगें क्या हैं; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का निर्देश बारबील की लौह-अयस्क खानों में काम रुक जाने की ओर है । उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेन्ट कम्पनी के ठकुरानी खानों में काम करने वाले सात ठेकेदारों के मज़दूरों ने १६ जून, १९५५ के पश्चात् विभिन्न तारीखों को इन दो कारणों से काम रोक दिया था :—

(१) मजदूरी की दरों में असमानता, और

(२) मजदूर संघों में तनातनी ।

समझौता पदाधिकारी (केन्द्रीय) आसनसोल द्वारा सम्बद्ध दलों के बीच समझौता करवा देने के फलस्वरूप हड़ताल १९ सितम्बर १९५५ को समाप्त हो गई ।

नेपाल में विमान परिवहन सेवायें

*२४४२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में नैपाल सरकार अपनी खुद की विमान परिवहन सेवायें (एयर लाइन्स) स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये नेपाल सरकार को किस प्रकार की सहायत दी गई है या दी जाने वाली है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख).. में आदरणीय सदस्य महोदय का ध्यान मौखिक प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर की ओर,जो २४ अगस्त, सन् १९५४ को दिया गया था और मौखिक प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर की ओर, जो १९ नवम्बर १९५४ को दिया गया था, दिलाना चाहता हूं। यह मामला अभी बातचीत की अवस्था ही में है

चीनी के सम्बन्ध में नीति

*२४४३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा १९५५ के लिये चीनी नीति बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है;

(ग) क्या चीनी का कोई भंडार बनाया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो उस की मात्रा क्या होगी; और

(ङ) यह भंडार कहां से चीनी ले कर तैयार किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) १९५५–५६ के लिये चीनी नीति विचाराधीन है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

टिकटों का पुनः बेचा जाना

*२४४४. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित

प्रश्न संख्या १६५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से अब तक उस टिकट कलेक्टर को दंड देने के सम्बन्ध में, जो कि प्रयोग में लाये गये टिकटों को पुन: बेचने के लिये जिम्मेदार था, कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दंड किस प्रकार का है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध जिस में वह टिकट कलेक्टर भी शामिल है जिस के विरुद्ध आरोप लगाया गया था अपराध पूर्ण रूप से सिद्ध करना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी, उन समस्त व्यक्तियों को बदली अन्य स्टेशनों पर कर दी गई है और उन्हें समुचित निगरानी में रखा गया है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

*२४४५. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री २० अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने वास्तव में कितनी हानि उठाई; और

(ख) हानि कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) १९५४-५५ में ११५-५९ लाख रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि १९५४-५५ वर्ष के लिये कारपोरेशन का लेखा अभी अन्तिम रूप से तैयार होना है।

(ख) उपलब्ध हवाई जहाजों का अधिक प्रयोग कर के, आन्तरिक अन्-अनुसूचित मार्गों पर और अधिक माल ढो कर, भाड़े पर और अधिक हवाई जहाज दे कर तथा किरायों और वस्तुभाड़ों का वैज्ञानिकन कर के कारपोरेशन अपनी हानि कम करने का प्रयत्न कर रहा है।

उड़ीसा में शालिहोत्रि कालेज

*२४४७. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उड़ीसा राज्य में एक शालिहोत्रि कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां।

(ख) अनावर्तक व्यय के ७५ प्रतिशत तक। यदि राज्य सरकार अनावर्तक व्यय के शेष २५ प्रतिशत को वहन करने में सफल न हुई तो भारत सरकार राज्य सरकार को वह भी ऋण के रूप में दे देगी।

रेलवे सामान समिति

*२४४८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार को रेलवे सामान समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) १९५६ के शुरू में ।

भारत-चीन विमान करार

*२४४९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल भारत-चीन विमान करार पर वार्ता करने के लिये भारत आ रहा है; और

(ख) क्या इस करार के बारे में पेकिंग में कोई प्रारम्भिक वार्ता हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख). इस समय इस विषय पर कोई भी विवरण प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

रेलवे कर्मचारियों का निलम्बन

*२४५०. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीफ कैश विटनैस (मुख्य नक़दी ज़मानत), नई दिल्ली के अन्तर्गत कैश कार्यालय में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें इस समय निलम्बित कर रखा है;

(ख) उन्हें कब निलम्बित किया गया था; और

(ग) इन के मामलों को शीघ्रता से निबटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) एक ।

(ख) ८-११-५४ से ।

(ग) विशेष पुलिस विभाग इस समय इस की जांच कर रहा है और उस से मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिये कहा गया है ।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस

*२४५१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मद्रास के बीच वे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर लाइनों की सामर्थ्य कम होने के कारण दिल्ली और मद्रास के बीच सप्ताह में तीन बार आने-जाने वाली जनता एक्सप्रैस का आवागमन नहीं बढ़ाया जा सकता है; और

(ख) लाइनों की सामर्थ्य बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विशेष कर भोपाल और बीना के बीच, लेकिन बलहारशाह-काज़ीपेट सेक्शन में भी कठिनाई का अनुभव होता है ।

(ख) इस सेक्शन पर लाइनों की सामर्थ्य बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय गव्यशाला संधान (फेडरेशन)

*२४५२. **श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ से १७ सितम्बर, १९५५ तक बॉन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय गव्यशाला फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय गव्यशाला के सम्बन्ध में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १२ से १७ सितम्बर, १९५५ तक बॉन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय गव्यशाला फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन की कार्यावलि में अनेक मदें रखी गयी थीं । भारतीय गव्यशाला के लिये विशेष रुचि का विषय "उष्णप्रदेशीय गव्यशाला" था ।

उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर वास्तव में विचार-विमर्श किया गया था, भारतीय शिष्टमण्ल के भारत लौट आने और सरकार को अपना प्रतिवेदन देने के पश्चात् ही पूरे विवरण का पता लग सकेगा ।

भैषजिक

*२४५३. **श्री के० के० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अब से आगे समस्त पंजीबद्ध कम्पौंडरों (संयोजकों) को "भैषजिक" नामोदिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय भैषजिक परिषद् से इस सम्बन्ध में राय ले ली गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) भारत सरकार के अन्तर्गत आने वाले हस्पतालों, औषधालयों, आदि में काम करने वाले और भैषजालय अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत पंजीबद्ध समस्त कम्पौंडरों (संयोजकों) को भारत सरकार ने भैषजिक नामोदिष्ट करने का निश्चय किया है;

(ख) जी, नहीं ।

मिट्टी संरक्षण योजनायें

*२४५४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में किन-किन राज्यों को मिट्टी संरक्षण योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने ऐसी सहायता मांगी थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) आन्ध्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, हैदराबाद, पेप्सू, मैसूर, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, अजमेर और कच्छ ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) ऊपर लिखे हुए राज्यों के अलावा, विन्ध्य प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और अंडमान्स से वितीय सहायता के लिये योजनायें आई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस

*२४५६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिदिन एक और ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस चलाने के सम्बन्ध में अनेक अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). नहीं श्रीमान्; लेकिन दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस की बारम्बारता को सप्ताह में तीन बार से दैनिक कर देने क सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । जांच करने से पता लगा है कि इंजिन-डिब्बों आदि की उपलब्धता और लाइनों की सामर्थ्य को देखते हुए इस समय ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

अंशदायी चिकित्सा योजना

*२४५७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगी जिस में ये बात बताई गई हों कि :

(क) जून, १९५४ से, जब कि यह योजना प्रारम्भ की गई थी, अब तक अंशदायी चिकित्सा योजना के अन्तर्गत खरीदी गई विभिन्न दवाइयों के नाम, मात्रा और मूल्य क्या हैं;

(ख) प्रामाणिक प्रकार की ही वस्तुएं खरीदी जाय, इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) कितने मामलों में दवाइयों की परीक्षा प्रयोगशालाओं में की गई थी और उस का परिणाम क्या हुआ था; और

(घ) प्रामाणिक दवाइयां न खरीदने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) प्रसिद्ध फर्मों से टेन्डर मांग कर यह दवाइयां खरीदी जाती हैं। जो दवाइयां खरीदी जाती हैं वे भी प्रसिद्ध फर्मों की होती हैं। अधिक सावधानी के लिये दवाइयों को खरीदने से पहले औषधि अधिनियम, १९४० की धारा १९ (३) के अन्तर्गत दवाइयों के गुणों के सम्बन्ध में अध्याभूति ले ली जाती है।

(ग) दो; प्रत्येक प्रयोगशाला की परीक्षा में सफल निकली।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मीटर गेज लाइन का बदला जाना

*२४५८. **श्री लक्ष्मय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी महाखंड में मीटर गेज (सकरी लाइन) के किसी भी मार्ग को ब्रांड गेज (बड़ी लाइन) में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन मार्गों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस परिवर्तन के लिये किन-किन बातों पर विचार किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां; अभी तक केवल एक मार्ग— रेनीगुंटा-गुडूर को बदला जा रहा है।

(ग) इस मार्ग को मीटर गेज से ब्रांड गेज में बदले जाने के कारण कार्यसम्बन्धी हैं।

रेलवे स्लीपर (शहतीरें)

*२४५९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों द्वारा कंकरीट स्लीपरों की कोई परीक्षा ली गई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त परिणामों के आधार पर ऐसे स्लीपरों का एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना उचित नहीं; तथापि परीक्षायें जारी हैं।

प्लेट फार्मों का ऊंचा किया जाना

*२४६०. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के बेतूल-जबलपुर मार्ग पर स्थित कई प्लेटफार्म विचार में हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऊंचे किये गये अथवा किये जाने वाले प्लेटफार्मों की संख्या कितनी है तथा उन स्टेशनों के नाम क्या हैं; तथा

(ग) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन के प्लेटफार्म ऊंचे करने का प्रस्ताव द्वितीय योजनावधि में है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रथम योजनावधि में मदन महल तथा गोटेगांव नाम के दो स्टेशनों के प्लेटफार्म ऊंचे किये गये ।

(ग) द्वितीय योजनावधि में प्लेटफार्म ऊंचे किये जाने विषयक प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

काज़ीपेट–मचेरला–नल्लोर रेल सम्पर्क

*२४६१. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित काज़ीपेट-मचेरला-नेल्लोर मार्ग के सर्वेक्षण के लिये आदेश दिये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं; तथा

(ग) इस मार्ग पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) द्वितीय योजनावधि में काज़ीपेट-नेल्लोर मार्ग के निर्माण की सिफारिश आन्ध्र सरकार द्वारा नहीं की गई । इस मार्ग के निर्माण विषयक प्रस्ताव, की बेजवाड़ा, गुडूर मार्ग को दोहरा करने के विकल्प के रूप में, कार्यसम्बन्धी कारणों पर, परीक्षा की जा रही है । काज़ीपेट-नेल्लोर मार्ग के किसी प्रकार के सर्वेक्षण को स्वीकृति अब तक नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नदियों द्वारा परिवहन

*२४६३. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदियों द्वारा परिवहन के विकास की योजनाओं का, जो द्वितीय योजनावधि में क्रियान्वित होंगी, स्वरूप क्या है; तथा

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है । प्रमुख जलमार्गों को गहरा और चौड़ा कर तथा प्रमुख नदी घाटों का विकास और नौपरिवहन साधनों में सुधार कर प्रमुख जलमार्गों की नौपरिवहनता के सुधार का प्रावधान योजना में रखने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, हां ।

सहकारी संस्था

*२४६४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के आदिम जाति क्षेत्रों के लिये स्वीकृत सहकारी संस्था योजना क्या है;

(ख) स्वीकृत अनुदान की राशि कितनी है;

(ग) इस राशि का उपयोग अब तक किस तरीके से किया गया है;

(घ) क्या किसी सहकारी बैंक को सरकारी सहायता लेने से रोका गया है; तथा

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ). विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १८]**

चावल के लिये मूल्य निर्धारण योजना

*२४६५. **श्री संगण्णा :**
श्री राधा रमण :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य निर्धारण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने चावल और धान खरीदना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उन राज्यों द्वारा कितनी खरीद की जायेगी; तथा

(घ) सूखा पड़ने की स्थिति में यदि चावल के मूल्य में वृद्धि हुई तो राज्य सरकारों पर उस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) श्रीमान्; अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कितना चावल खरीदा जायेगा इस ओर संकेत करना कठिन है, क्योंकि मूल्य निर्धारण योजना के अन्तर्गत, खरीद तभी की जा सकेगी जब छोटे चावल का मूल्य ११ रुपये प्रति मन से नीचे गिरता हो ।

(घ) यदि किसी राज्य में सूखे के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से चावल के मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है तो उस राज्य में मूल्य निर्धारण योजना के अन्तर्गत कोई खरीद न की जायेगी । किन्तु दूसरी ओर चावल के मूल्य कम करने के लिये सरकार अपने केन्द्रीय संचित स्टाक से चावल देगी ।

चावल की पौष्टिकता

*२४६६. **श्री देवगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल की पौष्टिकता के बारे में अभी हाल में किये गये अध्ययन से यह बात प्रकाश में आई कि चावल का आहार बहुत से लोगों के अंधेपन के लिये उत्तरदायी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में में किये गये अनुसन्धान कार्य का प्रकाशन, जनसाधारण के लाभ के लिये, सरकार द्वारा सभी प्रादेशिक भाषाओं में किया जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अंधता को लेकर, चावल की पौष्टिकता के बारे में अभी हाल में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस

*२४६७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री ४ मार्च, १९५५ को १९५५-५६ के रेलवे आय-व्ययक पर हुई चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस को मेल ट्रेन में परिवर्तित कर उस की गति बढ़ाने के बारे में तब से कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस तिथि से कार्यान्वित किया जायेगा; तथा

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १९]**

रेल दुर्घटना

*२४६८ **श्री जनार्दन रेड्डी :**
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० सितम्बर, १९५५ को अचनेरा जाने वाली कासगंज-अचनेरा अप मालगाड़ी उत्तरपूर्वी रेलवे के रतिकानगला तथा हाथरस जंक्शन के बीच गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुई; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १०-९-१९५५ को, प्रातः १० बज कर १० मिनट पर, जब कि नं० १ अप मालगाड़ी, उत्तरपूर्वी रेलवे के रतिकानगला-हाथरस मार्ग के कासगंज-अचनेरा मार्ग पर चल रही थी, तब उक्त गाड़ी के ५ डिब्बे और एक ब्रेक वैन पटरी से उतरकर उलट गये तथा २ डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) एक डिब्बे के सोलबार में खराबी होने के कारण उस का सोलबार फ्लेंज टूट गया तथा फलस्वरूप गाड़ी पटरी से उतर गई ।

नगर-स्वास्थ्य दल

***२४६९. श्री के० के० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय आपात निधि तथा कलकत्ता कारपोरेशन ने सम्मिलित रूप से कलकत्ते में नगर-स्वास्थ्य-एकक की स्थापना पर विचार किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो योजना के विवरण, जिन में कुल अनुमानित व्यय तथा उपर्युक्त प्रत्येक पक्ष का योगदान सम्मिलित है, क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २०]**

डाकीय जीवन बीमा निदेशालय, कलकत्ता

***२४७०. श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित डाकीय जीवन बीमा निदेशालय कार्यालय के कर्मचारियों को बरखास्त किये जाने की नोटिस दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; तथा

(ग) सरकार उन्हें खपाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है अथवा विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) स्थायीकरण के लिये आयोजित परीक्षाओं में वे अनुत्तीर्ण हुए, यहां तक कि प्रदत्त अतिरिक्त अवसरों का, वे लाभ न उठा सके ।

(ग) इन कर्मचारियों के लेखा परीक्षा से डाक और तार विभाग के नियंत्रण म आने से पूर्व जो नियम जारी हैं, उन के अनुसार यदि वे

स्थायीकरण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते तो वे नौकरी से निकाले जा सकते हैं ।

गुंटाकल–बंगलौर रेल सम्पर्क

*२४७१. **श्री लक्ष्मय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटाकल-बंगलौर मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने के लिये जनता से किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव उचित नहीं समझा गया क्योंकि उस से, खंडवा-हिंगोली रेल मार्ग निर्माण कर उत्तर और दक्षिण मीटर गेज रेल व्यवस्थाओं को जोड़ने का उद्देश्य ही असफल हो जाता ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

*२४७२. **श्री कामत :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था कर्मचारी संघ द्वारा २० सितम्बर १९५५ से हड़ताल करने की नोटिस दी गई;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; तथा

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ऐसी नोटिस दी गई थी किन्तु वापिस ले ली गई है ।

(ख) कर्मचारीवृन्द के वर्गीकरण के आधार पर छंटनी करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव हड़ताल का प्रमुख कारण था ।

(ग) यह निश्चय किया गया है कि छंटनी वर्गीकरण के आधार पर नहीं, किन्तु जो सब से बाद में आया वह सब से प्रथम जायेगा इस आधार पर होगी ।

दिल्ली सर्किल में नियुक्तियां

*२४७३. **श्री थानू पिल्ले :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग म नौकरी के लिये मद्रास के आवेदकों को दिल्ली सर्किल द्वारा इस कारण अस्वीकृत किया जाता है कि उन्होंने भूगोल का अध्ययन नहीं किया होता है; तथा

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास की पाठशालाओं में भूगोल "सामाजिक अध्ययन" के रूप में पढ़ाया जाता है, तथा इस प्रकार की अर्हता को मद्रास सर्किल द्वारा मान्यता दी जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, कुछ मामलों में क्योंकि उम्मीदवारों ने यह उल्लेख नहीं किया कि "सामाजिक अध्ययन" में भूगोल भी शामिल है ।

(ख) जी, हां । दिल्ली तथा अन्य सर्किलों को, ऐसे आवेदनपत्र स्वीकृत करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं ।

धोखाधड़ी

१३०१. **श्री इब्राहीम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में सार्वजनिक धन का व्यपहरण अथवा गबन करने के लिये प्रत्येक सर्किल में डाक विभाग के

कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) इन में ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है जिन में अपराध सिद्ध हुआ ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी का एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

सर्किल का नाम	मुकदमों की संख्या		सिद्ध अपराधों की संख्या	
	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५३–५४	१९५४–५५
आसाम . . .	२२	२४	५	२
उड़ीसा . . .	१९	६	७	—
उत्तर प्रदेश . . .	४४	४४	१७	११
आंध्र . . .	१४	७	५	५
पंजाब . .	२६	२२	२१	१३
मद्रास . . .	१०३	३४	३९	६
मध्य (नागपुर) . .	१५	३	४	१
बम्बई . .	३४	३२	१०	१५
पश्चिम बंगाल . .	४०	४६	२९	३५
बिहार . . .	३८	५३	७	५
दिल्ली . . .	११	४	५	—
राजस्थान . . .	३	१५	१	२
हैदराबाद . . .	२३	४२	—	४

नाविक

१३०२. श्री इब्राहीम : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अधिकारांतर्गत जहाजों में सेवायोजित नाविकों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उन में भारतीयों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४३३५ ।

(ख) ३३६२ ।

डाक्टरों का प्रशिक्षण

१३०३. श्री इब्राहीम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अस्पतालों में विशेष प्रशिक्षण पाने के लिये विगत १९५३ से अब तक विदेश

भेजे गये भारतीय डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) उन में महिला डाक्टरों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) जिन देशों में वे भेजे गये उन के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १०१ ।

(ख) १३ ।

(ग) ब्रिटेन, अमरीका, कैनडा, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नार्वे, हालैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यगोस्लाविया, फिनलैंड तथा आस्ट्रिया ।

रेल दुर्घटना

१३०४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जुन १९५५ को राजकोट-सूरत-खारनगर लाइन पर शाम के ३ बजे, ६७५ अप फास्ट मिक्सड ट्रेन के ११ डिब्बे और एक ब्रेक का डिब्बा पटरी से उतर गये और उलट गये; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में हताहतों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १३-६-५५ को दिन के लगभग २ बज कर ५० मिनट पर जब ६७५ अप फास्ट मिक्सड गाड़ी पश्चिम रेलवे के राजकोट-सुरेन्द्रनगर मीटर लाइन के रामपरडा और मुली रोड स्टेशनों के बीच जा रही थी, उस के सब से पीछे वाले ११ माल-डब्बे और एक ब्रेक-वान पटरी से उतर गये । इन में से ६ माल-डिब्बे उलट गये ।

(ख) न कोई मरा और न घायल हुआ ।

मृग-वन

१३०५. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन्य पशुओं की रक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के किन-किन स्थानों पर मृग-वन स्थापित किये गये हैं ;

(ख) योजना आयोग ने इस काम के लिये कितनी राशि निर्धारित की है; और

(ग) राजस्थान में अभी तक कितनी राशि इस पर खर्च की जा चुकी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी०एस० देशमुख) : (क) सूचना इस प्रकार है :

राज्य का नाम	मृग-वन
१. मद्रास . .	नीलगिरी ज़िले में मदुमलाई मृग-वन ।
२ अजमेर	टोडगढ़ रेञ्ज जंगल में डाडलिया मृग-वन ।
३. पेप्सू . .	पटियाला ज़िले में नौ मृग-वन ; कपूरथला में एक; और संगरूर ज़िले में एक मृग-वन ।
४. आसाम .	शिवसागर ज़िले में दो; कामरूप ज़िले में एक; दगरांग ज़िले में एक ; उत्तर लखीमपुर ज़िले में एक; और नवगांव ज़िले में एक मृग-वन ।

५.	हैदराबाद . .	वारंगल ज़िले में दो; और मादक ज़िले में एक मृग-वन ।
६.	उड़ीसा . .	पुरी डिवीजन में दो; आंगुल डिवीजन में एक; बरपहाड़ डिवीजन में एक मृग-वन ।
७.	बिहार . . .	हज़ारीबाग ज़िले में दो; सिंघभूम ज़िले में तीन; और पालामऊ ज़िले में एक मृग-वन ।
८.	पंजाब . . .	गुरदासपुर ज़िले में एक, शिमला ज़िले में एक; हिसार ज़िले में एक; अमृतसर ज़िले में एक; और कांगड़ा ज़िले में एक मृग-वन् ।
९.	विन्ध्य प्रदेश .	पन्ना डिवीजन में एक; और रीवा डिवीजन में एक मृग-वन ।
१०.	पश्चिमी बंगाल . .	कूच बिहार ज़िले में एक ; जलपाईगुड़ी ज़िले में दो; दार्जिलिंग ज़िले में एक; और चौबीस परगना में एक मृग-वन ।
११.	मैसूर . . .	बांदीपुर मृग-वन और जग्गर घाटी का मृग-वन ।
१२.	मनीपुर . .	इम्फाल के दक्षिण-पश्चिम की ओर कोबुल लाम जाओ मृग-वन ।
१३.	उत्तर प्रदेश . .	सहारनपुर फारेस्ट डिवीजन में एक; देहरादून फारेस्ट डिवीजन में एक; पिलंग में एक; जंगला और हर्सिल में एक; पाटनगनी में एक; यमनोत्री में एक ; ओब्रेज़िड़ में एक; और कुमाऊं ज़िले में एक मृग-वन ।
१४.	त्रावनकोर-कोचीन	कोट्टयम ज़िले में परियर मृग-वन ।
१५.	जम्मू और काश्मीर	काश्मीर डिवीजन में चार; और जम्मू डिवीजन में एक मृग-वन ।
१६.	कुर्ग	एक मृग-वन, जिस में पूरा एर्केरी हलघाट और नालखेड़ी परिरक्षित वन शामिल हैं ।
१७.	राजस्थान	कोटा डिवीजन में एक; जयपुर डिवीजन में एक; और भरतपुर डिवीजन में तीन मृग-वन ।
१८.	बम्बई .	उत्तर कन्नड़ ज़िले में डांडेली मृग-वन स्थापित किया जा रहा है ।
१९.	मध्य प्रदेश .	मंडला ज़िले में एक; और चांदा ज़िले में एक मृग-वन ।

(ख) और (ग). यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन मृग-वनों को राज्य सरकारों ने अपने ही खर्च पर स्थापित और पोषित किया है ।

रेलों पर दूध का संभरण

१३०६. श्री राघवैय्या : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रेलों पर दूध मुहैया करने की व्यवस्था के लिये टेंडर स्वीकार करने के सिलसिले में सरकार ने एक आज्ञा निकाली है कि सहकारी दुग्ध संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये;

(ख) क्या किसी शाकाहारी उपाहार-गृह को राज्य भर में दूध मुहैया करने के टेके देने के बारे में आन्ध्र राज्य सरकार से कुछ कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जोरहाट

१३०७. श्री विमला प्रसाद चालिहा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कुछ व्यवसायों के प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम हटा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यवसायों के ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) उन व्यवसायों की सूची यह है— (१) गृह-निर्माण करने वाले (२) नक्शा नवीसी (ड्राफ्टसमैन) (मैकेनिकल), (३) मिस्त्री (मैकेनिक) (आई० सी० ई०) (४) ढ़लाई, (५) नमूना तैयार करने वाले (प्रतिरूपिकी), (६) स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी में आशुलेखन) । यह सभी पिछले सत्र में चालू थे, पर अगस्त १९५४ से शुरू होने वाले सत्र से हटा दिये गये हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन

१३०८. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने संभवतः अक्तूबर, १९५५ में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय कर लिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : अक्तूबर, १९५५ में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय औपचारिक निमंत्रण प्राप्त होने पर ही किया जायगा । अभी तक कोई आमंत्रण नहीं मिला है ।

डेरागोपीपुर पुल

१३०९. श्री हेम राज : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने १९५३, १९५४ और १९५५ के वर्षों में पंजाब सरकार को डेरागोपीपुर पुल बनाने के लिये कितना कितना अनुदान दिया है और वर्ष १९५६ में कितना अनुदान देने का प्रस्ताव है; और

(ख) पंजाब सरकार ने इस में से हर वर्ष कितने धन का उपयोग किया है और कितना धन अनुपयुक्त रह गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जुलाई, १९५४ में, राज्य के बंटवारे के अन्तर्गत केन्द्रीय मार्ग निधि में से पुल की अनुमित लागत का ६० प्रतिशत भार वहन

करने की स्वीकृति दी गई थी, जो अधिक-से-अधिक १८ लाख तक हो सकती थी । इस अनुमोदन के बल पर, राज्य के बंटवारों में निधि की सुलभता को देखते हुए ही राज्य सरकार खर्च कर सकती है । भारत सरकार कोई भी वार्षिक अनुदान नहीं करती ।

राष्ट्रीय राजपथ--मध्य प्रदेश

१३१०. श्री कामत : क्या **परिवहन** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे , जिस में मध्य प्रदेश के मौजूदा और आजकल बनने वाले राजपथों का ब्यौरा दिया गया हो ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : मध्य प्रदेश के मौजूदा राजपथों के विवरण के साथ एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २१**] । मध्य प्रदेश में कोई भी नये राजपथ निर्मित नहीं किये जा रहे हैं ।

कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुविधायें

१३११. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार का डाक तथा तार विभाग की चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में पानी के अलग अलग नल और संडास लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केवल दिल्ली और नई दिल्ली के चौथी श्रेणी के क्वार्टरों में पानी के अलग-अलग नल लगवाने का एक प्रस्ताव है । लेकिन अलग अलग संडास बनवाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ।

(ख) हाल ही में, सरकार ने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के केवल दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित क्वार्टरों में नल लगवाने के प्रस्ताव को मान लिया है, और, जितनी जल्दी संभव होगा, उन के लग जाने की आशा है ।

(ग) डाक तथा तार विभाग द्वारा अपनाये गये निवासस्थान के मान वही हैं जो कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के हैं । इन मानकों में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के मकानों में अलग अलग संडासों की सुविधा शामिल नहीं ।

अलग से कार्य कराने का पारिश्रमिक

१३१२. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलग से कुछ निश्चित कार्य करने के लिये रखे गये संदेशवाहक कर्मचारियों को अलग से कार्य कराने का जो पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया है उस को महंगाई भत्ता निश्चित करने के लिये पहली दिसम्बर, १९५४ से पूरे वेतन का हिस्सा मान लिया गया है, और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पहली जनवरी, १९४७ से नहीं; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, यह सुविधा पहली दिसम्बर, १९५४ से ही मंजूर की गई है, लेकिन यह सही नहीं है कि केन्द्रीय वेतन आयोग ने पहली जनवरी, १९४७ से उसे मंजूर करने की सिफ़ारिश की थी ।

(ख) पहले प्रश्न के उत्तर के बाद, यह प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

१३१३. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि चौथी श्रेणी के वे कर्मचारी जो १९४७ में चपरासियों के

मकानों में भर दिये गये थे, उन्हें आजकल अलग से मकान नहीं मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सदस्य शायद उस प्रथा का जिक्र कर रहे हैं जिस में चौथी श्रेणी के दो कर्मचारियों को चपरासियों की तरह का एक ही मकान दे दिया जाता था। यह प्रथा देश के विभाजन के समय और उस के बाद निवासस्थानों की भारी कमी की परिस्थिति में चलाई गई थी। जैसे ही इन मकानों में एक साथ रहने वाले कर्मचारियों के लिये निवास-स्थानों का प्रबन्ध हो जायेगा, इस प्रथा को समाप्त कर दिया जायेगा।

टेलीफोनों की सुविधा

१३१४. श्री कामत : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन रेलवे स्टेशनों पर भी टेलीफोन लगवाने का विचार है जिन पर कि अभी भी जनता टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय रेल के इटारसी, पिपरिया, गाडरवाड़ा, करेली और नरसिंहपुर स्टेशनों पर भी टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमान्; यदि उन के उचित कारण मौजूद हों।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के मामले

१३१५. श्री देवगम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ के दौरान, अभी तक उत्तर रेलवे के विशेष पुलिस संस्थापन ने भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) ऐसे कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) एक मामले के निपटानें में कितना समय लगता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :

(क)	
१९५४–५५	१९५५–५६ (२२–९–५५ तक)
४०	२६

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का अर्थ स्पष्ट नहीं। अब तक ६६ मामले चले हैं। उन में से ४० की जांच-पड़ताल हो रही है, २० को न्यायालय में भेज दिया गया है, ४ को विभागीय कार्यवाही के लिये वापिस भेज दिया गया है; १ को स्थानीय पुलिस के हाथों सौंपा गया है और १ के लिये अभियोग (दण्ड) की अनुमति मांगी जा रही है।

डाक कर्मचारी

१३१६. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारी संस्कृतिक कार्यवाहियों में भाग लेने के अपराध में, सन् १९५२ से १९५४ तक की अवधि में, बर्खास्त हुए या नौकरी से हटा दिये गये थे;

(ख) क्या सन् १९५२ से १९५४ तक की अवधि में किसी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन को सक्रिय रूप से सहायता देने के अपराध में बर्खास्त किया गया या नौकरी से हटाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) (१) बर्खास्त किये गये—एक भी नहीं ।

(२) नौकरी से हटाये गये—एक भी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) (१) बर्खास्त किये गये—दो ।

(२) नौकरी से हटाये गये—आठ ।

रेलवे निरीक्षकालय

१३१७. श्री एस० सी० सामन्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल रेलवे निरीक्षकालय में कितने कर्मचारी काम करते हैं, और १९४७ के मुक़ाबिले में उन की संख्या में क्या घटा-बढ़ी हुई है; और

(ख) निरीक्षकालय ने १९५२ से अब तक प्रति वर्ष इन विषयों से सम्बन्धित कितने प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही की है :—

(१) मान्य परिमाणों का अतिलंघन;

(२) नई प्रकार के इंजिन चलाने की मंजूरी; और

(३) रेलवे इंजिन और डिब्बे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). लोक-सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं, जिन में मांगी गई सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २२]**

हैदराबाद में तार-घर

१३१८. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य के प्रत्येक तालुका (तहसील) हैडक्वार्टर में एक तार-घर खोला गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने स्थानों में अभी भी तार-घर खोले जाने हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) ९६ तहसीलों में से ७८ स्थानों पर तार-घर खोले जाने हैं । ५३ स्थानों पर तार-घर खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है और इस वर्ष २० और स्थानों की स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ।

श्रम न्यायाधिकारियों के समक्ष मामले

१३१९. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, १९५५ से जारी हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत देश में स्थापित श्रम-न्यायाधिकरणों के सामने, राज्यवार, केन्द्रीय राज्याधिकार क्षेत्र के कितने मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) इन मामलों के निबटाने में देर होने के क्या कारण हैं;

(ग) उन के अन्तिम रूप से निबटने में कितना समय लगेगा; और

(घ) कितने अवसरों पर भारत के मज़दूरों ने ऐसे न्यायाधिकरणों का बहिष्कार किया था, उन की राज्य-वार संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). पहली जनवरी, १९५५ को केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरणों में १३ मामले विचाराधीन थे । तब से अब तक २४ नये मामले पेश हुए हैं । पहले के १३ मामलों में से ८ और २४ नये मामलों में से ८ निबटा दिये गये हैं । संलग्न विवरण में अभी चलने वाले २१ मामलों का ब्यौरा दिया जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २३]**

(घ) सरकार के सामने ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं आये हैं ।

कर्त्तव्य-पालन में लापरवाही

१३२०. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली जून १९५५ को उत्तर-पूर्वी रेलवे के जीवधारा रेलवे स्टेशन के समीप, पहली श्रेणी के एक डिब्बे में पैसेन्जर (यात्री) रेल गाड़ी का एक ड्राइवर और मुज़फ्फरपुर के प्रादेशिक यातायात अधीक्षक के कार्यालय का एक क्लर्क—दोनों ताड़ी पी रहे थे, और फायरमैन ने ट्रेन चलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस मामले में कुछ कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). समस्तीपुर की सरकारी रेलवे पुलिस के अभियोजन निरीक्षक (अधिकारी) ने रिपोर्ट दी थी कि १–६–५५ को ५०५ अप का ड्राइवर जीवधारा स्टेशन के पास, प्रादेशिक यातायात अधीक्षक के कार्यालय के एक क्लर्क के साथ पहली श्रेणी के डिब्बे में ताड़ी पीता हुआ देखा गया था, और उस ने अपने फायरमैन को मोतीहारी तक ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी । इस सिलसिले में जांच-पड़ताल की जा रही है ।

रेलवे उपकरण और भंडार

१३२१. श्री बी० डी० शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में, विभिन्न देशों से आयात होने वाले उपकरण और भंडार का मूल्य क्या होगा;

(ख) ये मुख्यत: किन-किन देशों से आयात किये गये थे; और

(ग) क्या सरकार इस काम में लगी हुई फर्मों को विशेष सुविधायें देने के बारे में विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क)

१९५३–५४ . .	२५.६ करोड़ रुपये ।
१९५४–५५ . .	अभी तक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) इंगलिस्तान, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका और जापान ।

(ग) माननीय सदस्य का मतलब शायद उन फर्मों को सुविधायें देने से है जिन्होंने कि अभी तक भारत में आयात होने वाले रेलवे उपकरणों और भंडारों को देश में यहीं बनाने का काम शुरू किया है; यदि उन का यही मतलब है, तो यह निश्चित है कि ऐसी फर्मों को हर संभव प्रोत्साहन और रियायतें दी जायेंगी ।

रेल डिब्बों का कारखाना

१३२२. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री ३० अगस्त, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम् में जो कारखाना खोलने का विचार है, उस के लिये किन-किन देशों से मशीनें और अन्य पुर्ज़े आयात किये जायेंगे, और इन मशीनों का मूल्य क्या होगा;

(ख) रेल के डिब्बों को बनाने के लिये आवश्यक माल आयात करने के लिये किन देशों से प्रबन्ध किया जा रहा है;

(ग) क्या रेल के डिब्बे बनाने के वर्तमान कारखानों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने और नये कारखाने स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन की रूपरेखा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विदेशों से सामान मंगाकर माल-डिब्बे तैयार करने के लिये विशाखापत्तनम् में कारख़ाना खोलने का विचार नहीं है। यह काम ठेके पर कराया जायगा। डिब्बे बनाने के लिये ज़रूरी मशीनों और प्लान्ट का प्रबन्ध ठेकेदार करेगा।

(ख) विशाखापत्तनम् यार्ड में तैयार होने वाले माल-डिब्बों के सामान अमरीका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रिया और चैकोस्लोवाकिया से मंगाये जायेंगें।

(ग) जी हां।

(घ) रेल सामान समिति बनायी जा चुकी है, जो इस सम्बन्ध में सुझाव देगी कि किन कारख़ानों में काम नहीं हो रहा है और चालू कारख़ानों में काम किस तरह बढ़ाया जाय। इस समय रेल के जो कलपुर्जे, इंजन, डिब्बे आदि बाहर से मंगाये जाते हैं उन्हें अपने देश में तैयार करने के लिये नये उद्योग धन्धे शुरू करने के सम्बन्ध में भी समिति सुझाव देगी।

रेल का वस्तु-भाड़ा

१३२३. **श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते की मेसर्स बैजनाथ शारदा इंडिया ट्रेड कारपोरेशन, एस० लाल एण्ड कम्पनी लि०, बर्मा-शेल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इंडिया लि० १९५३–५४ में किदरपुर डाक में किस प्रकार अपना रेलवे-भाड़ा चुकाया करती थी;

(ख) क्या उपरोक्त में से किसी भी सार्थ से प्रतिभूति (ज़मानत) जमा करने को कहा गया था;

(ग) उन फ़र्मों (सार्थों) के नाम क्या हैं जिन से और भी जमानत मांगी गयी और इस अतिरिक्त ज़मानत की राशि कितनी थी;

(घ) क्या किसी सार्थ की प्रत्यम-पत्र की सुविधा वापस ले ली गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :

(क) सार्थों के नाम		रेलवे भाड़ा चुकाने का ढंग
मेसर्स	बैजनाथ शारदा . .	३–२–५४ तक प्रत्यय-पत्र द्वारा और उस के उपरान्त नग़द।
,,	इंडिया ट्रेड कारपोरेशन. .	'केवल वज़न' पद्धति के अन्तर्गत।
,,	एस० लाल एण्ड कम्पनी लि० .	प्रत्यय-पत्र द्वारा।
,,	बर्ड एण्ड कम्पनी लि० .	'केवल वज़न' पद्धति के अन्तर्गत।
,,	बर्मा-शेल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लि०	प्रत्यय-पत्र द्वारा।

(ख) जी हां।

(ग) साथों के नाम	अतिरिक्त जमानत की राशि
मेसर्स बैजनाथ शारदा	१,१०,४०० रुपये—अब घटा कर १८,२०० रूपये कर दी गयी है ।
मेसर्स एस० लाल एण्ड कम्पनी लि० .	१,०५,२५० रुपये अब घटा कर २७,१०० रुपये कर दी गयी है ।

(घ) और (ङ). मेसर्स बैजनाथ शारदा की प्रत्यय-पत्र की सुविधा वापस ले ली गयी थी क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त ज़मानत जमा नहीं की थी ; लेकिन अब कम की गयी अतिरिक्त ज़मानत जमा कर देने पर २५-८-१९५५ से उन को यह सुविधा फिर लौटा दी गयी है ।

रेल के डिब्बे

१३२४. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और ५५ में अब तक आयात की गयी रल गाड़ियों की संख्या क्या है; और

(ख) उन को चलाने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क)

१९५४ में . .	३४ बड़ी लाइन के	
	२८८ छोटी लाइन के	
कुल . .		३२२
१९५५ . .	१६ बड़ी लाइन के	
	११२ छोटी लाइन के	
कुल . .		१२८

(ख) १९५६ के मध्य तक ।

यात्री सुविधायें

१३२५. **श्री धूसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो गाड़ियां गोरखपुर और गोंडा के बीच में चलती हैं, उन के डिब्बों में प्रकाश और पंखों की व्यवस्था नहीं रहती;

(ख) क्या यह सच है कि इन गाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों के शौचालयों में पानी नहीं रहता ?

(ग) क्या यह भी सच है कि किसी भी स्टेशन पर शौचालयों को साफ करने के लिये भंगी नहीं मिलते; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । गोरखपुर या गोंडा से चलने से पहले सभी रेलों में पूरा पानी भर दिया जाता है ।

(ग) जी नहीं । गोरखपुर और गोंडा में डिब्बे साफ़ करने वाले और भंगी मिलते हैं । अोच के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी भंगी रहते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन्स

१३२६. श्री काजरोल्कर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों के वर्तमान बेड़े के आधुनिकीकरण के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रकार के आधुनिकीकर की योजना तैयार करने के लिये सरकार ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कोई निदेश दिये हैं;

(ग) नये विमान कब से और किन मार्गों पर चलने लगेंगे; और

(घ) यात्रियों के लिये सुरक्षा और आराम की व्यवस्था के निमित्त रात की वायु-डाक सेवा में सुधार के लिये सरकार का क्या क़दम उठाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार के अनुमोदन से इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने ५ 'वाइकाउन्ट' विमानों के लिये आर्डर दिया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५ और वाइकाउन्ट विमानों तथा डकोटा-विमानों का स्थान लेने के लिये उचित आकार के २८ मध्यम श्रणी के विमानों के क्रय की व्यवस्था भी कर ली गयी है ।

(ग) आशा है कि पहले ५ वाइकाउन्ट विमान १९५७ की दूसरी छमाही तक आ जायेंगेऔर ये विमान प्रमुख ट्रंक मार्गों और पड़ोसी देशों को जाने वाले मार्गों पर चलाये जायेंगे । अभी यह संकेत करना सम्भव नहीं कि दूसरे प्रकार के विमान कब मिलेंगे और कब काम में लाये जायेंगे ।

(घ) रात की हवाई-डाक सेवा स्काई-मास्टर विमानों के साथ चलाने का विचार है। इसलिये कारपोरेशन ने इस प्रकार के उन तीन विमानों के अलावा ऐसे ही तीन विमान और प्राप्त कर लिये हैं, जो उस के पास पहले से ही थे ।

डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र

१३२७. श्री के० सी० सोधिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में अब तक कितने नये प्रशिक्षण और शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) वे किन स्थानों पर खोले गये हैं; और

(ग) ऐसे कुल कितने केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) निम्नलिखित अन्य केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है :—

१. डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र	४
२. डाक प्रशिक्षण कक्षाएं	१४
३. टैलीफ़ोन मैकेनिकों, निरीक्षकों तथा वायरमैनों के लिये प्रशिक्षण कक्षाएं	३
४. हिन्दी मोर्स प्रशिक्षण कक्षा	१
५. टेलीफ़ोन आपरेटरों की प्रशिक्षण कक्षाएं	२
कुल योग	२४

इम्फाल नगर कोष निर्वाचन

१३२८. श्री रिशांग किशिंग : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने इम्फाल नगर कोष के निर्वाचन के लिये निर्वाचक-नामावली तैयार करने का काम पूरा कर लिया है;

(ख) ये निर्वाचन किस समय होंगे; और

(ग) इम्फाल नगर कोष में कौन कौन से क्षेत्र और स्थान सम्मिलित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, १९५५ में ।

(ग) इम्फाल नगर कोष में ये क्षेत्र और स्थान सम्मिलित किये गये हैं :

(१) इन सीमा रेखाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र : भारत-बर्मा रोड पर राइफल रेंज के नुक्कड़ से शुरू होकर डी० एम० कालेज की पश्चिमी और उत्तरी सीमा रेखा के सहारे-सहारे राइफल रेंज रोड और थंगमीबंद रोड के संगम तक, वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर नागा नाले और नम्बुल स्रोत थंगमीबंद रोड के सहारे सहारे कीसमथोंग पुल तक, फिर पूर्व की ओर मुड़कर और कीसमथोंग रोड के सहारे सहारे भारत-बर्मा रोड के साथ उस के संगम तक; वहां से सीधे इम्फाल नदी पार कर और प्रासाद की चहारदीवारी के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक; वहां से पूर्व की ओर प्रासाद की दक्षिणी और पूर्वी चहारदीवारी के सहारे-सहारे येरिपक रोड के साथ प्रासाद की पूर्वी चहारदीवारी के संगम तक; वहां से उत्तर की ओर उखरूल रोड से येरिपक रोड के संगम तक; येरिपक रोड, उखरुल रोड और भारत-बर्मा रोड के संगम से ले कर फिर राइफल रेंज रोड के संगम तक ।

(२) उरिपक में जिला और सत्र न्यायाधीश, उपन्यायाधीश तथा मुंसिफ के न्यायालय का अहाता ।

(३) सिंगजामेई बाज़ार ।

(४) निपाकेइथल ।

संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल १.२ वर्ग मील है।

उड़ीसा में केन्द्रीय गोदाम

१३२९. श्री संगण्णा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उड़ीसा के केन्द्रीय गोदामों के सम्बन्ध में गत १० सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस योजना का परित्याग कर दिया गया है, अथवा उस पर कार्य हो रहा है;

(ख) यदि इस योजना पर कार्य हो रहा हो तो उस में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उड़ीसा में सूखे की स्थिति का इस योजना से कुछ भी सम्बन्ध है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) इस योजना पर काम हो रहा है ।

(ख) खुर्दा रोड और खरियार रोड पर, १५ हज़ार टन सामर्थ्य वाले दो गोदामों के निर्माण के लिये उचित भूमि प्राप्त कर ली गयी है और व्यय के अनुमान भी तैयार कर लिये गये हैं । कोरापुर और चांदबली में भी २० हज़ार टन सामर्थ्य के गोदामों के निर्माण के लिये उचित भूमि अंतिम रूप से पसन्द कर ली गयी हैं और इन्हें प्राप्त किया जा रहा है । बरहामपुर और बालासोर में क्रमशः २० और ४० हज़ार टन सामर्थ्य के गोदामों के निर्माण के लिये उचित स्थान पसन्द करने का काम अभी किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन

१३३०. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के सभी केन्द्रीय संगठनों के नाम क्या हैं और ३१ मार्च १९५५ को इन में से प्रत्येक की सदस्य-संख्या कितनी थी; और

(ख) ऐसे स्वतंत्र कार्मिक संघों की सदस्य-संख्या कितनी है, जो किसी केन्द्रीय श्रम संगठन से सम्बद्ध नहीं हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) श्रमिकों के मुख्य अखिल भारतीय केन्द्रीय संगठन इस प्रकार हैं :—

(१) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (भारत का राष्ट्रीय कार्मिक संघ);

(२) हिन्द मज़दूर सभा;

(३) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (अखिल भारतीय कार्मिक संघ); और

(४) यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस (संयुक्त कार्मिक संघ) ।

३१ मार्च, १९५५ को इन की सदस्य-संख्या कितनी थी, इस के प्रमाणिक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

रेल के इंजिन

१३३१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी और ३१ अगस्त, १९५५ के बीच भारत में कितने रेलवे इजिनों का निर्माण हुआ और कितने इंजिन भारतीय रेलवे को दिये गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :

	बड़ी लाइन	छोटी लाइन	योग
निर्मित	८२	३५	११७
दिये गये	७५	३०	१०५

रेल के डिब्बे

१३३२. श्री वोडयार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ (अब तक) में बंगलौर के हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट्स लिमिटेड में छोटी लाइन के कितने डिब्बों का निर्माण हुआ; और

(ख) उन में से कितने डिब्बे मैसूर राज्य में काम में लाये गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) एक भी नहीं । हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट्स लिमिटेड इस समय बड़ी लाइन के तीसरे दर्जे के इस्पात के डिब्बे तैयार करने में लगा हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना

१३३३. श्री के० के० दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना के प्रवर्तन के बाद से उस की सहायता के लिये कितने अनुदान दिये गये;

(ख) क्या उपरोक्त योजना सरकार ने चलायी है;

(ग) उस का व्यय किस प्रकार पूरा होता है; और

(घ) संगठन के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) राजकुमारी क्रीड़ा-शिक्षा योजना के लिये अब तक ये अनुदान दिये गये हैं :

१९५३–५४ में	७५,००० रुपये
१९५४–५५ में	२,००,००० रुपये
१९५५–५६ में	२,००,००० रुपये

चालू वित्तीय वर्ष के अन्त के पहले १ लाख की एक और राशि मजूर की जायेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) समय-समय पर मिलने वाले सरकारी अनुदानों मे;

(घ) ये नाम हैं :—

१. स्वास्थ्य मंत्री	सभापति
२. सेनापति	सदस्य
३. श्री वी० के० बी० पिल्ले (स्वास्थ्य मंत्रालय)	सदस्य
४. श्री एस० रत्नम् (वित्त मंत्रालय)	सदस्य
५. श्री वी० शंकर	सदस्य
६. श्री कृष्ण प्रसाद	सदस्य
७. डा० देवराज नारंग	सदस्य
८. श्री वी० पी० नायर, संसद् सदस्य	सदस्य
९. श्री जयपाल सिंह, संसद् सदस्य	सदस्य
१०. श्री जेड० आर० ईरानी, ए० सी० ए०	अवैतनिक कोषाध्यक्ष
११. श्री ए० एस० डिमेलो	अवैतनिक सचिव

नई रेलवे लाइन

१३३४. श्री संगण्णा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गुनुपुर-रायगडा रेलवे लाइन को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिये नयी लाइनें चुनते समय इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

१३३५. श्री संगण्णा : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक में १ सितम्बर, १९५५ से एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय के कुछ अंश को विदेशी सरकारें और राज्य सरकारें भी वहन करेंगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां । १ सितम्बर, १९५५ को भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के एफ० ए० ओ० के संयुक्त तत्त्वावधान में चावल उगाने के द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन, केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था कटक में किया गया था ।

(ख) इस केन्द्र में चावल उगाने तथा चावल में सुधार करने से सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रयोग के सिद्धान्तों तथा टेकनीक में विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है । प्रशिक्षण क्षेत्रीय प्रयोग कार्य तथा गोष्ठी का कार्य ऊंची अर्हता प्राप्त प्राध्यापकों द्वारा ही किया जाता है ।

यह पाठ्यक्रम उन पदाधिकारियों के लिये है जो कि चावल की किस्मों के सुधार के प्रयोग कार्य में व्यावहारिक कार्य करेंगे । प्रशिक्षार्थियों को अपने खेत का नक्शा तैयार करने, उसे बोने, उस से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण तथा अन्य विशेष प्रयोगों को करने में स्वयं भाग लेना होगा ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल उगाने के कार्यक्रम के बड़े स्तर पर संगठन अच्छी किस्म के बीज के वितरण तथा किस्मों के

[डा० पी० एस० देशमुख]

विकास की प्रणाली का अध्ययन करने के लिय भारत के महत्वपूर्ण गवेषणा केन्द्रों की यात्रा भी सम्मिलित है ।

(ग) विदेशी सरकारें तथा राज्य सरकारें अपने द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों का अपने मुख्यालयों से कटक आन का यात्रा-व्यय तथा विभिन्न देशों में उन को दिये जाने वाले सामान्य वेतन के व्यय का भार वहन करेंगी ।

रेलवे साईडिंग

१३३६. श्री देवगम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बाड़ाजमदा-बराबील क्षेत्र में ६ रेकों (पूरी गाड़ी) को खड़ा करने के लिये पर्याप्त सार्वजनिक साईडिंग है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार बाड़ाजमदा नवामंडी और बराबील में एक रेक की क्षमता की एक और सार्वजनिक अयस्क चढ़ाने का साइडिंग देने का विचार कर रही है;

(ग) क्या सार्वजनिक अयस्क चढ़ाने वाले साईडिंग में सभी निर्यातकों तथा खान के मालिकों के लिये टाल का स्थान नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार बराबील के प्रत्येक निर्यातक को, मालगाड़ी के डिब्बों में अपना सामान लदवाने के पूर्व अयस्क जमा करने के लिये स्थान देगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) बाड़ाजमदा-बराबील और नवा-मंडी से माल भेजने की कुल क्षमता तीन रेकों तक सीमित है । इस बात को ध्यान में रख कर माल भेजने की क्षमता में वृद्धि करने से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

(ग) कुछ ऐसे निर्यातक तथा खानों के मालिक हैं जिन के पास बराबील सार्वजनिक अयस्क लादने वाले साईडिंग में कोई रेलवे का स्थान नहीं है । कुछ पट्टेदारों के पास जो कि वहां वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं एक से अधिक स्थान हैं क्योंकि तब आजकल की तरह स्थान की इतनी मांग नहीं थी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि बराबील में इस समय देने के लिये कोई स्थान रिक्त नहीं है ।

रेलवे लाइन का टूट जाना

१३३७. श्री अमजद अली : क्या रेलवे मंत्री उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां बोंगे गांव व अमीनगांव के बीच १९५१ से १९५५ के बीच रेल की लाइन का सिलसिला टूट गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (१) वर्ष १९५१ में किसी रेलवे लाइन का सिलसिला नहीं टूटा ।

(२) १९५२ में इन स्थानों में रेलवे लाइन का सिलसिला टूट गया था :—

(पहला) बोंगे गांव और छपरकता;
(दूसरा) छपरकता और बिजनी;
(तीसरा) सोरूपेट और पाठशाला;
(चौथा) टीहू और कैथलकूची; और
(पांचवां) घोघरापार और रांगिया ।

(३) १९५३ में रेलवे लाइन का सिलसिला नहीं टूटा ।

(४) १९५४ में लाइनों का सिलसिला इन स्थानों पर टूट गया :—

(पहला) सोरुपेट और पाठशाला के बीच;

(दूसरा) बरपेट रोड और सोरुपेट के बीच दो स्थानों पर;

(तीसरा) पातिलादह और बिजनी के बीच; और

(चौथा) बिजनी और छपरकता के बीच ।

(५) १९५५ में दो स्थानों, छपरकता और बिजनी के बीच रेलवे लाइन का सिलसिला टट गया ।

रेलवे बोर्ड

१३३८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से आदिवासियों का कोई प्रतिनिधि रेलवे बोड में लिया गया है ?

रेलव तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं ।

रेलवे उपकरण को क्षति

१३३९. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ सितम्बर, १९५४ को जनगांव में हुई रेल दुर्घटना में रेलवे उपकरण को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : रेलवे सम्पत्ति अर्थात् इंजिन, डिब्बे इत्यादि तथा स्थायी पटरी तथा पुल की कुल हानि लगभग ३,८०,५०० रुपये की हुई ।

बी० सी० जी० के टीके

१३४०. **श्री जनार्दन रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक राज्य में बी० सी० जी० के टीकों के कारण हुई जटिल बीमारियों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की एक तालिका नियुक्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम ह; और

(ग) विशेषज्ञों की इस तालिका का क्या कार्य होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). जी नहीं; किन्तु स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने सभी राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशकों को यह सलाह दी है कि वे उन के ध्यान में लाये गये अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित बी० सी० जी० के टीकों की जटिलताओं की जांच करने के लिये डाक्टरों की एक तालिका बना लें । उक्त प्रयोजन के लिये अब तक इन राज्यों ने विशेषज्ञों की एक तालिका बना ली है :—

(१) जम्मू तथा काश्मीर ।
(२) कच्छ ।
(३) हैदराबाद ।
(४) पैप्सू ।
(५) राजस्थान ।
(६) दिल्ली ।

बुकिंग का रोका जाना

१३४१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजपुर के सहायक यातायात निरीक्षक ने तेजपुर व्यापार मंडल को हाल में ही यह सूचना दी है कि रांगिया (आसाम) में मालगाड़ी के डिब्बों के जमा हो जाने के कारण तेजपुर-रांगिया लाइन पर कुछ समय के लिये बुकिंग बन्द कर देना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो मालगाड़ी के डिब्बों का जमाव हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

[श्री शाहनवाज़ खां]

(ख) रांगिया तेजपुर शाखा पर यातायात खुला रखने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां चलाई गई हैं ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट--धनबाद

१३४२. डा० रामा राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २४ जून, १९५५ को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के अधीन कितने श्रमिक चार महीनों की मूल मजूरी का बोनस प्राप्त करेंगे;

(ख) उन में से कितनों को बोनस दे दिया गया;

(ग) अब तक कितनी धन राशि दी गई;

(घ) पंचाट को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार उसे तत्काल कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). विवाद में अन्तर्ग्रस्त २४५ मैंगनीज़ की खानों के आंकड़े इकट्ठा करने में जो श्रम तथा समय व्यय होगा उस के स्वसानुरूप परिणाम नहीं होगा । और इस पंचाट पर अपील की गई है तथा यह मामला श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निलम्बित है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने पंचाट रोक दिया है ।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी

१३४३. श्री राधा रमण : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने जेनेवा में लीग आफ रेड क्रास सोसाइटीज़ से अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जी हां । इस अपील के फलस्वरूप राष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटियों से प्राप्त हुई । प्राप्त होने वाली डाक्टरी दवाइयों तथा नगद दान का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २५]

केन्द्रीय तार कार्यालय, नई दिल्ली

१३४४. डा० सत्यवादी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय तार कार्यालय को प्रति दिन औसतन कितने एक्सप्रेस पत्र प्राप्त होते हैं तथा उस द्वारा कितने वितरित किये जाते हैं;

(ख) इस कार्यालय में प्रतिदिन औसतन कितने साधारण तथा एक्सप्रेस तार आते हैं, तथा वहां से कितने वितरित किये जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एक्सप्रेस पत्रों को देने के लिये कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं नियुक्त किये जाते हैं तथा इस से तार सेवा की प्रवीणता पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सप्ताह के अन्य दिनों को २२४०, और रविवार को ३४७० ।

(ख) सप्ताह के अन्य दिनों को ३०३७ और रविवार को ४०० ।

(ग) एक्सप्रेस पत्रों को बांटने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं किन्तु उन का अनुपात क्रमशः ४० एक्सप्रेस पत्रों के लिये एक व्यक्ति तथा १ से २० तारों के लिये एक व्यक्ति होता है; किन्तु इस विषमता के कारण तारों के बांटने में बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है ।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

शास्त्री पंचाट

१३४५. **श्री तेलकीकर :** क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों को प्रथम श्रेणी स्तर का बनाने के सम्बन्ध में बैंकिंग समवायों तथा उन के कर्मचारियों के बीच हुए औद्योगिक विवाद पर शास्त्री पंचाट द्वारा उल्लिखित शर्तों में कुछ ढील दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थिति में ?

श्रम मंत्री (श्री खंडभाई देसाई) : (क) शास्त्री पंचाट में कुछ नगरों को प्रथम श्रेणी के क्षेत्र के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया है । न्यायाधिकरण ने अन्य नगरों को प्रथम श्रेणी के स्तर का बनाने के लिये कोई निर्देश नहीं दिये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे स्टेशन

१३४६. **श्री एम० एन० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे (ओ० टी० सेक्शन) के किन स्टेशनों पर पार्सल भेजने से प्रतिदिन सौ रुपया अथवा उस से अधिक आय होती है;

(ख) ऐसे सब स्टेशनों पर आने वाली और भेजी जाने वाली पार्सलों की दैनिक औसत संख्या क्या है;

(ग) किन-किन स्टेशनों के ड्यूटी रोस्टर इंटरमिटेंट समझे जाते हैं और किन किन के लगातार समझे जाते हैं; और

(घ) इस वर्गीकरण का आधार क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

डाक के डिब्बे

१३४७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक के डिब्बों की वर्तमान क्षमता आर० एम० एस० के कार्य को निपटाने के लिये पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डाक के डिब्बों के पुनर्निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बिल्कुल पर्याप्त तो नहीं है । कुछ विशेष प्रकार के डाक के डिब्बे कम हैं ।

(ख) सारी रेल गाड़ियों में डाक के डिब्बों का पुनर्विलोकन किया गया है तथा समस्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये अतिरिक्त डाक के डिब्बों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

पूर्व वृत्तान्त की रिपोर्टें

१३४८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के डाक विभाग में नियुक्त व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्व वृतान्तों के सत्यापन की रिपोर्टें प्रस्तुत करने में पुलिस को अधिकतम कितना समय लगता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सामान्यतः तीन से चार महीने तक का समय लगता है ।

शिकायतें

१३४९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार की यात्रा करने और माल भेजने वाली जनता द्वारा उठाई जाने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में हाल ही में उत्तर बिहार व्यापारी संघ ने जो ज्ञापन दिया था उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : यह ज्ञापन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। उत्तर बिहार की यात्रा करने और माल भेजने वाली जनता द्वारा उठाई जाने वाली अनेक असुविधाओं की, जिन का कि उपरोक्त ज्ञापन में उल्लेख है, जांच की गई है और इस बारे में जो कार्यवाही की गई है उस का पूरा हाल संलग्न विवरण में दिया हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २६]**

नई रेलवे लाइन

१३५०. श्री थानू पिल्ले : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानामदुरा से टुटीकोरिन तक रेलवे लाइन बनाने के लिये क्या टुटीकोरिन के वाणिज्य मंडल द्वारा भेजे गये कोई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना का परीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इसे आगामी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में नई लाइन बनाने के समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

(ग) अभी यह नहीं बताया जा सकता।

मानापद पुल

१३५१. श्री थानू पिल्ले : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुनलवेली जिले म मानापद पुल के सम्बन्ध में होने वाले काम की क्या प्रगति है;

(ख) क्या मानापद की पुल समिति ने कोई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत सरकार को मानापद पुल के बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं, क्योंकि वह इस से सम्बन्धित नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) अभ्यावेदन को मद्रास सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था।

केन्द्रीय सहायता-प्राप्त सड़कें

१३५२. श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से वर्ष १९५५–५६ में बिहार में किन किन सड़कों को बनाया जा रहा है या बनाने का विचार है;

(ख) इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में नई सड़कें बनवाने या उन में सुधार करने का है जिस से सीमा क्षेत्रों में चोरी-छिपे माल लाने-लेजाने को रोकने में सुविधा हो सके ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) इन योजनाओं के लिये कुल १,२९,८०,४२३ रुपये मंजूर किये गये हैं।

(ग) कोई ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं।

भर्ती

१३५३. श्री मुहीउद्दीन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद ने १९५३–५४ और १९५४–५५ में कितने उम्मीदवारों की परीक्षा ली;

(ख) कितने उम्मीदवारों को चुना गया; और

(ग) इन उम्मीदवारों में कितने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :

	*१९५३-५४	१९५४-५५
(क)	२,३१८	१२,५९४
(ख)	१,५८७	६,२२६
(ग) अनुसूचित जातियां	४८	२५६
अनुसूचित आदिम जातियां	५	६

*इलाहाबाद आयोग दिसम्बर, १९५३ में स्थापित किया गया था और आंकड़े दिसम्बर, १९५३ से मार्च १९५४ तक के हैं।

बिजली से चलने वाले इंजिन

१३५४. श्री एम० डी० जोशी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५५ तक विदेशों ने बिजली से चलने वाले कितने इंजिन मुहया किये;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) बिजली से चलने वाले कितने इंजिन आ चुके हैं;

(घ) इन इंजिनों की अधिकतम रफ्तार क्या है;

(ङ) किन किन रेलों पर इन से काम लिया जा रहा है; और

(च) प्रत्येक इंजिन का मूल्य क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सात ।

(ख) यूनाइटेड किंग्डम (इंगलिस्तान)

(ग) सात ।

(घ) सावधानी की दृष्टि से इन इंजिनों की अधिकतम रफ्तार ७५ मील प्रति घण्टा है; लेकिन ६५ मील प्रति घण्टे की अधिकतम रफ्तार से चलाने की अनुमति दी गई है ।

(ङ) केन्द्रीय रेलवे ।

(च) यूरोपीय बन्दरगाह पर जहाजी भाड़ा सहित ६३,८६५ पौंड ।

डाकीय जीवन बीमा पालिसी

१३५५. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकीय जीवन बीमा पालिसियों की किस्तों की दरें बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में निश्चय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाकीय जीवन बीमा-पालिसी

१३५६. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकीय जीवन बीमा, कलकत्ता के संचालक के कार्यालय में लगभग ३०० परिपक्व डाकीय जीवन

बीमा-पत्र पड़े हुए ह जिन को निबटाया नहीं जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे बीमा-पत्रों के सम्बन्ध में राशि बांटने वाले अधिकारियों, लेखा अधिकारियों, बीमा किये गये व्यक्तियों और कुछ प्रशासनीय कार्यालयों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है । उन को शीघ्र से शीघ्र निबटाने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जाती है कि इन में से अधिक को शीघ्र ही निबटा दिया जायेगा ।

डाकीय जीवन बीमा-पालिसी

१३५७. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक १९४७–५२ की अवधि के लिये डाकीय जीवन बीमा-पत्रों के सम्बन्ध में बोनस नहीं बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले को शीघ्रता से निबटाने के सम्बन्ध में पहले ही आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है ।

एक नये स्टेशन का खोला जाना

१३५८. श्री लक्ष्मय्या : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनन्तपुर और उंगालापल्ली के बीच एक फ्लैग (छोटा) स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में क्या अनन्तपुर की जनता की ओर सेकोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस फ्लैग (छोटे) स्टेशन को खोलने में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमित व्यय इस प्रकार है :—

पूंजी व्यय	४८,००० रुपय
आवर्तक व्यय	१२,६०० रुपय प्रति वर्ष ।

एक नये स्टेशन का खोला जाना

१३५९. श्री लक्ष्मय्या : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे की गुन्ताकल-बंगलौर लाइन के गुल्लापल्लायामू और खादरपेट स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) एक नये स्टेशन को खोलने के लिये क्या-क्या बातें आवश्यक होती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि न तो वाणिज्यिक आधार पर और न यात्रियों की दृष्टि से यह बात ठीक थी । किन्तु इस पर पुनःविचार किया जा रहा है ।

(ग) साधारणतया नये स्टेशन केवल तभी खोले जाते हैं जब वित्तीय दृष्टि से उन्हें ठीक समझा जाता है । इस के अलावा गैर देहाती सेक्शनों पर साधारणतया उस स्थान के आस-पास तीन मील तक कोई और स्टेशन नहीं होना चाहिये । अपवादभूत मामलों में, वित्तीय दृष्टि से ठीक न होने पर भी, जब यह देखा जाता है कि ऐसा करने से बहुत अधिक

यात्रियों को लाभ पहुंचने की आशा है, स्टेशन खोल दिया जाता है ।

बिना टिकट यात्रा

१३६०. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों पर पुलिस अधिकारी या कांस्टेबिल बहुधा या तो बिना टिकट या निचले दर्जे का टिकट ले कर ऊंचे दर्जे में यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, इस प्रकार के मामले हैं ।

(ख) पुलिस कर्मचारियों में से जिन को बिना टिकट या अनुचित टिकट ले कर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है उन से अधिक जुर्माना लिया जाता है और इस के अलावा इस की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी जाती है जिस से वे विभागीय कार्यवाही कर सकें ।

आउट एजेंसी सेवाएं

१३६१. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि आउट-स्टेशन-एजेन्सियां रेल व बस सेवाओं में जगह देने के सम्बन्ध में रेलवे टिकट रखने वालों को पास रखने वालों के मुकाबले, जिन में संसद्-सदस्य भी शामिल हैं, अधिक अधिमान देती हैं तथा पास वालों को तभी कोई जगह देती हैं जब टिकट वालों से कोई जगह बच रहती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है जिस से पास रखने वालों में जो बस का टिकट खरीदने के लिये तैयार हों और वे जिन के पास पहले ही से रेलवे टिकट हों कोई भेदभाव न किया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) यद्यपि अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि रेल-व-बस के टिकट रखने वालों को पास रखने वालों के मुकाबले अधिक अधिमान दिया गया है लेकिन यह असम्भव नहीं है कि व्यवहार में, जहां तक जगह का सम्बन्ध है, जैसा कि कम जगह होने पर, आउट-एजेन्सी को ठेके की शर्तों के अनुसार सड़क के लिये भी टिकट रखने वालों को अधिमान देना पड़ता हो । हो सकता है यह बात विभिन्न आउट-एजेन्सियों में अलग अलग हो ।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आउट एजेन्ट्स की पहली जिम्मेदारी रेल व सड़क वाले यात्रियों के प्रति है, सरकार का विचार वर्तमान व्यवस्था में हेर-फेर करने का नहीं है ।

डाकघर बचत बैंक लेखा

१३६२. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतामढ़ी केन्द्र सहकारी संघ का बचत बैंक लेखा कब से निलम्बित कर दिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : इसे गत वर्ष अप्रैल में निलम्बित कर दिया गया था जब कि संघ की पुरानी कार्यपालिका और संचालकों के नये बोर्ड में लेखा चलाने के सम्बन्ध में झगड़ा हो गया था ।

रायदुर्ग नगर के लिये टेलीफोन एक्सचेंज

१३६३. श्री लक्ष्मय्या : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से आन्ध्र राज्य के किन किन नगरों में टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने अनन्तपुर ज़िले के रायदुर्ग नगर में टेलीफोन की सुविधा देने के सम्बन्ध में जनता के किसी अभ्यावेदन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां कब तक टेलीफोन लगा दिये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क)

पब्लिक काल आफिस (जनता टेलीफोन घर)	१५
टेलीफोन एक्सचेंज	८

(ख) जी हां ।

(ग) पब्लिक काल आफिस (जनता टेलीफोन घर) बनाने की योजना पहले ही मंजूर कर दी गई है। सामान आ जाने पर काम समाप्त हो जायेगा ।

विदेशी पार्सल

१३६४. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों के विदेशी पार्सल उप-विभाग से उन पार्सलों के वितरण में सामान्यतया कितना समय लगता है जो विदेशों से आते हैं;

(ख) ३१ अगस्त, १९५५ तक कुल कितने विदेशी पार्सल आये और जो १ सप्ताह, २ सप्ताह, ३ सप्ताह, १ मास और उस से अधिक कालावधि तक अवितरित पड़े रहे;

(ग) क्या कारण है कि वे पार्सल उक्त कालावधि तक अवितरित पड़े रहे;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत समय तक पार्सलों के वितरित न होने से, जिन के नाम पार्सल आते हैं उन को असुविधा होती है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें शीघ्र वितरित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, या करने का विचार रखती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) साधारण समय २ दिन से ४५ दिन तक का है; यह समय सीमाकर व आयात-नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा मांगे हुए आवश्यक प्रलेखों के शीघ्रता से प्रस्तुत करने पर निर्भर है ।

(ख) १–१–५५ से ३१–८–५५ तक प्राप्त हुए तथा अवितरित पड़े रहे पार्सलों की संख्या १२०२९ है । जितने समय के लिये वे अवितरित पड़े रहते हैं, उस की कालावधि इस प्रकार है :—

एक सप्ताह .	१२७६
दो सप्ताह	२०५३
तीन सप्ताह . .	१७९०
चार सप्ताह व उस से अधिक .	६९१०

(ग) इस का मुख्य कारण यही है कि कुछ एड्रेसी आवश्यक प्रलेखों के दिखाने में शीघ्रता नहीं करते ।

(घ) जी हां, परन्तु जैसा कि कई मामलों में बतलाया जा चुका है देर पार्सल पाने वालों के निजी कारण से ही होती है ।

(ङ) यह प्रश्न सदा ही विचाराधीन रहता है, परन्तु जब तक एड्रेसी सीमा-कर व आयात-नियन्त्रण अधिकारियों की आवश्यकताओं को तुरत पूरा न करें तब तक कोई सुधार सम्भव नहीं ।

नेपाली विमान चालक

१३६५. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाली विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिये भारत के किन स्थानों में प्रबन्ध किया जा रहा है;

(ख) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा;

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर कितना व्यय किया जायेगा; और

(घ) प्रशिक्षण का व्यय कौन उठायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद ।

(ख) केन्द्र में, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत तीन नेपाली उम्मीदवार फरवरी सन् १९५४ से विमान चालक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। १९५५–५६ और १९५६–५७ में तीन और विमान चालकों को प्रशिक्षण दिये जाने की संभावना है ।

(ग) लगभग ३८,६०० रुपया प्रति प्रशिक्षार्थी ।

(घ) प्रशिक्षण का सारा खर्च, कोलम्बो योजना की प्रौद्योगिक सहकारी योजना के लिये भारत के अनुदाय में से, भारत सरकार द्वारा उठाया जायेगा ।

मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली

१३६६. चौधरी मुहम्मद शफी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैटापन लाइन कैम्प, नई दिल्ली के डाक और तार कर्मचारियों को कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने अभ्यावदन प्राप्त हुए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) १९४७ से अब तक प्रति बैरक कितना किराया लिया गया है और मरम्मत पर अब तक कितना खर्च किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कुछ सुविधायें दी गई हैं लेकिन वे कैम्प आधार पर दी गई हैं, न कि रहने के स्थायी स्थान के आधार पर ।

(ख) अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन चूंकि रहने का स्थान स्थायी नहीं और सरकार का रहने का स्थायी स्थान मिलते ही उसे खाली करवा लेने का विचार है, इसलिये अभ्यावेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई है ।

(ग) अगस्त १९४८ से ३१-१२-१९४९ तक रहने वालों से कोई किराया नहीं लिया गया था । १-४-५० से ३१-१२-१९५३ तक रहने वालों के वेतन का ५ प्रतिशत या क्वार्टर का निर्धारित किराया, जो भी कम हो, लिया गया था । १-१-५४ से ३१-८-५५ तक रहने वालों के वेतन का २ प्रतिशत या निर्धारित किराया, जो भी कम हो, वसूल किया गया ।

प्रत्येक यूनिट का अलग अलग हिसाब नहीं रखा गया है। ३१-८-५५ तक ३०,८००) रुपये किराये के रूप में वसूल किये गये और इस अवधि में ४६,१८२ रुपये १४ आने ३ पाई मरम्मत पर खर्च किये गये ।

वेतन के साथ महंगाई भत्ते का मिलाया जाना

१३६७. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड अब तक नियमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर सका है जिस से उन रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें दूर हो सकें जिन्हें ७६ रुपये प्रति मास या उस से अधिक वेतन मिलता है और उन का आधा महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निश्चय किया गया है; और

(ग) उसे कार्यान्वित कब से किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आन्ध्र में बाढ़

१३६८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति:** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य ने आन्ध्र के बाढ़ग्रस्त क्षत्रों में अगस्त और सितम्बर, १९५५ में वितरण के लिये खाद्यन्न की मांग की ह ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्री डा० पी० एस० देशमुख: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सैनिक

१३६९. **श्री राधा रमण :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व सैनिकों को, जो विभिन्न टेक्नीकल और व्यावसायिक केन्द्रों में टेक्नीकल कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, युद्ध सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या यह सच है कि टेक्नीकल कर्मचारियों में से कुछ को, जिन्हें युद्ध सम्बन्धी सुविधाएं दी गई हैं, बड़ा हुआ वार्षिक वेतन नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) । (क) स (घ). जानकारीं इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा-पटल पर रखी जायेगीं ।

———

लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
३० सितम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1/11/83
Fumigated
On 18/1/80
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२·२३ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाईसल्फाइट उद्योगों के लिए संरक्षण जारी रखने के संबन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उसके संबन्ध में सरकारी संकल्प आदि

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन इन पत्रों में से प्रत्येक की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाईसल्फाइट उद्योगों के संरक्षण को जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५)।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ८ (३) टी० बी०/५५, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५।

(३) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या ८(३) टी० बी०/५५, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन उपरोक्त (१) से (३) में उल्लिखित पत्रों के समय पर न रखे जाने का कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस० ३५४/५५]

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विभिन्न सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या (१) लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या लोक-सभा का **नवां सत्र, १९५५।**

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २]

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४.।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २१ लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनपूरक विवरण संख्या २६ लोक-सभा का पांचवा सत्र, १९५४।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३१ लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ७]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३६ लोक-सभा का तीसारा सत्र, १९५३।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ८]

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ३४ लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५२।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ९]

(१०) अनुपूरक विवरण संख्या ३२ लोक-सभा का पहला सत्र, १९५२।

[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १०]

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव: श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है:—

मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १२ सितम्बर, १९५५ को पारित समवाय विधेयक, १९५५ को राज्य-सभा ने २८ सितम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में संशोधनों सहित पारित कर दिया है।

समवाय विधेयक

सचिव: श्रीमान्, मैं, राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये समवाय विधेयक, १९५५ को सभा-पटल पर रखता हूं।

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर): मैं भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में जिसे ३१ जुलाई, १९५५ तक राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, सम्मितियां बताने वाले पत्र संख्या १,२ और ३ की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

छटा प्रतिवेदन

श्री रघुरामैया (तेनालि): मैं याचिका समिति के छठा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ सिंह ने प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए यह पूर्वसूचना की है:

"क्या यह सच है कि तुएनसांग सीमान्त विभाग के दक्षिण पूर्वी कोने में १५-९-१९५५ को भारतीय सिपाहियों द्वारा लोशयेपू और खोकिए के निकट पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के आतंकवादी दल के १४ विद्रोही आदिम जाति व्यक्तियों को मार डाला गया था और कई घायल हुए थे।"

श्री रघुनाथ सिंह इस समय यहां नहीं हैं, किन्तु प्रधान मंत्री इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहते हैं ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): नियम २१६ के अधीन मुझ से वक्तव्य देने के लिए कहा गया है । संबन्धित माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं किन्तु फिर भी सभा की जानकारी के लिए मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगा । यह वक्तव्य पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण की कुछ घटनाओं के संबंध में है ।

मैंने १८ अगस्त को लोक-सभा में तुएनसांग सीमान्त डिवीजन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने यह कहा था कि नागा पहाड़ी जिले से मिले हुए तुएनसांग सीमान्त डिवीजन के दक्षिण के एक दो गांवों में जो संगठित सशस्त्र गिरोह एकत्रित हो गए थे उनको समाप्त करने के लिए तुएनसांग डिवीजन के दक्षिणी क्षेत्र में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई थी । इन गिरोहों के पास बन्दूकें तथा स्वचालित शस्त्र भी थे ।

जो टुकड़ियां वहां भेजी गई थीं उन्होंने सेना बल कमांडर की पूर्ण अधीनता में आसाम रायफल जत्थों तथा आसाम राज्य सशस्त्र पुलिस के एक दो जत्थों से पूर्ण सहयोग किया था । उन्हें पता चला कि संगठित सशस्त्र गिरोह लेशयेपू और खोकिये गांवों के सुरक्षित स्थानों में एकत्रित हो गए थे । इन स्थानों पर पिछले १० सितम्बर को हमारी सेना के लोग पहुंच गए थे । उस समय जो सैनिक कार्यवाही की गई उसके परिणामस्वरूप अनुमान यह लगाया जाता है कि लगभग चालीस विद्रोह आदिम जातीय के लोग मारे गए और लगभग तीस घायल हुए, हमारे ओर के दो व्यक्ति मारे गये और एक घायल हुआ था ।

समझा यह जाता है कि गिरोह के सरदार आसाम की नागा पहाड़ियों के रहने वाले हैं ।

समाचार मिला है कि तुएनसांग सीमान्त डिवीजन के कुछ अन्य भागों में विरोध केन्द्र बनाये गये हैं इस मामले की जांच की जा रही है और संभव है कि सेना की टुकड़ियों को एक दो अन्य विशिष्ट कार्यों को करने के लिये उस डिवीजन में रहने दिया जायेगा । प्रभावित क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिये आसाम राज्य प्रशासन और पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण प्रशासन द्वारा सहयोजित कार्यवाही की जा रही है । इन क्षेत्रों में सेना के रखे जाने की आवश्यकता की जांच समय समय पर की जाया करेगी ।

मैं यह और बताना चाहूंगा कि कल या परसों ही हमें यह अग्रेतर सूचना मिली है—जो समाचारपत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है—जिससे पता लगता है कि इन क्षेत्रों के बहुत से लोग इन विद्रोहियों द्वारा परेशान किये जाने के कारण तंग आ चुके हैं और उन्होंने स्वयं ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की है । उदाहरण के लिये, नोलाक के आस-पास के कुछ गांवों में, १५ गांवों के लोगों ने विद्रोहियों पर आक्रमण किये जिनके परिणामस्वरूप १४ आदिम जातीय विद्रोही मारे गये ।

सभा का कार्य

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : माननीय वाणिज्य मंत्री के डालमिया नगर जाने के प्रश्न में दो मंत्रियों के मान का प्रश्न सन्निहित है । अतः मैं महसूस करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री एक ओर मंत्रियों और दूसरी ओर श्री रामकृष्ण डालमिया के बीच किसी भी संदिग्ध संबंध का स्पष्टापूर्ण खंडन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनावश्यक है और इसका कोई भी आधार नहीं है । यह ऐसा कोई विषय नहीं है जिस का सभा में उल्लेख किया जाये ।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को *पुरःस्थापित करता हूं।

नदी बोर्ड विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नदी बोर्ड विधयक को एक संयुक्त समिति को सौंपन के लिये राज्य सभा से सहमति प्रकट करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा आज १.४० म० प० पर समाप्त हो जानी चाहिये अर्थात् १ घंटा १० मिनट बाद। इसके पश्चात आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा जिसके लिये दस घंटे का समय नियत किया गया है।

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ४.३० म० प० पर लिया जायेगा जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका है सभा आज ७ म० प० तक बैठेगी। अब सभा श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा २९ सितम्बर, १९५५ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगी।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर--दक्षिण): यह विधेयक बहुत कुछ प्रान्तीय सरकारों के इस उपाय में सम्मिलित होने पर निर्भर करता है। ये दोनों विधेयक जहां एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की और नदी घाटी परियोजनाओं की समस्याओं को सुलझाने में एक से जान पड़ते हैं वहीं मुझे एक बहुत बड़ा अन्तर भी दोनों में दिखाई देता है। अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद विधेयक में उच्चतम न्यायालय या किसी और अन्य न्यायालय से अपील करने का कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसा ही उपबंध नदी बोर्ड विधेयक में नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि यदि यहां यह उपबंध न किया गया तो मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है।

मैं देखता हूं कि सारी बात राज्य सरकारों पर निर्भर है। यदि राज्य सरकार प्रार्थना नहीं करती है तो आप कोई बोर्ड नहीं बना सकते हैं। उप-खण्ड (१) में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा एक नदी बोर्ड बना सकती है। परन्तु बाद का यह उपबंध "अन्यथा" के प्रभाव को समाप्त कर देता है, क्योंकि राज्य सरकारों से फिर परामर्श किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। यदि उपबंध को ज्यों का त्यों रहने दिया गया तो कठिनाइयां रहेंगी। मेरा मत है कि यह विधेयक एक सम्पूर्ण विधेयक होता। बजाय इसके कि इसकी कार्यान्विति राज्य सरकारों की स्वीकृति पर छोड़ी जाती आप राज्यों से केन्द्रीय अधिनियम के बारे में संकल्प प्राप्त कर सकते थे और समस्त राज्यों पर लागू होने वाला एक विधेयक बना सकते थे।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अनेक बोर्ड बनाने के बजाय प्रादेशिक बोर्ड बनाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ भारत को नदी व्यवस्था के अनुसार तीन चार भागों में

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

भलीभांति बांटा जा सकता है। फिर यह प्रादेशिक बोर्ड नदी परियोजनाओं के विकास की निश्चित योजनायें बना सकते हैं। रेलों की प्रादेशिक व्यवस्था की भांति ही नदियों का विकास भी राज्यों पर न छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक आधार पर किया जा सकता है अन्यथा मेरा विचार है कि संभव है कि ये योजनायें उचित रूप में कार्यान्वित न की जायें। यदि सरकार की प्रगति करने की इच्छा है तो सरकार को विधेयक में ऐसा रूप भेद करना चाहिये ताकि वह अनिवार्यतः लागू हो सके और राज्यों की इच्छा पर ही निर्भर न रहे।

इन दोनों विधेयकों में असेसरों (परामर्शकों) के रखे जाने का उपबंध है। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश मध्यस्थ निर्णायक नियुक्त किया जायेगा परन्तु उसकी सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर परामर्शक नियुक्त किये जायेंगे। यहां हम परामर्शक क्यों रखें जब कि हम पहले ही यह निश्चय कर चुके हैं कि परामर्शक रखने से कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि उनके परामर्श के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है और न उन के परामर्श पर विचार ही किया जाता है। अतः परामर्शकों का उपबंध करने वाला खण्ड यहां नहीं होना चाहिये। मध्यस्थ को व्यवहार न्यायालय की सभी शक्तियां दी जा रही हैं। वह किसी भी साक्षी का आह्वान कर सकता है। मेरे विचार में यह एक अतिरिक्त उपबन्ध है और इससे अनावश्यक व्यय ही होगा।

दूसरे, भारत का मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से किसी को भी मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। श्रीमान् मेरा विचार है कि सरकार सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुनः सेवायुक्त करके देश के साथ न्याय नहीं कर रही है। कार्यकारी न्यायाधीशों के रहते हुए हमें किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करना चाहिये क्योंकि यह एक अस्थायी कार्य है अतः वर्तमान न्यायाधीश भी इस के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं। जब कि हम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं तो हमें उच्चतम न्यायालय क सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी छोड़ देना चाहिये।

हमें सर्वत्र सुनने को मिलता है कि सेवानिवृत्त व्यक्तयों की कार्यविधि बढ़ाई जा रही है और उन्हें विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दूसरे कनिष्ठ अधिकारी जिनकी पदोन्नति होनी चाहिये थी पदोन्नति नहीं पा रहे हैं। मेरे विचार में संसद् को एक ऐसा विधेयक बनाना चाहिये कि कसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को पुनः सेवायुक्त न किया जाये।

यदि इस विधेयक के स्थान पर केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय आधार पर बोर्डों का निर्माण करती और राज्य सरकारों से उनमें सम्मिलित होकर सहयोग देने के लिये कहती तो मेरे विचार में वह अपेक्षाकृत अधिक सफल हो सकती थी।

मुझ आशा है कि प्रवर समिति इस विषय में विचार करेगी और तदनुसार इसमें संशोधन करने का प्रयत्न करेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बासप्पा (तमकूर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसको प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। देश के लाभ के लिये अन्तरज्यिक नदियों के विकास की आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले २०–३० वर्षों से इस विषय में कुछ झगड़े भी हैं। इन झगड़ों को एक बारगी हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जाना चाहिये ताकि हमारा देश अधिकतम विकास कर सके। इस कार्य के लिये

[श्री बासप्पा]

केन्द्रीय सरकार को उपक्रमण करना चाहिये और उपयुक्त बोर्डों की नियुक्ति करनी चाहिये। यदि अन्ततोगत्वा विभिन्न राज्य इन बोर्डों की भी बात नहीं मानते हैं तब विषय को मध्यस्थ निर्णायक को सौंपा जा सकता है। इस विधेयक के यही तो उपबन्ध हैं। फिर भी मैं देखता हूं कि इस सभा के कई सदस्यों ने राज्य सरकारों की कार्यवाहियों की आलोचना की है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे ऐसा न करें क्योंकि इससे कई प्रकार की मिथ्या धारणाऐं फैल जायेंगी। मेरे मित्र श्री राघवाचारी ने कल बताया था कि मैसूर सरकार इस विषय में सहयोग नहीं दे रही है। मुझे यह सुन कर बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा है कि जयमंगली और पैन्नार नदियों का पानी मैसूर सरकार ही ले लेती है और उसे दूसरे राज्यों तक नहीं पहुंचने देती है। यह सर्वथा गलत बात है। इस आरोप के पक्ष में उन्होंने एक भी प्रमाण नहीं दिया है।

इसके बाद तुंगभद्रा का प्रश्न आता है। मेरा विचार है कि इस जल के प्रयोग के विषय में राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका प्रतिवेदन शीघ्र ही आने वाला है कुछ न कुछ प्रकाश डालेगा। तुंगभद्रा बोर्ड के सभापति श्री गोखले का स्वयं कहना है कि उन्हें तुंगभद्रा के विकास के लिये सभी सरकारों से पूरा सहयोग मिल रहा है। जल के उपयोग के बारे में १९४४ का करार ही आधार है। उसमें तीन सरकारें सम्मिलित हैं, हैदराबाद, मद्रास तथा मैसूर। इसकी शर्तों को निभाया जा रहा है। अतिरिक्त जल के उपयोग के विषय में मेरा कहना है कि पहले समीप के पिछड़े इलाकों को जल मिलना चाहिये और फिर दूर के इलाकों को। इसी प्रकार मेरे मित्र श्री लक्ष्मय्या ने ऊंचे तल की नहर की बात कही है। किन्तु जब नीचे तल की नहर के जल का ही ठीक उपयोग नहीं हो पाता है तो फिर ऊंचे तल की नहर बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी मैसूर सरकार ने कभी यह नहीं कहा है कि वह ऐसी नहर बनाने में सहयोग नहीं देगी। वह तो केवल इस विषय पर उपयुक्त चर्चा करना चाहती है जिससे कि अधिकारियों को उसके मन्तव्यों का पता लग सके।

कई नदियां कई कई राज्यों में होकर बहती हैं। उनके सम्बन्ध में कतिपय विवाद है, इन विवादों को मैत्रीपूर्ण नीति से सुलझाया जाना चाहिये। नियुक्त किये जाने वाले बोर्ड इस कार्य को करेंगे। साथ ही यह बोर्ड जल में डूब जाने वाले क्षेत्रों तथा इससे प्रभावित जनता की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। ऐसा न हो कि लाभ तो कई राज्य उठायें और हानि केवल एक राज्य ही वहन करे। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस सभी प्रश्न पर विचार करेंगी।

श्री अच्युतन (त्रेंगनूर): मैं इस विधान का और अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करता हूं। परन्तु मुझे एक सन्देह ह। सभी राज्यों ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें बना ली हैं और उनके विषय में योजना आयोग से विचार विमर्श भी कर लिया है। अब नदी बोर्डों द्वारा बनाई जाने वाली इन योजनाओं को उनमें कैसे स्थान दिया जायेंगा? मैं नहीं समझ सकता कि इन बोर्डों द्वारा बनाई गई योजनायें राज्यों की योजनाओं में जो कि उन्होंने अपनी ही आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर बनाई हैं किस प्रकार समायोजित की जायेंगी?

मेरे विचार में यह एक बड़ा व्यापक विधेयक है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से यह एक अत्यन्त ही वांछनीय विधेयक है। अतः किसी केन्द्रीय अथवा सम्मिलित निकाय को इस समूचे प्रश्न की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और इस योजना पर कितना धन व्यय होगा उसका अनुमान करना चाहिये। तदनुकूल उसे एक ऐसी योजना बनानी चाहिए

जो केन्द्र तथा विवादी पक्षों के लिये वाध्य हो। जब तक ऐसा नहीं होगा सिंचाई, विद्युत् अथवा औद्योगिक परियोजनाओं में कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकेगी।

किन्तु मुझे सन्देह है कि क्या बोर्ड की परामर्शदात्री क्षमता ही पर्याप्त होगी? मेर विचार में बहुत से राज्यों में से बहने वाली नदी का उपयोग करने के कार्य को केवल केन्द्र को ही अपने हाथ में लेना चाहिये अन्यथा राज्यों में तनातनी उत्पन्न हो जायेगी। एक राज्य दूसरे राज्य को धमकियां देने लगेगा और इस प्रकार अशांति फैल जायेगी। केवल देश हित को सामने रखकर ही यह कार्य किया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों का चुनाव करते समय भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो प्रभावित राज्यों के न्यायाधीश न चुने जायें। विशेष योग्यता रहने पर भी लोग उसको सन्देह की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए इस कार्य के लिये अन्य राज्यों के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर--उत्तर): मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए कुछ सुझाव रखूंगा। इसका शीर्षक तो नदी बोर्ड विधेयक है किन्तु खण्ड ४ में इसे अन्तर्राज्यिक नदी बोर्ड विधेयक बना दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सब स्थानों पर इसका नदी बोर्ड विधेयक ही रहे। चाहे एक नदी किसी एक ही राज्य में से होकर बहती हो अथवा वह कई राज्यों में से होकर बहती हो, उसके लिये बोर्ड बनाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को ही होना चाहिये। इस कार्य के लिये एक ही निकाय होना चाहिये जिसे इस विषय में सुझाव देने का अधिकार प्राप्त हो। केन्द्रीय सरकार को ऐसे बोर्ड बनाने तथा उन्हें प्रारम्भ करने की शक्ति दी जानी चाहिये।

इसके उपरान्त खण्ड ५ (२) में बोर्ड की सदस्यता की अर्हताओं के विषयों में मैं वनीकरण का विषय भी रखना चाहता हूं। अभी तक उसमें सिंचाई, विद्युत्, इंजीनियरी, बाढ़ नियंत्रण तथा नौवहन आदि विषय ही हैं। मेरे विचार में नदी घाटियों के विकास का वनीकरण भी एक आवश्यक अंग है अतः उसे भी इन विषयों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

मैं अपने मित्र सिंहासन सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों के लिये सभी राज्यों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। केवल जिस राज्य का सदस्य हो उसी राज्य द्वारा उसका समर्थन आवश्यक होना चाहिये तभी बोर्ड बन सकता है। अन्यथा कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के सदस्य का विरोध करके बोर्ड के निर्माण में बाधा उपस्थित कर सकता है।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा): यह बात कहां लिखी है?

श्री० एस० एल० सक्सेना: खंड ४ (१) में।

श्री नन्दा: यह तो लिखा है केवल 'परामर्श' से।

श्री० एस० एल० सक्सेना: क्या यह परामर्श सभी सदस्यों के सम्बन्ध में किया जायेगा?

श्री नन्दा: यह तो स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है।

श्री० एस० एल० सक्सेना: यदि यह बात केवल उन्हीं सदस्यों पर लागू हो जो उस राज्य से सम्बद्ध हों, तब तो यह बात ठीक है। मेरा इतना ही कहना है कि यह बात सभी सदस्यों पर लागू नहीं होनी चाहिये और खण्ड १३ (ख) में ऐसी योजनायें तथा

[श्री एस० एल० सक्सेना]

अन्तर्राज्यिक नदी घाटियों के विकास के लिये बहुप्रयोजनीय योजनायें बनाने के लिये कहा गया है जिनको चाहे किसी राज्य ने भी न भेजा हो । मेरा अनुमान है कि इस विधेयक के अन्तर्गत सबसे पहले घाघरा, गन्डक और राप्ती नदियों के जल को रोकने और उपयोग में लाने के लिये एक बहुप्रयोजनीय योजना बनाई जायेगी । माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इन छोटी नदियों के लिये छोटे बांध निर्माण कराने का विचार कर रहे हैं । गोमती और टौंस चाहे छोटी हों किन्तु घाघरा गंगा जितनी बड़ी है और गन्डक कोसी जितनी बड़ी है ।

श्री० नन्दा : मैंने राप्ती और टौंस के विषय में कहा था ।

श्री० एस० एल० सक्सेना : राप्ती भी कोसी जितनी बड़ी है । ये नदियां बहुत बड़ी हैं । इनके लिये बहुप्रयोजनीय योजनायें ही बनाई जानी चाहियें । इन तीनों नदियों के लिये भाखड़ा-नंगल बांध जैसी कोई बड़ी योजना बनाई जानी चाहिये ।

जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि १९३८ में उत्तर प्रदेश के मुख्य इंजीनियर श्री० वाट्टल ने घाघरा नदी के लिये ३० करोड़ रुपये की एक योजना बनाई थी । माननीय मंत्री उस योजना को मंगवा कर देख सकते हैं । वह इंजीनियरों को उस जैसी ही एक बहुप्रयोजनीय योजना बनाने के लिये भी आदेश दे सकते हैं । क्योंकि ये तीनों नदियां एक घने बसे हुये परन्तु निर्धन प्रदेश में से होकर बहती हैं इसलिये समस्त विद्युत् शक्ति और सिंचाई का जल काम में आ जायेगा और इस प्रकार वित्तीय दृष्टि से भी यह योजना बड़ी सफल सिद्ध होगी ।

श्री० एस० एन० दास (दरभंगा–मध्य): अभी तक भारतवर्ष के विपुल जल संसाधनों का देश के कल्याण के लिये कोई उपयोग नहीं किया जा सका है । अतः नदी बोर्ड संगठन बनाने का यह पग अत्यन्त सराहनीय है । मैं माननीय मंत्री को इसके लिये बधाई देता हूं ।

मेरे विचार में देश के विभिन्न भागों के लिये भिन्न भिन्न बोर्डों के स्थान पर सभी प्रकार के जल संसाधनों के विकास तथा विनियमन के लिये एक ही राष्ट्रीय आयोग होना चाहिये था । हमारे लिये किसी राज्य विशेष का ध्यान न रख कर एक देशव्यापी योजना बनाना अधिक लाभप्रद होगा । अब भी मैं अनुरोध करता हूं कि प्रवर समिति इस बात का ध्यान रखे कि बहुत से अन्तर्राज्यिक बोर्ड बनाने की अपेक्षा इस विधेयक के द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग बनाये जाने का उपबन्ध करे यदि किसी समय आवश्यकता पड़े तो इस आयोग को अपने अधीन अन्तर्राज्यिक बोर्ड बनाने की शक्ति दे दी जाये । अतः मैं इस बात पर बल देता हूं कि तदर्थ अन्तर्राज्यिक बोर्डों के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि यदि ऐसे तदर्थ बोर्ड बनाये भी जायें तो इस विधेयक में इस बात का कोई वर्णन नहीं है कि उन में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा ? सदस्यों के चुनाव का आधार स्पष्टतः उल्लिखित होना चाहिये ताकि भविष्य में कोई वाद न खड़ा हो सके ।

मैं माननीय श्री रेड्डी के सुझाव का समर्थन करता हूं कि बोर्ड के कार्यों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य भी सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये ।

बोर्ड के आय-व्ययक संबंधी खण्ड १९ के विषय में मेरा कहना है कि अन्तर्राज्यिक बोर्डों द्वारा बनाये गये आय-व्ययक केवल केंद्रीय सरकार को भेजे ही नहीं जाने चाहियें

अपितु उन के लिय केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना चाहिये ।

विभिन्न विषयों से संबंधित आधारभूत गवेषणा के संबंध में मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री को उसके लिये एक स्थायी निधि बनानी चाहिये । उसमें सभी प्रकार के जल संसाधनों के संबंध में अनुसंधान करने के लिये पर्याप्त राशि रहनी चाहिये । दूसरे इस संबंध में जो व्यक्ति भारतवर्ष की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कर रहे हैं उनके वेतन और सेवा की सुविधायें तथा शर्तें अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बहुत भिन्न हैं । परिणाम यह होता है कि कुछ व्यक्ति जो अनुसंधान की योग्यता रखते हैं वे भी प्रशासनिक सेवाओं में चले जाते हैं । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह अनुसंधानकर्ताओं की सेवाओं में भी एक आकर्षण रखें ताकि मेधावी नवयुवक प्रशासन की ओर न भाग कर अनुसंधान कार्य के लिये आगे बढ़ें ।

खंड २२ में कहा गया है कि मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा और सभी पक्षों द्वारा मान्य होगा तथा उसे संबद्ध सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा । किन्तु इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस पर कैसे कार्यवाही करेगी ? बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिये कुछ दंड व्यवस्था रहनी चाहिये । केन्द्रीय सरकार बोर्ड के निर्णय को न मानने वाले राज्य की वित्तीय सहायता बन्द कर दे ।

विवरण के भेजने के विषय में मेरा सुझाव है कि जब कभी भी वह केन्द्र को भेजे जायें तो उनकी प्रति सभा-पटल पर भी रखी जानी चाहिये । इन नदी बोर्डों के लेखाओं की जांच महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिये ।

इन दोनों विधेयकों को स्वीकार कर लेने से हमारे देश के विपुल जल संसाधन लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई करने, बाढ़ों को रोकने, उद्योगों को बढ़ाने तथा जल परिवहन विस्तार करने के लिये काम में लाये जा सकेंगे । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली): इस में संदेह नहीं कि संविधान में राज्यों को एक सीमा तक स्वायत्तशासन के अधिकार दिये गये हैं, किन्तु तब केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना इत्यादि का विचार नहीं किया गया था । अब हमें योजना, इत्यादि को ध्यान में रख कर राज्यों के अधिकारों के संबंध में पुनर्विचार करना पड़ा है । सरकार ने उन नदियों के संबंध में जो विभिन्न राज्यों के बीच बहती हैं, उनके प्रश्न पर विचार करने के लिये एक बोर्ड बनाया है । मैं माननीय मंत्री तथा संयुक्त समिति से यह निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक के नाम के संबंध में, कि इसे अन्तर्राज्यीय नदी बोर्ड विधेयक कहना चाहिये अथवा नदी बोर्ड विधेयक, विचार करें ।

श्री पुन्नूस ने यह कहा है कि वह त्रावनकोर-कोचीन की नदियों का मद्रास राज्य द्वारा उपयोग नहीं होने देना चाहते हैं प्रत्युत वह यह चाहते हैं कि वहां की नदियों का जल भविष्य में उसी राज्य के लिये सुरक्षित रहे । ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं है तथा हमें इस समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण से सोचना चाहिये और दरिद्रता के निवारण के लिये तत्काल प्रयत्न करने चाहियें; तभी देश समृद्ध और उन्नतिशील हो सकता है । यदि देश का एक भाग अविकसित तथा गरीब ही रहे और दूसरा विकसित और समृद्ध हो तो यथार्थ में एकता नहीं हो सकती । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह नदी बोर्ड विधेयक को व्यापक रूप दें तथा निष्पक्ष रूप से सारे देश की समस्याओं पर विचार करें ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): नदियों पर नियंत्रण करने से उत्पन्न हुए विवादों के निपटारे के लिये एक अधिनियम बनाना अनिवार्य है । आज हमारे पास कई बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनायें हैं । इन के

[श्री एस० सी० सामन्त]

संबध में विवाद उठ सकते हैं, तथा राज्यों को शिकायतें हो सकती हैं। इसके लिये सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह समयोचित है ।

मैं खंड २२ को लेता हूं, जिस में मध्यस्थ के प्रश्न पर विचार किया गया है। क्या इनको भी न्यायाधिकरणों के समान ही अधिकार दिये जायेंगे यद्यपि इनके पास जाने वाले मामले भिन्न प्रकार के होंगे ? मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि न्यायाधिकरण तथा मध्यस्थ एक ही कार्य को करें ।

अब मैं खंड १३ को लेता हूं जो बोर्ड के कार्य एवं अधिकारों से संबंधित है । मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि बोर्ड को नौवहन, जंगल लगाने तथा भूमि के कटाव को रोकने, इत्यादि के संबंध में व्यापक अधिकार दिये गये हैं जो कि बाढ़ को रोकने के लिये अनिवार्य हैं। सरकार को बोर्ड को अधिक व्यापक शक्तियां देनी चाहियें जिससे वह बाढ़ इत्यादि के नियंत्रण में सफल हो सके ।

श्री नन्दा : मुझे प्रसन्नता है कि सभी पक्षों ने इस विधेयक का हार्दिक समर्थन किया है। मुझे इससे भी हर्ष हुआ है कि प्रस्तावित विधान के मुख्य प्रयोजन की सभा ने प्रसंशा की है । इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि हम अपने जल संसाधनों का संयोजित आधार पर अधिकतम लाभ उठाने के उद्देश्य से उपयोग कर सकें । इस उद्देश्य की खुल कर प्रसंशा की गई है लेकिन कठिनाई यह है कि सभा विधेयक, सरकार तथा मेरे उद्देश्यों से भी आगे बढ़ना चाहती है। मैं उनकी भावनायें समझता हूं। मैं इन सुझावों के पीछे माननीय सदस्यों के मन्तव्य का स्वागत करता हूं। वे निःसंदेह सार्थक हैं; किन्तु कठिनाई दो कारणों से है, पहला संविधान के कारण तथा दूसरे यह कि हमारा उद्देश्य, सारे अधिकार तथा कार्यों को केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रित करने के स्थान पर इस विधेयक में उल्लिखित व्यवस्था तथा प्रणाली के द्वारा अधिक सुचारु रूप से प्राप्त हो जायेगा।

प्रश्न के उक्त पहलू पर कई सुझाव रखे गये थे, यथा केन्द्रीय सरकार ही इन सभी बातों का निपटारा क्यों न करे ; एक राष्ट्रीय आयोग हो जो कि योजनायों का समर्थन करे तथा उन्हें क्रियान्वित करे तथा कोई ऐसी प्रणाली हो जो कि किसी बोर्ड अथवा किसी अन्य विलम्ब करने वाली प्रणाली जैसा कि माननीय सदस्यों के कथनानुसार इन बोर्डों द्वारा होता है के ऊपर निर्भर न रहे। एक सुझाव यह भी था कि केवल अन्तर्राज्यीय नदियां ही नहीं बल्कि केवल एक राज्य में बहने वाली नदियां भी इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत लाई जायं । मैंने संविधान का निर्देश किया है। मैंने व्यावहारिक विचारों की ओर निर्देश किया है। संविधान की प्रविष्टि ५६ में जो कि इस विधेयक का आधार है, इस प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया गया है, 'अन्तर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों का विकास तथा विनियमन' । इस प्रकार इस विधेयक के प्रयोजन के लिये यह सीमित क्षेत्र है। अग्रेतर राज्य-सूची की प्रविष्टि १७ में राज्यों द्वारा अधिकार प्रयुक्त करने की सीमा इस प्रकार उल्लिखित की गई है 'सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबंधों के अधीन ज अर्थात् जल संभरण, सिंचाई और नहरें, नालियां और बंध, जल को जमा करना तथा विद्युत्' । इस विधान के संबंध में हमें उक्त सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना पड़ा । आगे चलकर मैं यह भी कह दूं कि हमें संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत, जो कि भारत को एक संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, कार्य करना पड़ा। मेरे विचार से जब तक हम राज्यों की, जहां पर यह कार्य किया जायेगा, सद्भावना व

सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं । केंद्रीय सरकार सारे देश के प्राधिकार प्राप्त कर लेने से तथा मात्र आदेश देने से अधिक दक्षता तथा सन्तोश पूर्ण रीति से काम नहीं कर सकती । इससे अधिक कठिनाइयां तथा गलतियां पैदा हो सकती हैं । यह सामान्यता एक अच्छा दृष्टिकोण है । माननीय सदस्यों ने अपना अधिकांश ध्यान बोर्डों की प्रणाली की ओर यथोचित रूप से दिया है । यही इस विधान के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने वाली प्रणाली की कुन्जी है ।

बोर्ड के मंत्रणादाता कार्यों पर आपत्ति की गई है । यह कहा गया है कि इन्हें पहिली बार में भी अन्तिम तथा अनिवार्य क्यों नहीं बना लिया जाये । कुछ इस प्रकार की भ्रांति है कि यदि राज्य कोई विशेष सलाह स्वीकार नहीं करेगा तो हम असहाय हो जायेंगे और विधान का अभिप्राय पूरा नहीं होगा । ऐसी कोई बात नहीं । यह केवल एक कदम है ; एक स्थिति है । मध्यस्थता की दूसरी स्थिति यह है कि यदि बोर्ड की सलाह स्वीकार नहीं की जायेगी, नहीं मानी जायेगी, तो केन्द्रीय सरकार अथवा कोई भी पक्ष विवाद के प्रश्नों को लेकर मध्यस्थ के पास जा सकता है । मतभेद का मामला मध्यस्थ के सम्मुख रख कर निर्णय किया जा सकता है । इस प्रकार इन मामलों को अन्तिम स्थिति तक लाने तथा आधे रास्ते में अनिश्चित ही न छोड़ने के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

इसी विषय पर एक और प्रश्न, जो कि भ्रांति पर ही आधारित था, यह है कि राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि मामला प्रारम्भ करने के पश्चात् वे तत्काल ही पूरी तरह से बोर्ड के हाथों में आ जायें तत्पश्चात् मध्यस्थ के अधिकार में आ जायें । लेकिन इससे कई दायित्व उत्पन्न हो जायेंगे । ऐसे वित्तीय दायित्व आ जायेंगे, जिनका दायित्व कार्य को प्रारम्भ करने के कारण राज्यों का था लेकिन अब वे उस दायित्व को स्वीकार नहीं करेंगे । इसलिए यह अनुमान किया गया कि राज्य इन मामलों को बोर्ड को सौंपने में बहुत सतर्क रहेंगे । इससे सारी प्रक्रिया ही निष्क्रिय हो जायेगी । स्थिति यह है कि चाहे राज्य कोई भी हो, उसे इतनी रुचि लेनी चाहिए कि वह सलाह लेने तथा स्पष्टीकरण करवाने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष तक जाये, जिससे कि सिंचाई तथा विद्युत् से लाभ उठाने की महत्व-पूर्ण योजनायें खत्ते में न पड़ जायं । इस विलम्ब को दूर करने के लिए वे बोर्ड तक जाने के लिए प्रस्तुत होंगे, जिस से कि यह वित्तीय दायित्व बाधक न हो क्योंकि इससे राज्यों के महत्वपूर्ण हित सम्बद्ध हैं । यदि एक राज्य ऐसा नहीं करेगा तो दूसरा राज्य अपने हित के लिए ऐसा करेगा ।

बोर्ड बनने के पूर्व परामर्श होगा । सदस्यों की नियुक्ति के पूर्व परामर्श होगा । इसलिए यह कहा गया है कि परामर्श पर यह सब निर्भर रहेगा । अतः राज्य इस प्रकार कार्य कर सकते हैं कि इस विधान का प्रयोजन सिद्ध न हो और कोई बोर्ड ही न बने । यह भी एक भ्रांति है । इस संबंध में मैं खंड ४ के 'अथवा' आदि शब्दों की ओर निर्देश करूंगा । यह केवल एक परामर्श है ।

परन्तुक में कहा गया है कि सम्बद्ध सरकारों से परामर्श किये बिना कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी । पूर्व परामर्श किया जाना आवश्यक है, किन्तु पूर्व सहमति तथा समर्थन आवश्यक नहीं । इसलिए परामर्श की प्रक्रिया वास्तविक रूप में चलेगी तथा इसके कुछ लाभ भी हैं । किन्तु यदि परामर्श में भी कुछ असहमति रह जाय तो उसे अधिसूचना के जारी करने में बाधक नहीं होना चाहिए । माननीय सदस्य के प्रश्न पर मेरा यही उत्तर है कि यदि केन्द्रीय सरकार, राज्य अथवा

[श्री नन्दा]

राज्यों द्वारा व्यक्त असहमति के बावजूद भी अधिसूचना जारी करना आवश्यक समझेगी तो वह अधिसूचना जारी कर सकती है।

इसी बात पर आगे विचार करते हुए माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि हमें योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र से ही वित्त तथा यंत्रों इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि यदि राज्यों ने सलाह नहीं मानी तब क्या होगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मध्यस्थ के पास जाकर तथा उसका निर्णय होने के पश्चात् अथवा योजना स्वीकार कर लेने के उपरान्त यह प्रश्न नितान्त उचित है। निर्णय हो चुका होगा। एक राज्य को कार्य करने तथा कुछ निर्माण करने के लिए कुछ भूमि का अर्जन करना पड़ेगा तथा अन्य कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ेगी। यदि वह ऐसा नहीं करता तो क्या किया जाय ? यहां पर मुझे माननीय सदस्यों का ध्यान पुनः खंड ६(ग) की ओर आकर्षित करना है। उक्त खंड में सारे अधिकारों तथा राज्यों की अस्वीकृति तथा असावधानियों के उपचार की संभावनायें उल्लिखित हैं। केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसे कार्य का, जिसमें कोई सरकार रुचि रखती हो, निरीक्षण कर सकती है। एक राज्य कहता है—'इस पंचाट में दूसरे राज्य द्वारा कुछ कार्यवाही किये जाने और कुछ अधिकारों के प्रयुक्त किये जाने का उल्लेख है जो कि नहीं किया जा रहा है' तब उस राज्य की प्रार्थना पर अथवा वैसे भी केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है तथा योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को कार्य करने में सहायता दे सकती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार के संगठन एवं संसाधनों द्वारा उसके लिए हस्तक्षेप करना तथा राज्य द्वारा उन कार्यों को जो कि उसे मध्यस्थ के पंचाट के अनुसार करने चाहिएं, करवाना कठिन नहीं होगा।

तत्पश्चात् बोर्ड के कार्यों का प्रश्न था। सभी कार्य, जो कि सम्मिलित किये गये हैं, सदस्यों ने पसन्द किये हैं। इन्हें कम नहीं करना है इसके विपरीत इन कार्यों को बढ़ाने के सुझाव दिये गये हैं। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का उल्लेख किया गया है। 'ऐसी बातें जो विदित की जायं' शब्द भी कार्यों की सूची में जोड़े गये हैं। संभवत : उक्त बात इसमें सम्मिलित कर ली जाय, किन्तु यह तभी हो सकता है जब संयुक्त समिति जो इस पर विचार करेगी, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह लाभदायक है। निःसंदेह यह संयुक्त समिति के ऊपर ही निर्भर है।

फिर, बोर्ड के काम करने के तरीके के बारे में भी कुछ छोटे मोटे सुझाव हैं। कहा गया है कि किसी कार्य के किये जाने के बारे में यदि दोनों राज्य सहमत हों तो केन्द्रीय सरकार को बोर्ड का मत स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि उसके खिलाफ कोई जोरदार कारण नहीं होगा तो यही किया जायेगा। यह कारण उस दूसरे दृष्टिकोण में भी निहित हो सकता है, जिसका कि अधिकांश सदस्यों ने अधिकतम विकास प्राप्त करने के लिए सुझाव दिया है और जो संसाधनों की बर्बादी मिटाने के लिए भारी चिन्ता से भरा हुआ है। हो सकता है कि इस आधार पर केन्द्रीय सरकार के अपने भी कुछ विचार हों और उन्हें मध्यस्थ के सामने पेश करना आवश्यक हो। इस विधेयक में समाविष्ट किये गये इस कार्य-प्रबन्ध के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। वह विचार इस प्रकार है। हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार इस सबको अनदेखा कर दे और कहे : "हम तो यह करेंगे ही।" लेकिन, माननीय सदस्य इसका भी अनुभव करेंगे कि उससे संबंधित राज्यों के अपने अलग-अलग मत भी होंगे। क्या उन्हें यह अवसर देना ज्यादा अच्छा नहीं होगा; क्या उन्हें

यह संतोष देना ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में उनके भाग्य का निबटारा यहां केन्द्रीय सरकार में बैठे हुए कुछ लोग ही नहीं कर देते बल्कि उन्हें भी एक मौका मिलता है और उनके ही सहयोग से बनाये हुये एक बोर्ड के सामने उनको अपने विचार रखने का अवसर मिलता है ? इतने पर भी यदि वे असंतुष्ट रहते हैं,तो एक और उपाय का प्रबन्ध है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश मध्यस्थ बनता है। यह परित्राण बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि कार्य-विधि में कुछ अधिक समय लगे। लेकिन दूसरी ओर राज्यों की अत्यावश्यक सहकारिता के दृष्टिकोण से और राज्यों तथा जनता के संतोष के दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि नदियों के जल में हिस्सा बंटाने और किसी राज्य के बड़े क्षेत्रों की सिंचाई करने से संबंधित और ऐसे ही अन्य मामलों पर केन्द्र में बैठे हुये कुछ लोग ही निर्णय न दें, बल्कि पूरी तौर पर बहस हो जाने, पूरी तौर पर जांच-पड़ताल हो जाने और विभिन्न पहलुओं से उसकी प्रविधि ही नहीं, न्यायिक स्तर पर भी उसकी छानबीन हो जाने पर उसपर निर्णय किया जाय। इसमें उपबन्धित व्यवस्था का यही औचित्य है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : जहां संबंधित राज्यों में एकमत हो, वहां केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक में एक ऐसा सुनिश्चित उपबन्ध जोड़ने में क्या आपत्ति है कि उस योजना को स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री नन्दा : उसके लिये कोई अवसर ही नहीं आयगा। प्रश्न तो यह है कि एक समय सिर्फ दो ही राज्यों में मत भेद खड़ा हो, पर आगे चलकर नदी का तटवर्ती कोई राज्य या उसका कुछ क्षेत्र भी उसमें शामिल हो सकता है। ऐसे मामले में, एकीकृत उद्देश्य के विचार से केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें एक सर्वांगीन सुन्दर आयोजन बनाकर, उसमें प्रादेशिक योजनाओं को रखना चाहिये। मान लीजिए कि एक ऐसी सर्वांगीन सुन्दर योजना मौजूद है, लेकिन तब भी तो, यह देखने के लिये कि दो राज्यों से सम्बंधित कोई मामला पूरे देश के विकास की इस योजना से कहीं न टकराये, केन्द्रीय सरकार के लिये राज्यों की राय जानने का अवसर जुटाना आवश्यक हो जाता है। इसमें यह उपबन्ध नहीं कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड के निर्णयों को रद्द कर सकती है, और चाहे तो मामले को मध्यस्थ के सामने पेश होने से रोक सकती है। राज्य भी तो मध्यस्थ या बोर्ड तक जा सकते हैं। इसलिये, यह ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को इस प्रकार की कोई चिन्ता हो कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे स्वविवेक का अधिकार दे देने से बुरे परिणाम निकलेंगे।

मध्यस्थ की नियुक्ति के सिलसिले में भी कुछ बातें कहीं गई थीं। एक-दो माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों नियुक्त किया जाय, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को मध्यस्थ क्यों न बनाया जाये ? दूसरी ओर, ठीक इसके विपरीत एक सुझाव था पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश-प्राप्त ही क्यों, मौजूदा समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति को ही मध्यस्थ क्यों न चुना जाये ?

वास्तव में मूल रूप में हमने सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश को ही मध्यस्थ बनाने का उपबन्ध रखा था। लेकिन हमने यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा था और हमने उसकी राय मिल गई थी। उसी राय के आधार पर यह परिवर्तन किया गया है। हो सकता है कि योग्य व्यक्तियों को सुलभता के विचार से हम अन्य न्यायालयों को ही चुनते और वास्तव में जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था, यदि हमने सर्वोच्च

[श्री नन्दा]

न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश का ही उपबन्ध रखा होता तो वह उन लोगों के विचारों को बदल देता जो इन पदों को मौजूदा न्यायाधीशों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन, मैंने कहा भी है कि हम पूरी तौर पर मुख्य न्यायाधीश पर ही निर्भर थे। उसकी राय थी कि हम उच्च न्यायालयों के मौजूदा और सर्वोच्च न्यायालयों के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों को ही उसमें शामिल कर सकते हैं। हमने वह राय मान ली है। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई कुछ अन्य बातों पर मैं उनके आने से पहले ही कह चुका हूं! अब उन्हें दोहराना संभव नहीं है।

एक और बात कही गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लिये इसका कोई भी प्रश्न न छोड़ा जाये, कि इसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बिलकुल ही मिटा दिया जाये, कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न कोई और न्यायालय ही इस विधान के अन्तर्गत नियुक्त किये गये मध्यस्थ के किसी भी निर्णय को और इसमें उठने वाले किसी भी प्रश्न को अपने यहां पेश होने देने का अधिकार पाये। वास्तव में हमने अंतर्राज्यीय जल सम्बंधी विवादों वाले विधेयक में एक ऐसी चीज रखी भी थी। लेकिन यहां तो उसमें अन्तर पड़ जाता है। उसका कारण यह है। दूसरे मामले में तो संविधान में ही इस बारे में एक उपबन्ध है। अनुच्छेद २६२ (२) में विशिष्ट तौर पर कहा गया है:

"इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।"

दूसरे विधेयक के मामले में हम संविधान के इसी अनुच्छेद के अनुसार चल रहे थे। लेकिन, इस मामले में ऐसी छूट देना हमारे हाथ में नहीं है।

मेरा विचार है कि मैं यहां उठाई गई सभी बातों के बारे में कह चुका हूं। यदि कुछ बातें छूट गई तो उन्हें संयुक्त समिति में उठाया और वहीं उन पर विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, राज्य सभा की १५ सितम्बर १९५५ की बैठक में की गई तथा १९ सितम्बर, १९५५ को इस सभा को संसूचित इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिये नदी बोर्डों की स्थापना करने वाले विधेयक संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति के लिये लोक-सभा के यह सदस्य नामनिर्देशित किये जायें, अर्थात् श्री प्यारे लाल कुरील "तालिब" श्री सोहन लाल धूसिया, श्री सुन्दर लाल, श्री वैंकटराव पिराजीराव पवार, श्री रामप्पा बालप्पा बिदारी, श्री चन्द्रशंकर भट्ट, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री एम० शंकरपांडियन, डा० एम० वी० गंगाधर शिव, श्री एम० के० शिवनेजप्पा, श्री लक्ष्मन श्रावन भटकर, श्री नन्दलाल जोशी, श्री पी० रामस्वामी, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री नयन तारा दास, श्री रणवीर सिंह चौधरी, श्री लक्ष्मन सिंह चाड़क, श्री बसन्त कुमार दास, श्री सीतानाथ ब्रह्मचौधरी, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री कादियाला गोपाल राव, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, श्री बाई० गाडिलिंगन गौड़, श्री जसवन्तराज मेहता, श्री वी० वीरस्वामी, श्री बहादुर सिंह

श्री आर० वेलायुधन, श्री आनन्दचन्द और श्री गुलज़ारी लाल नन्दा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): मैं आपकी अनुमति से अपने नाम में दर्ज प्रस्ताव को थोड़े संशोधन के साथ पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें छापे की थोड़ी अशुद्धि रह गई है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत सरकार की आर्थिक नीति पर, कृषि भूमि और ग्रामीण ऋण की विशेष चर्चा करते हुए, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का संशोधन क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : 'कृषि सम्बंधी' के स्थान पर, 'कृषि' शब्द होना चाहिये। अभिप्राय यह है कि नीति का विशेष सम्बंध कृषि, भूमि और ग्रामीण ऋण से होगा।

मैं इसके साथ ही हमारी अर्थ-व्यवस्था के कृषि सम्बन्धी क्षेत्र से सम्बद्ध आर्थिक नीति के मोटे मोटे उद्देश्यों पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। इस क्षेत्र के महत्व को यथार्थ से अधिक आंकना कठिन है। उससे हमारी राष्ट्रीय आमदनी का ५० प्रतिशत भाग आता है और हमारी कुल जनसंख्या में से ७० प्रतिशत को जीविका मिलती है। इसलिये आर्थिक विकास को किसी भी योजना में कृषि-क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा ही। यह उचित ही था कि प्रथम पंच वार्षिक योजना ने कृषि के विकास को सब से अधिक प्राथमिकता दी थी और योजना में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये खाद्य और कच्चे माल के अधिक उत्पादन पर ही जोर दिया था। अभाव और ऊंची कीमतों की परिस्थितियों में, उत्पादन पर जोर देना उचित था। लेकिन अब जब कि हमने कृषि उत्पादन की गति तीव्र करने में काफ़ी ठोस ढंग की सफलता प्राप्त कर ली है, हम इन बातों को एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और समूची कृषि अर्थव्यवस्था के विकास की ओर क़दम बढ़ा सकते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों के सिलसिले में प्राप्त किये गये कृषि उत्पादन के प्रसार ने हमारी अर्थ-व्यवस्था के कृषि-आधार को ही दृढ़ नहीं बनाया बल्कि विनियोजन की गति बढ़ाने के लिये भी एक अनुकूल वातावरण पैदा कर दिया है। खाद्यान्नों का उत्पादन १९५०–५१ के ५०० लाख टनों से १९५४–५५ में ६५८ लाख टनों तक बढ़ गया है, जो योजना द्वारा निश्चित १९५५–५६ के लक्ष्य से लगभग ४२ लाख टन अधिक है। १९५१ में हमने ४७ लाख टन खाद्यान्न आयात किये थे। १९५५ के दौरान हमारा आयात ८ लाख टन से अधिक नहीं होगा, ऐसी आशा है और इसे भी अन्दरूनी आवश्यकता की खपत की दृष्टि से इतना नहीं, बल्कि एक समुचित भंडार संचित करने के लिये ही मंगाया गया है। वास्तव में, खाद्य की स्थिति इतनी अनुकूल हो गई है कि सरकार ने चावल, ज्वार, मकई, चने और अन्य दालों तथा गेंहूं की बनी चीजों के निर्यात तक की अनुमति दे दी है। मैं यहां पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आसाम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में हाल ही म आई हुई बाढ़ों से अन्य क्षेत्रों में कितना ही बुरा असर क्यों न पड़े, देश की समूची

[श्री ए० पी० जैन]

खाद्य स्थिति पर उसका कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी भी कठिनाई के आने का अंदेशा नहीं है। विभिन्न राज्यों और सरकार के अपने संचित भंडारों से प्राप्त खाद्य स्थिति के विवरणों से मैंने यही निष्कर्ष निकाला है, और स्थिति केवल खाद्यान्नों के बारे में ही संतोषप्रद नहीं है। वाणिज्यिक (आदि) फ़सलों के उत्पादन में भी काफ़ी सुधार हुआ है; और इन वाणिज्यिक फ़सलों पर ही हमारे देश के उद्योग अपने कच्चे माल के लिये निर्भर रहते हैं और ये निर्यात द्वारा अर्जित की जाने वाली हमारी कमाई में भी बहुत योग देती हैं। कपास का उत्पादन १९५०–५१ की २९ लाख गांठों से १९५४–५५ में ४३ लाख गांठों तक पहुंच गया है और १९५५–५६ के निश्चित लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ चुका है। तिलहनों के बारे में भी स्थिति यही है। उनका १९५४–५५ का उत्पादन भी प्रथम योजना द्वारा निश्चित लक्ष्य से ४ लाख टन अधिक हो गया है। केवल जूट में प्रगति कुछ धीमी है। लेकिन उसमें भी, चालू वर्ष का उत्पादन १९४९–५० के उत्पादन से कहीं ज्यादा हुआ है। चीनी का उत्पादन अभी तक सबसे अधिक १९५४–५५ में लगभग १६ लाख टन हुआ था। और चूंकि चीनी की स्थिति अब अपेक्षतः काफ़ी अनुकूल है, इसलिये उसके निर्यात के लिये अब नये आर्डर भेजने का हमारा कोई विचार नहीं।

यदि हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, अपनी जनता के रहन-सहन के स्तर को अधिक ऊंचा उठाना है और देश के साधारण आर्थिक विकास के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा संचित करनी है तो हमें प्रथम योजना के दौरान प्राप्त किये गये कृषि-उत्पादन के अपने अन्यतम आर्थिक विकास को क़ायम भर नहीं रखना है, बल्कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत उसे और भी बहुत अधिक आगे बढ़ाना होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये, हम द्वितीय योजना में इसकी एक पर्याप्त व्यवस्था करना चाहते हैं। इस पर अभी भी विचार हो रहा है। लेकिन लक्षण इस बात के मालूम पड़ते हैं कि वह शायद प्रथम योजना से लगभग ५० प्रतिशत अधिक होगी। हम १९६०-६१ में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग १०० लाख टन तक, अर्थात् १९५५-५६ से १५ प्रतिशत अधिक तक बढ़ा लेना चाहते हैं। छोटी और बड़ी दोनों ही प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत २०० लाख एकड़ से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होने की आशा है। अकेली केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ही लगभग १० लाख एकड़ परती भूमी को कृषि-योग्य बनायेगी। आशा है कि विभिन्न राज्य भी पर्याप्त क्षेत्र को कृषि-योग्य बनायेंगे। नाइट्रोजनयुक्त खादों का उत्पादन भी तीनगुना बढ़ा लेने का विचार है और इसके लिये तीन उर्वरक फैक्ट्रियां भी स्थापित की जायेंगी। अधिक अच्छे बीजों की अधिक पैदावर और उनके बंटवारे की एक नई अखिल देशीय परियोजना चालू की जायेगी, जिसमें ५,००० बीज-फार्मों और बीज-भंडारों का एक जाल-सा बिछाया जायेगा और यह हर विकास-खंड में एक-एक के हिसाब से रखे जायेंगे। पौधों के संरक्षण कार्य पर अब जितना जोर दिया जा रहा है, पहले उतना कभी भी नहीं दिया गया था। पौधों के संरक्षण के उपकरण के केन्द्रीय भंडार देश के १० महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्थित रहेंगे और टिड्डियों के नियंत्रण के बारे में गवेषणा करने के लिये एक विषेश क्षेत्रीय केन्द्र भी बनाया जायेगा। भारतीय और अमरीकी विशेषज्ञों

के एक संयुक्त दल द्वारा इसके अन्वेषण, शिक्षा और वृद्धि के कार्यों की पूरी छानबीन कराई गई है। और हमारी अर्थ-व्यवस्था की त्रुटि को दूर करने के लिये उसके प्रतिवेदन की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा की जा रही है। कृषि-शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जा रहा है और वह इस दृष्टिकोण से कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को प्रशिक्षित व्यक्ति मिलते रहें और अधिक अच्छे कौशल की बढ़ती लगातार कायम रखी जा सके। राष्ट्रीय विस्तार योजना तेजी से फैलाई जा रही है, जिससे कि १९६१ तक वह देश भर में फैल जाये।

मोटे तौर पर हमारा उद्देश्य यह है कि इन साधनों के द्वारा अपने कृषि-उत्पादन के देशनांक को ऊंचा उठाया जाये। १९४९-५० को आधार मान लेने पर, उसकी तुलना में इस चालू वर्ष में हमारा उत्पादन ११४ तक पहुंच ही चुका है, और हम उसे १९६०-६१ में १३५ तक उठाने का प्रयास करेंगे। इसके बल पर, हम प्रति दिन प्रति व्यक्ति उष्मीय खपत को आजकल के १८०० से १९६०-६१ में २२५० तक बढ़ा सकेंगे और प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कपड़े की सुलभता को १५ गजों से कम-से-कम १८ गजों तक बढ़ा सकेंगे। हम संरक्षणात्मक खाद्यों, दुग्ध, फलों और मछली, मांस और अंडों आदि पर भी अधिक जोर देना चाहते हैं। इसमें हमारा दृष्टिकोण खाद्य की कमियों को दूर करने का है। फिर भी, यह जरूरी है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हमें कृषि-उत्पादन को निश्चित करने वाली कुछ आधारभूत बातों की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिये। मेरा मतलब विशेषकर तीन बातों से है, कृषि-संबन्धी मूल्यों को एक समुचित स्तर पर बनाये रखना, क्रय-विक्रय की व्यवस्था, गोदामों और ऋण की सुविधायें और सामाजिक न्याय तथा अधिक साधनपूर्णता की प्रेरणा के रूप में भूमि व्यवस्था का सुधार, जिसमें कृषि का पुनर्गठन भी शामिल है। इन समस्याओं पर प्रकाश डालने के सिलसिले में सभा का कुछ समय लेने के लिये मैं कोई सफ़ाई नहीं देना चाहता। विनियंत्रण के बाद कीमतों की गिरावट की प्रवृत्ति ने कुछ लोगों के मस्तिष्क में संदेह पैदा कर दिया था कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों की बढ़ती से कीमतों की और अधिक गिरावट नहीं होगी। 'विनियंत्रण के बाद क़ीमतों की थोड़ी सी गिरावट तो अवश्यम्भावी थी, लेकिन इस गिरावट और क़ीमतों के चढ़ाव-उतार का एक हिस्सा तो अस्थाई ही है। मैं नहीं समझता कि हम अपनी कृषि-अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैदावार की सम्पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुके हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ, अधिक अच्छे पोषण का स्तर और क्रय करने की अधिक शक्ति की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ मैं नहीं समझता कि हम क्यों अपने अतिरिक्त उत्पादन को खपा नहीं पायेंगे। जो भी हो, मेरा विचार है कि अभाव की अर्थव्यवस्था से आधिक्य की अर्थव्यवस्था सदा ही अच्छी रहती है। इसलिये हमें अपने उत्पादन की बढ़ती की गति बढ़ाते ही जाना चाहिये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हमारी अर्थ-व्यवस्था को बल देने के लिये ही, एक अस्थाई उपाय के रुप में ही, कृषि उपज की क़ीमत को सहायता देने का निर्णय किया है। माननीय सदस्य पूर्णतया जानते हैं कि सरकार ने कीमतों की विशेष तौर पर खाद्यों की क़ीमतों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं। ज्वार, बाजरा, मकई आदि मोटे अनाजों तथा गेहूँ और चने के मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार ने सीमित सहायता दी है। ज्वार, बाजरे और मकई के लिये क्रमशः पांच रुपये आठ आने, छः रुपये और साढ़े

[श्री ए० पी० जैन]

पांच रुपये प्रतिमन तथा गेंहूं के लिये दस रुपये और चने के लिये छः रुपये के निम्नतम मूल्य की घोषणा का वांछित परिणाम हुआ और उसने मूल्यों की तेज गिरावट को, जिसने भीषण रुप धारण कर लिया था, रोक दिया और आज इन वस्तुओं के मूल्य निम्नतम से काफ़ी ऊंचे स्तर पर स्थिर हैं। वास्तव में काफी दिनों से मूल्यों में कुछ स्थिरता की प्रवृत्ति दीख रही है। मूल्य-निर्धारण की अपनी नीती के पालन में सरकार ने जो खरीद की है, वह थोड़ी ही है। जूलाई, १९५५ के अन्त तक राज्य सरकारों ने लगभग ७६,००० टन गेंहूँ, ३८,००० टन ज्वार, १,२०० टन चना और बहुत थोड़ी मात्रा में मकई ही खरीदी है। खरीफ की फसल के अनाज और चने की खरीद प्रायः समाप्त हो गयी है। चावल के मूल्य निर्धारण के प्रश्न पर हाल ही में चावल-उत्पादक राज्यों के खाद्य-सचिवों तथा भारत-सरकार के अधिकारियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और मोटी किस्म के चावल को ग्यारह रुपये प्रतिमन और मोटे प्रकार के धान को उसी प्रकार के चावलों के मूल्य के समान दर पर बेचने का निर्णय किया गया है।

कृषि मूल्यों में उतार-चढ़ाव के स्वरूप और कारणों की पड़ताल के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त कर ही दी है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या धान का मूल्य चावल के मूल्य के बराबर ही होगा ?

श्री ए. पी. जैन : इसका मूल्य चावल के मूल्य के समान होगा, अर्थात् आनुपातिक-मूल्य।

भिन्न समयों और देश के भिन्न-भिन्न भागों में कृषि मूल्यों में जो उतार चढ़ाव होता है, उसकी पड़ताल के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त कर दी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिये बाजार की खोज और पुराने बाजारों पर अधिकार करने के लिए सरकार विदेशों को एक व्यापारिक शिष्ट मंडल भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सरकार ने कुछ अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात का कोटा अधिक बढ़ा दिया है। कई खाद्यान्नों को निर्यात की करमुक्त सूची में जोड़ दिया है। सहकारी समितियों और उत्पादकों को निर्यात के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की हैं और कई और के बारे में भी निर्यात-कर घटा दिया है।

१९५४ में १० वर्ष में पहली बार चावल का निर्यात किया गया है और गुड़, चने और दालों के निर्यात की खुली छूट दे दी गई है। वनस्पति तेलों, खली, रेंड़ी आदि के लिए बढ़े हुए निर्यात कोटे की अनुमति दी गई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमने जो गेहूँ खरीदा, वह १ प्रतिशत से भी कम था और जहां तक चने का प्रश्न है, निम्नतम मूल्यों की घोषणा मात्र ने उसके मूल्य में स्थिरता पैदा कर दी। इस बात से सबको संतोष होगा कि मूल्यों को स्थिर करने की हमारी नीति का साधारणतया वांछित परिणाम हुआ है और प्रचलित मूल्य आम तौर पर निम्नतम मूल्यों से अधिक ही हैं। यह कार्यवाही अधिक से अधिक शोधक ही हो सकती है और इससे कुछ दिनों में स्थिति में कुछ सुधार की आशा की जा सकती है। लेकिन किसी टिकाऊ और स्थायी सुधार के लिए हमें अन्य तरीके ढूंढने पड़ेंगे। समस्या का अन्तिम हल निस्संदेह यही है कि कम खर्च पर उतना ही उत्पादन करने अथवा आनुपातिक रूप से कम मूल्य पर अधिक उत्पादन करने में कृषि कार्य की कुशलता बढ़ा कर उत्पादन का मूल्य कम किया जाये। सिंचाई, अच्छे बीज, खादों के

प्रयोग, पौधों की रक्षा, अनुसंधान और शिक्षा आदि के क्षेत्र में सरकार जो विभिन्न कदम उठा रही है, वे इस दिशा में काफी दूर तक सहायक होंगे। लेकिन कुछ संगठनात्मक परिवर्तन करने भी आवश्यक होंगे जो किसान के लिये कृषि को लाभजनक बना सकें तथा उसके लिये अनुकूलतम फलदायी हों।

यह बात मुझे उस दूसरे प्रश्न पर ले आती है जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, अर्थात् प्रयाप्त स्तर तक संग्रह, भांडार तथा ऋण आदि की सुविधाओं की व्यवस्था, कृषि मूल्यों में विशेष उतार-चढ़ाव और किसानों की कम आय के महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह भी है कि संग्रह और ऋण की सुविधा न होने के कारण उसमें सामान को रोक रखने की शक्ति नहीं रहती। देहातों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि ५० वर्ष तक कार्य करने के बावजूद भी सहकारी संगठन देहातों में ऋण और क्रय-विक्रय की आवश्यकतायें पूरी करने मे असफल रहे हैं। देहातों में हर वर्ष जितने ऋण की आवश्यकता पड़ती है, सरकारी समितियां उसके केवल ३ १ प्रतिशत भाग की व्यवस्था कर पाती थीं और ऋण लेने वाले कुल किसानों को ३·२ प्रतिशत भाग ही इनसे लाभ उठा पाता था। मध्यम और छोटी श्रेणी के किसान आम तौर पर छूट जाते थे। ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों की जांच के बाद समिति की यह राय थी कि देहातों में ऋण की व्यवस्था करने वाली एजेंसियों का स्वरूप संस्थामूलक और सहकारी हो। उसने यह सिफारिश की है कि सहकारी व्यवस्था के संगठन और उसको सुदृढ़ बनाने के लिये रिजर्व बैंक के कार्यों को तीव्रतर किया जाय और उनका विस्तार किया जाय तथा कृषि-पदार्थों के क्रय-विक्रय के लिये ऋण की व्यवस्था करने के निमित्त पूरक स्रोत के रूप में राज्य बैंक की स्थापना की जाय। एक सुदृढ़ और सुसंगठित ढांचा बनाने के लिये समिति ने यह सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय में कुछ कोष स्थापित किये जायं और ऋण देने वाली प्रत्येक स्तर की प्रारम्भिक, जिला और शीर्षस्थ-सहकारी समितियों की व्यवस्था को ठीक किया जाय।

समिति ने देशभर में ऐसी सहकारी विक्रय-समितियों और भांडारों का जाल-सा बिछाने की भी सिफारिश की है जो ऋण देने वाली सहकारी समितियों से निकट रूप में संबंधित हों। सहकारी समितियों में पूंजी लगाकर, उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण द्वारा और उनके नियंत्रण संबंधी व्यापक देख-रेख द्वारा सरकार को इसमें प्रभावशाली भूमिका अदा करनी होगी।

माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि रिजर्व बैंक को देहातों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति ने जो कार्य सौंपे हैं उनको प्रभावशाली ढंग से पूरा करने योग्य बनाने के लिये रिजर्व बैंक अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है। पिछले कई वर्षों में सहकारी समितियों के संगठन और उनके लिये ऋण की व्यवस्था करने में रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। कानून द्वारा निर्धारित जमानत मिलने पर वह १½ प्रतिशत के रियायती ब्याज पर मनचाहा अल्पकालीन ऋण देता है। जैसे जैसे राज्य का सहकारी संगठन सशक्त होता चलता है और आवश्यक जमानत मिलती रहती है, रिजर्व बैंक इस अल्पकालीन ऋण की राशि भी बढ़ाता चलता है। अल्पकालीन ऋण की अवधि ९ महीने से बढ़ाकर १५ महीने कर दी गयी है और खेती संबंधी मिले-जुले कार्यों को सुरक्षित रखने को क्रिया,

[श्री ए० पी० जैन]

कुटीर-उद्योगों आदि को सम्मिलित करने के लिए उसका क्षेत्र विकसित कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप, राज्य सहकारी बैंकों को मिलने वाला ऋण १९५०-५१ के ५·७७ करोड़ रुपयों से बढ़ कर १९५४-५५ में २१·२१ करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है। रिजर्व बैंक को १½ प्रतिशत के रियायती व्याज पर ५ करोड़ तक के मध्यम-कालीन स्थान देने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में १९५३ में भी संशोधन किया गया। यह बैंक भूमि बंधक रखने वाले बैंकों के ऋण-पत्रों में भी रुपया लगाता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में सबसे हाल के संशोधन ने बैंक को यह अधिकार दे दिया है कि वह देहातों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति की सिफारिश के अनुसार अपने कोष में से "दीर्घकालीत कृषि-ऋण कोष" और "राष्ट्रीय ऋण स्थायीकरण कोष" की स्थापना कर दे। यह बैंक दीर्घकालीन कोष में, आरम्भ में, १० करोड़ की अनावर्त्तक और हर वर्ष ५ करोड़ की आवर्त्तक राशि देगा। इसी प्रकार स्थायीकरण कोष में बैंक प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपये से कम नहीं देगा। दीर्घकालीन कोष का उपयोग केवल सहकारी समितियों के हिस्से खरीदने के निमित्त राज्य सरकारों को ऋण और पेशगी देने, कृषि कार्यों के लिये राज्यों के सहकारी बैंकों को मध्यमकालीन ऋण देने और भूमि बंधक रखने वाले केन्द्रीय बैंक को दीर्घकालीन ऋण और पेशगी देने के काम में किया जायेगा। स्थायीकरण कोष का उपयोग राज्यों के सहकारी-बैंकों को मध्यमकालीन ऋण और पेशगी देने में किया जायेगा ताकि सूखे, बाढ़, अकाल और इसी प्रकार के अन्य संकटों के समय जब भी आवश्यक हो वे अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित कर लें।

मान्य सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने और उसकी आर्थिक सहायता करने के लिये रिजर्व बैंक इस समय पूरी तरह साधनयुक्त है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है और उसे भारत के राज्य बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। देहातों में ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने में राज्य बैंक का कार्य बढ़ता जायगा और उसका सही क्षेत्र राज्य बैंक, रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर होने वाले परीक्षणों तथा सिंहवलोकन पर निर्भर करेगा। अपनी शाखाओं के विस्तार के बहुत कार्यक्रम में देहातों में ऋण की व्यवस्था की दिशा में जो बहुमूल्य सहयोग निहित है, उसके अतिरिक्त भी राज्य बैंक सहकारी संस्थाओं के लिये प्रेषण सम्बन्धी व्यापक सुविधायें उपलब्ध कर देगा। किसानों को सीधे पेशगी देने का मुख्य उत्तरदायित्व यद्यपि सहकारी बैंक और भूमि बंधक रखने वाले बैंकों पर है, फिर भी राज्य बैंक सामान और उनके स्वामित्व के दस्तावेजों पर पेशगी देकर सहकारी विक्रय, रक्षण और छोटे उद्योगों की सहायता करेगा। वह भूमि बन्धक रखने वाले बैंक के ऋण पत्र भी खरीद सकता है और सहकारी बैंक के एजेण्ट के रूप में भी काय कर सकता है। भारत राज्य बैंक इस समय अच्छी तरह ये उत्तरदायित्व निभा सकता है।

आधारभूत विशालकार्य ऋण समितियां ही देहातों की ऋण-व्यवस्था के सुधरे हुये ढांचे की मुख्य विशेषता होगी। इन बड़ी समितियों का कार्यक्षेत्र सिंचाई वाले पांच

गांवों और बिना सिंचाई वाले दस से पन्द्रह गांवों में होगा। इनकी सदस्य संख्या लगभग ५०० होगी। प्रत्येक सदस्य अपनी लगायी हुई पूंजी की पंचगुनी राशि तक के लिये दायी होगा। समिति की हिस्से की निम्नतम पूंजी १५,००० होगी जो १९६०-६१ में बढ़कर २०,००० हो जायेगी। राज्य सरकार रिजर्व बैंक द्वारा पेशगी दी गयी रकम में से १०,००० की पूंजी समिति के हिस्सों में लगायेगी। अनुमान है कि यह समिति वर्ष भर में डेढ़ से दो लाख रुपयों तक की लेन-देन करेगी और इससे वह प्रशिक्षित तथा योग्य व्यक्तियों को नौकर रख सकेगी। अभी चूंकि यह संभावना नहीं कि यह समिति प्रारम्भ में ही पर्याप्त मुनाफा कर लेगी, इसीलिये कार्य शुरू करने के पहले तीन वर्षों में इसे आर्थिक सहायता दी जायेगी। बड़ी समिति केवल ऋण की ही व्यवस्था नहीं करेगी, वरन् नमक, खाद, मिट्टी के तेल, दियासलाई आदि अन्य अत्यावश्यक चीजों की भी व्यवस्था करेगी। वह विक्रय-समिति के एजेंट के रूप में कार्य करेगी और उसका अपना एक छोटा सा गोदाम होगा या वह एक गोदाम किराये पर ले लेगी। ये ऋण उत्पादन के कार्यक्रम से संबंधित होंगे और वे भूमि के स्वामित्व के स्थान पर संभावित फस्ल की जमानत पर दिये जायेंगे। जहां तक संभव होगा ये ऋण सामान के रूप में ही देने के प्रयास किये जायेंगे। यह आशा की जाती है कि १९६०-६१ के अन्त तक लगभग १२,००० बड़ी समितियां संगठित हो जायेंगी और ५,००० गोदामों का निर्माण हो जायेगा। वर्तमान समितियों में से कई एक को विशाल समितियों में खपा लिये जाने के बाद यह आशा की जाती है कि वर्तमान एक लाख पंद्रह हजार समितियों में से एक लाख समितियां बनी रहेंगी। आशा है कि यह दोनों प्रकार की समितियां १९६०-६१ के अन्त तक १५० करोड़ रुपये के अल्प-कालीन ऋण, ५० करोड़ रुपये के मध्यम-कालीन ऋण दे देंगी जो २५ करोड़ रुपयों के दीर्घ कालीन ऋण के साथ मिलकर देहातों में किसानों की ऋण संबंधी ३० प्रतिशत आवश्यकतायें पूरी कर देगी और लगभग एक तिहाई गांवों की आबादी के काम आयेगी।

विशालकाय ऋण समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण मिलेगा। साधारणतया, एक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक हुआ करेगा, लेकिन बड़े जिलों में छोटी प्रशासकीय इकाइयों में भी केन्द्रीय बैंक की व्यवस्था करनी पड़ती है। अंश पूंजी और योग्य कर्मचारी बढ़ाकर लगभग २० नये केन्द्रीय बैंक खोले जायेंगे और वर्तमान केन्द्रीय बैंकों को दृढ़तर बनाया जायगा। 'क' और 'ख' श्रेणी के सभी राज्यों में शीर्ष बैंक मौजूद हैं और यहां के गांवों में ऋण संबंधी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये इन्हें सुदृढ़ बनाना होगा। ब्याज की दर, जो कुछ राज्यों में १२ प्रतिशत तक बढ़ गयी है, कम कर के सवा ६ प्रतिशत कर दी जायगी।

इस समय ९ भूमि बन्धक बैंक हैं और इनकी संख्या बढ़ा कर १८ कर देने का प्रस्ताव है, ताकि 'क' तथा 'ख' श्रेणी के प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक हो जाय। प्रारंभिक भूमि-बन्धक बैंक इस समय मद्रास, आंध्र और मैसूर में ही केन्द्रित हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़ी संख्या में प्रारंभिक बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है और उनका साधारण कार्य केन्द्रीय बैंक ही विशेष रूप से खोले गये विभाग द्वारा किया करेगा। विशालकाय समिति की स्थापना, केन्द्रीय, शीर्ष और भूमि बन्धक बैंकों को बढ़ाने और सुदृढ़ बनाने का कुल खर्च लगभग २५ करोड़ हो जायेगा; यह रिजर्व बैंक देगा और गोदामों के निर्माण तथा कर्मचारियों के वेतनों के लिये सहायता के रूप में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें १० करोड़ रुपये देंगी।

देहातों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति ने सहकारी विक्रय और रक्षण के

[श्री ए० पी० जैन

संगठन के लिये यह सिफारिश की है कि नीति के स्तर पर एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास और भांडार बोर्ड' तथा कार्य-स्तर पर राष्ट्रीय भांडार-निगम तथा राज्य भांडार निगमों की स्थापना की जाय । ये खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे । बोर्ड और निगम की स्थापना की बात सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर ला गयी है, इन संस्थाओं की स्थापना के संबंध में एक विधेयक का मसविदा तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायगा । बोर्ड का कार्य-उत्पादन, रक्षण और विक्रय आदि के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आधार पर सहकारी-कार्यों की योजना बनाना और बढ़ाना, और कृषि पदार्थों के संग्रह और भांडार की व्यवस्था करना होगा । सरकार बोर्ड को ५ करोड़ का अनावर्त अनुदान और अगले ५ वर्ष तक प्रति वर्ष कम-से-कम ५ करोड़ का आवर्त्तक अनुदान देगी और उसके बाद भी उतनी राशि देगी जो बोर्ड को अपने कार्य चलाने के लिये आवश्यक होगी । इन दोनों अनुदानों में से दो कोष, अर्थात्, एक विकास कोष और एक भांडार कोष, स्थापित किये जायेंगे और इनमें से प्रत्येक को १५ करोड़ रुपये दिये जायेंगे । विकास कार्यों में प्रारंभिक और शीर्ष विक्रय समितियों की स्थापना और उत्पादन तथा संरक्षण सहकारी-समितियों को सुदृढ़ बनाने का काम शामिल है । यह बोर्ड अनुदानों और ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को धन देंगे और फिर राज्य सरकारें (१) हिस्से खरीद कर, (२) गोदामों के निर्माण के लिये ऋण और अनुदान देकर और (३) शुरू के वर्षों में कर्मचारियों पर होने वाले खर्च के लिये सहायता देकर सहकारी समितियों की सहायता करेंगी । चीनी मिलों, रुई धुनने, कोल्हू, पटसन की गांठ बनाने आदि संरक्षण-संबंधी सहकारी समितियों को आसान शर्तों पर ऋण दे कर सहायता दी जायेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में १५०० प्रारम्भिक विक्रय समितियों की स्थापना और १२०० गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है । अनेक नयी शीर्ष समितियों की भी स्थापना की आशा है, ताकि 'क' तथा 'ख' श्रेणी के प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की एक समिति हो सके । इन सब कार्यों पर कुल लगभग १८ करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

यह विधेयक एक केन्द्रीय भांडार निगम और राज्य भांडार निगमों की स्थापना की भी व्यवस्था कर देगा । केन्द्रीय भांडार निगम की अंश-पूंजी २० करोड़ रुपयों की होगी और इसका ५० प्रतिशत भाग तत्काल प्रार्थित पूंजी होगा । भारत सरकार इस अंश पूंजी में ४ करोड़ का अंशदान देगी और बाकी राशि की व्यवस्था भारत राज्य बैंक, व्यावहारिक बैंकों, बीमा कंपनियों, सहकारी समितियों द्वारा की जायेगी । केन्द्रीय भांडार-निगम का कार्य अखिल भारतीय महत्त्व के स्थानों पर भांडारों की स्थापना करना और राज्य भांडार निगमों की अंश-पूंजी में राशि देना होगा । भांडारों के लिए उपयुक्त स्थानों और इनमें संग्रहीत की जाने वाली वस्तुओं के चुनाव के लिए प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं । राज्य सरकारों को भी भांडारों के निर्माण के कार्यक्रम को अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लेने की सलाह दी गई है। भंडारों की संख्या, उनके निर्माण के स्वरुप, उनमें संग्रहीत की जाने वाली वस्तुओं के सुझाव और भांडारों के लिए आवश्यक कर्मचारियों संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय में एक प्राविधिक समिति नियुक्त कर दी गई है । भांडारों के कार्यक्रम और गोदामों के निर्माण के फलस्वरूप यह अनुमान है कि १९६०-६१ के अन्त तक २० लाख टन सामान संग्रह कर सकने योग्य स्थान उपलब्ध हो जायेगा । द्वितीय पंचवर्षीय

योजना की अवधि में भांडार संबंधी कार्यों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के १० करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

सहकारिता आन्दोलन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निमित्त प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राज्य में अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कम-से-कम एक संस्था होगी जहां से प्रतिवर्ष ३,००० व्यक्ति प्रशिक्षित होकर निकलेंगे । पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्यम श्रेणी के १,५०० कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे और पूना का अखिल भारतीय सहकारिता प्रशिक्षण विद्यालय इसी अवधि में उच्चतर श्रेणी के ३०० अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा । प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में भी एक सहकारिता अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, इस श्रेणी के ४,००० कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हें आठ क्षेत्रीय संस्थाओं में अलग-अलग, प्रशिक्षित किया जायेगा । आशा है कि इससे सहकारिता आन्दोलन में कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ।

इसका निष्कर्ष यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस संपूर्ण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में रिजर्व बैंक को कुल २५ करोड़ पये और कन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कुल ५० करोड़ रुपय व्यय करने पड़ेंगे । यह राशि उन अल्प, मध्यम और दीर्घ कालीन ऋण के अतिरिक्त होगी जो रिजर्व बैंक से उपलब्ध होंगे ।

गांवों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण के इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी बात समाप्त करने के पहले में सहकारिता आन्दोलन में राज्यों के भाग लेने, नियंत्रण और देख रेख के प्रश्न पर भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं । जिसने किसी समय सहकारिता आन्दोलन में भाग लेने वाले गेर सरकारी व्यक्तियों में हलकी सरगर्मी ला दी थी । गांवों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिशें, जिन पर थोड़ा विवाद भी हुआ था, यह थीं कि शीर्ष और केन्द्रीय स्तर पर सरकार को अंश-पूंजी का कम-से-कम ५१ प्रतिशत भाग अंशदान में देना चाहिए । प्रारम्भिक समितियों में, अगर आवश्यकता पड़ी तो, सरकार कमी को पूरा करने के लिए अंश-पूंजी में अंश-दान दे सकती है । प्रारम्भिक समितियों को सरकार का अंशदान तो एक निश्चित अवधि के उपरान्त बन्द हो जायेगा, परन्तु केन्द्रीय और शीर्ष संस्थाओं के लिए अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहेगा । जिन संस्थाओं में सरकार की अधिक अंश पूंजी होगी, वह उनके एक तिहाई तक संचालक नाम निर्दिष्ट कर सकेगी । सरकार को कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर, जैसे वित्तीय नीतियों सुस्थित, और ऋण दान संबंधी नीतियों के बृहत्तर उद्देश्यों पर निर्णयों को पलटने अथवा बदलने और स्वयं अपने निर्णय लागू करने का भी अधिकार होगा । सहकारिता आन्दोलन में भाग लेने वाले कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों का ख्याल था कि अंश-पूंजी में सरकार का योगदान अगुआई में बाधक होगा और सहकारी-संस्थाओं का स्वतंत्र रूप नष्ट कर देगा । यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि सहकारी-संस्थाओं का संचालक मंडल सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होने से शक्ति का केन्द्रीयकरण हो जायगा, ऊपर की संस्थायें अधीनस्थ संस्थाओं पर शासन करेंगी और पूरा ढांचा शासक दल के नियंत्रण में आ जायेगा । पिछल मार्च के महीन में पटना में जो द्वतीय भारतीय सहकारिता कांग्रेस हुई थी, उसनें उनके साथ देहातों में ऋण संबंधी सर्वेक्षण करने वाली समिति की अन्य सिफारिशों पर विस्तारपूर्वक विचार किया था । इस सम्मेलन में अन्य लोगों के अतिरिक्त राज्यों के सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और सहकारिता आन्दोलन में भाग लेने वाले विशिष्ट व्यक्तियों ने

[श्री ए० पी० जैन]

भाग लिया था । काफी विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकार कर सहकारिता आन्दोलन में सरकार के योगदान का स्वागत किया लेकिन साथ ही इस बात की ओर से भी सचेत रहने को कहा कि इस योगदान को इस प्रकार नियंत्रित किया जाय ताकि सहकारी संगठनों के लोकतांत्रिक स्वरूप में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो । सरकार ने उनके हिस्से ख़रीदे हैं, इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि सरकार को सहकारी समिति के साधारण कार्यों में अत्यधिक अधिकार मिल जायें । संचालक-मंडल में राज्यों के प्रतिनिधियों का रहना वांछनीय होगा परन्तु इस प्रकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये तीन व्यक्ति भी आवश्यक रूप से सहकारी अधिकारी ही न होने चाहिएं । समितियों के आन्तरिक प्रबन्ध में राज्य सरकारों अथवा उनके नामजाद व्यक्तियों की शक्ति अथवा अधिकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । सरकार का विशेष अधिकार केवल इन संस्थाओं को ऋण देने की नीतियों तक ही सीमित रहेगा और जहां वित्तीय नीति के जैसे प्रश्न उठेंगे वहां कोई निर्देश देने से पहले सरकार को रिजर्व बैंक से परामर्श करना चाहिए । खाद्य, और कृषि मंत्रालय ने गत अप्रैल में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया था, उसने पटना की सहकारिता कांग्रेस की इन सभी सिफारिशों का अनुमोदन किया ।

ये सिफारिशें अब सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि अंश पूंजी में सरकारी योगदान का न तो यह उद्देश्य है और न इसका उपयोग सहकारी संस्थाओं के साधारण कार्यों में हस्तक्षेप के लिए किया जायेगा । सरकार के अपने निर्णय लागू करने के विशेष अधिकारों का प्रयोग वित्तीय नीतियों की सुस्थिति और बृहत्तर उद्देश्यों तक ही सीमित रहेगा । इन स्पष्ट आश्वासनों से हर प्रकार के संदेहों का दमन हो जाना चाहिए । पटना की सहकारिता कांग्रेस ने यह भी सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भांडार बोर्ड में सहकारिता आन्दोलन में भाग लेने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की संख्या भी दो से बढ़ा कर चार कर देनी चाहिए । सरकार ने यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली है ।

अच्छी खेती, गावों में ऋण, विक्रय, रचना और भांडार की बढ़ी हुई सुविधायें' जिनका मैं ऊपर ऊल्लेख कर आया हूं, निस्संदेह ही अच्छी चीजें हैं, लेकिन किसान को तब तक श्रम और रुपया लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता जब तक उसे यह न मालूम हो जाय कि आज वह जिस भूमि को विकसित कर रहा है वह कल भी उसी की रहेगी, और भूमि व्यवस्था से उसे यह आश्वासन मिले कि उसे अपने श्रम का पूरा फल मिलेगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारी भूमि व्यवस्था का आर्थिक उद्देश्य अधिक कृषि उत्पादन और कुशलता प्राप्त करना और सामाजिक उद्देश्य सम्पत्ति और आय में असमानता को दूर करना, शोषण का अंत करना, किसान और मजदूरों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना है, जो अपनी बारी में अन्ततोगत्वा ग्रामीण जनता के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता लाने की संभावना का मार्ग प्रशस्त कर देता है

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हम एक संघीय व्यवस्था के आधीन कार्य कर रहे हैं, जिसमें केन्द्र और राज्यों का निश्चित कर्तव्य है और समवर्त्ती सूची में दिये गये कुछ विषयों को छोड़ कर अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं । भूमि और भू-धति संबंधी अधिकार रखने की

सूची के अठारहवें विषय के अधीन आते हैं। संविधान के अनुसार भूमि सुधारों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार सीमित ही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की भूमि व्यवस्था सदियों पुराने परम्पराजन्य नियमों से विकसित हुई है। भू-धृति व्यवस्था में घोर वैषम्य है और अत्यन्त गतिशील व्यवस्था से लेकर अत्यन्त प्राचीन और सामन्तवादी व्यवस्थाएं तक हमारे यहां हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों की भूमि व्यवस्था, जो भूतपूर्व देशी राज्यों में शामिल थे, आधुनिक विचारों से कदम-से-कदम मिला कर चलने में असफल रही है। ऐसी स्थिति में देश भर में कोई कठोर व्यवस्था लागू करना न तो संभव होगा और न बुद्धिमानी का कार्य। भूमि सुधारों में हुई प्रगति के समन्वय और भूमि सुधारों के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक समिति संगठित की है। राज्य सरकारें जो भी कानून बनाने वाली होती हैं वह साधारणतया पहले इस केन्द्रीय समिति के पास भेजे जाते हैं, और यह उनकी पड़ताल के बाद राज्य सरकारों के सामने अपना मत प्रस्तुत कर देती है। यदि आवश्यक हुआ तो व्यक्तिगत रूप से विचार विनिमय के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी भेजे जाते हैं। केन्द्रीय समिति समझा बुझा कर अपना कार्य कराती है, अपनी बात लादती है। यह बात समझी जानी चाहिये कि यदि केन्द्र अपने विचारों को बलात् लागू कराने का प्रयास करेगा तो राज्य सरकारों का विरोध बढ़ेगा, जो अपनी विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी हैं। फिर भी, भूमि सम्बन्धी कानून मोटे तौर पर उस व्यवस्था के अनुरूप ही होने चाहियें जो देश भर के लिये निर्दिष्ट की गई है। मुझे सभा को यह सूचना देते हुये हर्ष होता है कि इस कार्य में केन्द्रीय समिति काफी हद तक सफल रही है।

यह कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि सुधारों का मुख्य स्वरूप यह है :

(१) मध्यवर्त्तियों का अन्त ;

(२) पट्टेदारी की व्यवस्था में सुधार;

(३) भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण; और

(४) कृषि का पुनर्संगठन ।

मध्यवर्त्तियों का अन्त करने का निश्चय कई राज्यों ने नियोजन के आरम्भ से पहले ही कर लिया था। योजना की अवधि में इस कार्य में शीघ्रता की गयी। अधिकांश राज्यों में मध्यवर्त्तियों का या तो अन्त किया जा चुका है या उनके अन्त के लिये आवश्यक कानून बनाये जा चुके हैं। त्रावनकोर-कोचीन और कच्छ आदि कुछ क्षेत्रों में विधेयक या तो प्रस्तुत किये जा चुके हैं या उनका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ऐसे छोटे-छोटे हिस्से ही बच रहे हैं जहां कानून बनने अभी बाकी हैं। जहां मध्यवर्त्तियों का अन्त हो चुका है, वहां साधारणतया भूमि जोतने वाले का राज्य से सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है। यदि उन्मूलन कानूनों में 'मध्यवर्त्ती' शब्द का प्रयोग शब्दिक अर्थ में अर्थात् उत्तर प्रदेश के समान राज्य और भूमि जोतने वाले के बीच वाले व्यक्ति के लिये किया गया होता तो पट्टीदारी की समस्या काफी आसान हो गई होती। राज्य और भूमि जोतने वाले के बीच सीधा सम्बन्ध होने से उसके फलस्वरूप पूर्ण स्वामित्व के अधिकार या धृति सम्बन्धी सुरक्षा प्राप्त हो गई

[श्री ए० पी० जैन]

होती । साथ ही रैयतवाड़ी क्षेत्रों के लिये मध्यवर्त्ती अन्तर्लन कानून आवश्यक नहीं समझे गये । कुछ क्षेत्रों में भाटकियों ने अपने यहां उपभाटकी रखे हुये हैं । ऐसी स्थिति में यह समस्यायें हैं कि भू-स्वामियों--इनमें मैं भाटकियों को भी शामिल कर रहा हूं--और उनके भाटकियों के--जिनमें भाटकियों के उपभाटकी भी शामिल होंगे--के अधिकारों का समन्वय किस प्रकार किया जाये, भू-स्वामियों को किस किस सीमा तक भाटकियों से भूमि वापस लेने की अनुमति दी जाये; बेदखल किसानों का क्या होगा; किसानों के पास जो भूमि बचेगी उस पर उसके क्या अधिकार होंगे ?

फिर से ग्रहण की जा सकने वाली भूमि की सीमा और उसकी शर्त्तें निर्धारित करने में राज्यों ने भिन्न नीतियां अपनायी हैं । उदाहरण के लिये पंजाब में भू-स्वामी को यह अधिकार है कि वह किसान के पास कम-से-कम ५ मान्य एकड़ भूमि छोड़ कर या बदले में उतनी ही जोत की भूमि दे कर ३० मान्य एकड़ तक भूमि पर फिर से अधिकार कर सकता है । हैदराबाद में, भू-स्वामी तीन पारिवारिक जोतों पर अधिकार कर सकता है--परन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसान के पास भी कम से कम एक बुनियादी जोत बचनी चाहिये । यदि किसान के पास एक बुनियादी जोत छोड़ सकना संभव न हो तो भू-स्वामी किसान के पास की कुल भूमि में से आधी को पुनः अपने अधिकार में ले सकता है, परन्तु यदि भू-स्वामि के पास केवल एक बुनियादी जोत या उससे भी कम है तो वह उस पूरी भूमि पर पुनः अधिकार कर सकता है । राजस्थान में भू-स्वामी निर्धारित सीमा तक की भूमि पर पुनः अधिकार कर सकता है परन्तु इसके लिये कम-से-कम १२०० रुपये वार्षिक शुद्ध आय वाली जोत की भूमि किसान के पास छोड़ना आवश्यक है । परन्तु इन सब कानूनों का आधारभूत सिद्धान्त यही है कि साधारणतया किसान को अपनी सारी भूमि से ही वंचित कर दिया जाय और जहां तक संभव हो एक जोत तो उसके पास छोड़ ही दी जाये । पुनः ग्रहण की सीमा के बाहर पड़ने वाली भूमि के संबन्ध में बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, हैदराबाद, पेप्सू, सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कच्छ आदि राज्यों में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने में काफी प्रगति हुई है । आन्ध्र, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन आदि अन्य राज्यों में भी पट्टेदारी की सुरक्षा के लिये कार्यवाही करने का आग्रह किया जा रहा है ।

योजना-आयोग की राय थी कि साधारणतया भाटक उत्पादन के एक चौथाई अथवा पांचवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिये । आसाम, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में इसी के अनुसार भाटक घटा दिया गया है । पंजाब और पेप्सू में भाटक की अधिकतम सीमा उत्पादन की एक तिहाई निर्धारित की गयी है जिन राज्यों में भाटक प्रथम पंच वर्षीय योजना द्वारा निर्धारित दरों के स्तर तक नहीं घटाया गया है उनकी सरकारों से आग्रह किया जा रहा है कि वे उन सिफारिशों के अनुसार अपने यहां की दरों में कमी कर दें । बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में किसानों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे किस्तों में भूमि का मूल्य चुका कर भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं । कुछ राज्यों में किसानों द्वारा चुकाया जाने वाला मूल्य उस भूमि के बहुगुणित भूराजस्व अथवा शुद्ध आय के ही बराबर होता है दूसरों में वह बाजार मूल्य का ही एक भाग होता है

योजना-आयोग ने जो भूमि-सुधार सम्बन्धी तालिका नियुक्त की थी उसने हाल ही में पट्टेदारी सम्बन्धी सुधार पर विचार किया और एक पट्टेदारी सुधार समिति नियुक्त कर दी है जो अब तक हुये कार्य का मूल्यांकन करेगी और द्वितीय योजना के लिये कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव देगी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किसी एक व्यक्ति के पास रहने योग्य अधिकतम भूमि की अंतिम सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। साथ में यह भी निर्देश है कि "एक व्यक्ति के पास वाली बड़ी बड़ी जोतों के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिये यह ढंग सब से अच्छा होगा कि ऐसे विशाल खेतों को दो श्रेणियों में विभक्त कर देना चाहिये जिनका प्रबन्ध उनके स्वामियों के ही हाथ में है। अर्थात् एक तो वे जिनका प्रबन्ध इतनी कुशलता से हो रहा है कि उनके विभाजन के फल-स्वरूप उत्पादन घट जायेगा, और दूसरे वे जो इस स्तर तक नहीं पहुंचते । भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी कानूनों द्वारा इसी प्रकार की खेतों का प्रबन्ध योग्य अधिकारियों के हाथ में दे दिया जाना चाहिये । योजना-आयोग ने यह भी सिफ़ारिश की है कि अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों को जोत की भूमि के आकार और वितरण, जोतदारों, भूस्वामियों और किसानों के अधीनस्थ भूमि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिये ऐसी जोत की भूमि की गणना करा लेनी चाहिये जिन में खेती होती है । पश्चिमी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर बाकी सब राज्यों में गणना कराने का कार्य हो भी रहा है और १२ राज्यों ने तो अपने प्रतिवेदन भी भेज दिये हैं । इस बीच, पंजाब, जम्मू और काश्मीर, हैदराबाद औ हिमाचल प्रदेश ने तो वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, सौराष्ट्र और दिल्ली में भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है । आसाम, हैदराबाद, अजमेर और पश्चिमी बंगाल में उतने क्षेत्रफल का उल्लेख कर दिया गया है जो भूमि मध्यवर्तियों के उन्मूलन के पश्चात् भूतपूर्व मध्यवर्ती अपने पास रख सकेंगे । भू-सुधार-तालिका ने एक और समिति नियुक्त कर दी है जो भूमि की अधिकतम और निम्नतम सीमा के प्रश्न पर विचार करेगी । अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उस समय किया जायेगा जब गणना पूरी हो चुकेगी होगी और समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया होगा ।

जब कि मध्यवर्तियों के उन्मूलन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने काफी सफलता प्राप्त की है और पट्टेदारों सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार तथा अधिकतम सीमा निर्धारित करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि कृषि के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ अधिक कार्य नहीं किया गया है । हमारे देश के देहातों में साधारणतया छोटी-छोटी जोतों, जिन का काफी बड़ा भाग आर्थिक दृष्टि से लाभ-जनक नहीं है, थोड़े से मध्य श्रेणी के किसानों और इने-गिने बहद भूस्वामियों का ही चित्र सामने आता है और इस पृष्ट-भूमि में छोटे और मध्यम श्रेणी के भूस्वामियों में सहकारिता के आधार पर खेती के प्रश्न को सर्वाधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि अधिक अन्न उपजाने के लिये सहायता देने के लिये वे भूराजस्व की माफ़ी, प्राविधिक परामर्श और आर्थिक सहायता आदि को प्राथमिकता दे कर सहकारी खेती को प्रोत्साहन दें । समितियों को भी कृष्यकृत बंजर भूमि के

[श्री ए० पी० जन]

आवंटन, जल प्रदाय, ऋण और इसी तरह की बातों में प्राथमिकता दी जाने वाली थी। प्रथम योजना में चालीस लाख रुपये का प्रावधान उन राज्यों को सहायता के लिये किया गया था जो सहकारी कृषि के विषय में प्रयोग करने जा रहे थे। किन्तु बहुत कम राज्य किसी प्रकार की योजनायें बना सके हैं। एक बड़े पैमाने पर ऐसी समितियों की स्थापना के लिये एक प्रतिरूप खोज निकालने के उद्देश्य से अभी हाल में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने कुछ चुनी हुई सहकारी कृषि समितियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन प्रारंभ किया है।

भू-सुधार सम्बन्धी तालिका द्वारा नियुक्त की गई एक समिति भूमि प्रबन्ध विधान-निर्माण, सहकारी कृषि और सहकारी ग्राम प्रबन्ध आदि बातों का परीक्षण कर रही है। चकबन्दी के सम्बन्ध में कुछ सफलता प्राप्त हुई है और कुछ राज्यों में जैसे बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि में कार्यारम्भ हो चुका है तथा और भी अन्य राज्य आवश्यक विधान निर्माण कर रहे हैं।

आशा की जाती है कि द्वितीय योजना-वधि में चकबन्दी के कार्य को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा।

इस बात को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिये कि भू-सुधार के सम्बन्धी जितने भी कार्य प्रारम्भ किये गये हैं उनमें कृषि का पुनस्संगठन सब से कठिन है। भारतीय कृषक, विश्व के अन्य भागों के कृषकों के समान ही, अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक वैयक्तिक है। सहकारिता के सिद्धान्तों को समझना, उचित नेतृत्व तथा प्रशिक्षित सेवि-वर्ग आदि का भी देश में अभाव रहा है। किन्तु ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने तथा सहकारिता के सिद्धांतों को समझने और उन पर अमल करने के लिये उचित वातावरण निर्माण करने के हमारे निश्चय से, मुझे आशा है, एक ऐसे उपयुक्त वायुमंडल का सृजन होगा जिसमें सहकारी कृषि समितियां पनपेंगी।

इन विचारों के साथ मैं इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने की सिफारिश करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : क्या इस स्टेटमेंट की प्रतिलिपियां हम लोगों को भी दी जायेंगी ?

श्री ए० पी० जैन : उसे परिचालित किया जायेगा।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : (मुजफ्फपुर उत्तर पश्चिम) : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया है कि उन्होंने आल इंडिया कोग्रापरेटिव यूनियन की सारी सिफारिशों को मान लिया है। मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि उसकी जो चार सिफारिशें हैं जिनमें बतलाया गया है कि १. स्टेट बैंक के लैविल पर गवर्नमेंट के तीन नामिनी मनोनीत किये जायेंगे, २. मैनेजर के एपाइंटमेंट में और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरफरेंस नहीं होगा, ३. डिस्ट्रिक्ट बैंक में कोई भी नामिनी स्टेट बैंक की तरफ से नहीं किये जायेंगे और ४.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तो भाषण दे रहे हैं।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या इन बातों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप आखिर में पूछ सकते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कई संशोधन भेजे गये हैं। सभी प्रस्ताव प्रतिस्थापन के लिये हैं। इनमें से कुछ प्रस्ताव, जो कि श्री वी० पी० नायर, श्री एन० बी० चौधरी तथा श्री एस० एल० सक्सेना द्वारा रखे गये हैं, ऐसी बातों से सम्बन्धित हैं जिन पर राज्य सरकारों द्वारा या तो विचार किया जाने वाला है या उन बातों पर विधि निर्माण कार्य हो रहा है।

कार्य मंत्रणा समिति ने यह संकेत भी दिया है कि इस पर होने वाली चर्चा का क्या क्षेत्र होना चाहिये। सामान्यतः केन्द्रीय सरकार का कृषि अथवा भू-वितरण से किसी प्रकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन दिनांक १९ सितम्बर, १९५५ के बुलेटिन भाग ग में दिया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्यों के पास उक्त बुलेटिन है। यदि बुलेटिन उनके समक्ष न हो तो मैं उसकी एक या दो कंडिकायें पढ़ूंगा।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : आपने जो रूपरेखा पढ़ कर सुनाई क्या उसमें सभी पद—भूधारण, ऋण इत्यादि समाविष्ट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां कुछ और समाविष्ट नहीं कर सकते हैं। यहां साधारण नीति पर चर्चा की जा सकती है किन्तु यह कहना कि सरकार को भूवितरण, भूधारण की अधिकतम सीमा को निश्चित करने आदि बातों के सम्बन्ध में विधि निर्माण का कार्य करना चाहिये, ठीक नहीं है क्योंकि यह विषय पूर्णरूपेण राज्यों से सम्बन्धित है। यदि इस प्रकार के निदेश किसी भी प्रस्ताव में निहित हैं तो प्रस्ताव उस हद तक अनियमित होंगे तथा इन अनियमित भागों के अतिरिक्त शेष भाग स्वीकृत कर लिये जायेंगे।

इसके पश्चात् डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद दक्षिण), श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर), श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण), श्री एस० एन० दास, श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व सन्थाल परगना), श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) श्री जी० एल० चौधरी (ज़िला शाहजहांपुर-उत्तर व खेरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां), श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील), श्री एन० बी० चौधरी, श्री नटवाडकर (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां, श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टंगी), श्री एस० सी० देव (कचार-लुशाई पहाड़ियां, ठाकुर युगल किशोर सिंह, श्री शिब्बन लाल सक्सेना और श्री पी० एन० राजभोज ने अपने प्रतिस्थापन संशोधन प्रस्तुत किये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : क्या आप भाषणों के लिए कोई समय की सीमा निश्चित कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल के प्रवक्ताओं के लिए २० मिनट तथा अन्य के लिए १५ मिनट दूंगा। इसमें अधिक समय किसी हालत में नहीं दिया जा सकता।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मेरा निवेदन है कि दल के प्रवक्ताओं को अधिक समय की आवश्यकता होगी क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल छै प्रवक्ता हैं। मैं अधिक समय दे सकता हूं परन्तु ३० मिनट से अधिक नहीं।

श्री एस० एन० दास : किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए सब को समान अवसर मिलना चाहिए।

श्री बोगावत : किसी विशेष दल को कोई विशिष्ट समय नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री ए० के० गोपालन : बड़े हर्ष का विषय है कि हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। इसके मुख्य प्रयोजन हैं द्रुत-औद्योगीकरण, जीवनस्तर की उन्नति एवं राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि। औद्योगिक विकास के लिए दृढ़ नींव की आवश्यकता है और दृढ़ नींव तभी हो सकती है जब हम भूमि की समस्या को सफलता से हल कर लें। भारत की कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था के कारण उत्पादन में वृद्धि बहुत मन्द है। माननीय मन्त्री महोदय ने अभी हमारे सामने वे सुधार बताए

[श्री ए० के० गोपालन]

जो हाल ही में किए गए हैं अथवा जिन्हें सरकार करना चाहती है ।

मै आपके सामने चित्रका दूसरा पहलू रखूंगा सरकार ने चाहे कुछ भी किया और कछ भी उसका उद्देश्य रहा हो मैं बताऊंगा कि जहां तक काशतकारी के सुधारों का संबंध है वास्तव में क्या हो रहा है । यह ठीक है कि जिन राज्यों में इस नीति को लागू किया गया है उनमें भूमिहीन निर्धन काश्तकारों का कोई हित नहीं हुआ है । यह ठीक है कि उत्पादन अधिक हुआ है । परन्तु उत्पादन की वृद्धि के साथ क्रय शक्ति एवं धन में वृद्धि नहीं हुई है । भूमिसुधार हो रहे हैं पर भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जा रही है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

अस्तु मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे यह देखें कि काश्तकारी के सुधार व अन्य कार्य वास्तव में किस प्रकार कार्यन्वित होते हैं ताकि वे दोषों को सुधार सकें । मैं कृषिश्रम जांच समिति के प्रतिवेदन में से एक उद्धरण दूंगा जो देश की कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था की स्थिति का दिग्दर्शन कराता है—

> "५९ प्रतिशत किसान परिवारों के पास ५ एकड़ से कम भुमि है, ३० प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि मजदूर हैं और उनमें से ७१ प्रतिशत भूमिहीन हैं । दक्षिण भारत में ५० प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि मजदूर हैं । ३ करोड़ ५० लाख कृषि मजदूर हैं जिनमें से ८५ प्रतिशत आकस्मिक हैं वें केवल १५ प्रतिशत स्थायी नौकरी में हैं । गांवों की आधी आबादी भूमिहीन है और साल मे छै महीने बेकार रहते हैं

भारतीय राजनीति में किसान की यह स्थिति है। सर्वप्रथम मैं जमींदारी उन्मूलन को लूंगा । कृषि संबंधी सुधार का मुख्य नारा भूमि का वितरण है। यदि हम इसे स्वीकार करें तो हमें देखना होगा कि वैसा कहां तक हुआ है । जमीदारी उन्मूलन निरर्थक बात है क्योंकि भूमि का वितरण नही हुआ । यह तो भूमिका क्रय अथवा हस्तांतरण मांग है जिससे कुछ उच्च श्रेणी के लोगों को लाभ हुआ है यही नहीं जमींदारी उन्मूलन के नाम से किसानों पर कर का भार लाद दिया गया है जहां जमींदारी उन्मूलन हुआ है वहां जमींदारों के हाथ में अभी भी हजारों एकड़भूमि है । उदाहरणार्थ आन्ध्र में चल्लापल्ली के राजा के हाथ में १७,००० एकड़ जमीन है यद्यपि जमीदारी समाप्त कर दी गई है और भी ऐसे अनेक राजा हैं वे गलत इन्द्राज करते है और निजी भूमि के नाम से भूमि बनाए रखते हैं । अस्तु जिन लोगों के लिए सुधार किया गया उनको भूमि नहीं मिली । सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल ७ प्रतिशत किसान भूमि खरीद सकें हैं यह जमींदारी उन्मूलन का पहला परिणाम है ।

दूसरा परिणाम यह है कि मुआवजे के रूप में बड़ी बड़ी रकमें दी गई जब कि राष्ट्रीय निर्माण के लिए धन की कमी है । जहां तक भूमिसुधार का सम्बन्ध है मैं यही कहूंगा कि वह बिना मुआवजा दिये किया जाना चाहिए और उसके मूल में यह सिद्धांत होना चाहिये कि भूमि खेतिहर मजदूरों को वितरित की जाय । साथ ही छोटी छोटी जमीनों के मालिकों को कुछ सहायता दी जानी चाहिये यदि उनसे भूमि ली जाय । इसलिये जमींदारी उन्मूलन का स्वरूप भूमि का क्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं होना चाहिये वरन् उस का वितरण होना चाहिये ।

अब मैं काश्तकारी के सुधारों पर आता हूं । पिछले दिनों में जो भी काश्तकारी कानून पास हुआ है वह जमीन के मालिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी

व्यक्तिगत खेती के लिये काश्तकार से भूमि वापिस ले सके । मंत्री महोदय के अनुसार पुनर्ग्रहण की सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है । मद्रास में क्या हुआ ? काश्तकारी कानून के पास होने के पहले हजारों काश्तकारों की भूमियां छीन ली गई थीं । अस्तु काश्तकारी के सुधारों के बावजूद भी काश्तकारी की सुरक्षा नहीं है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 'इकॉनामिक रिव्यू' में हैदराबाद के सम्बन्ध में प्रकाशित कतिपय तथ्यों की ओर आकर्षित करूंगा । हैदराबाद राज्य के विशेष भूमि सुधार अधिकारी ने, जोकि एक आई० ए० एस० अफसर हैं, हमें कुछ तथ्य बताये हैं जिन से ज्ञात होगा कि वहां पर काश्तकारी के सुधार किस प्रकार कार्यान्वित हुए हैं । जहां तक रक्षित कृषकों का सम्बन्ध है मैं यह संकेत करूंगा कि उस में तथा इच्छाधीन कृषक में अन्तर है । रक्षित कृषकों में से लगभग ७५ प्रतिशत काश्तकारी विधान के पश्चात् बेदखल कर दिये गये थे । इच्छाधीन कृषकों के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं है । १५ अगस्त. १९५५ के 'ए० आई० सी० सी० इकानामिक रिव्यू' में यह उल्लेख है कि "ऐसा देखा गया कि रक्षित कृषकों की संख्या इच्छाधीन कृषकों की अपेक्षा बहुत कम हो गई ।"

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषकों को बेदखल कब किया गया । इस की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । प्रथम तालिका में यह मालूम होता है कि तेलंगाना के ग्रामों में बेदखली अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रारम्भ हुई जबकि मरथवाडा और करनाटक के ग्रामों में वह एक साल बाद प्रारम्भ हुई । बाद में बेदखली की कार्यवाही की गति कुछ मन्द पड़ गई । इस से मालूम होता है कि बेदखलियां १९५२-५३ में हुईं जबकि काश्तकारी अधिनियम में कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा था ।

मैं इस के ब्यौरे पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसा प्रति दिन हो रहा है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि ८१ प्रतिशत बेदखलियां अनुचित दबाव के कारण परित्याग के कारण हुई और केवल १० प्रतिशत लगान न चुकाने के कारण । मलाबार के सम्बन्ध में मैं अनेक उदाहरण भी जानता हूं । महीना भर पूर्व एक परिवार को दिन दहाड़े जमींदार ने उस के मकान से निकाल दिया जिस में १२ वर्ष से लगातार रह रहा था और उस को हटा कर केले के पेड़, लगवा दिये । जब मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो उन से कहा गया कि उन्हें न्यायालय में जा कर डिग्री प्राप्त करनी चाहिये । दूसरे दिन जब स्थानीय सभा का एक सदस्य व जिला बोर्ड के कुछ सदस्य आये तो पुलिस ने अपना रवैया बदला । ऐसी घटनायें प्रति दिन होती रहती हैं जिन में कि जमींदारों के अनुचित दबाव के कारण लोगों को जमीन छोड़ देनी पड़ती है । जमींदार जब धमकी देते हैं तो किसान जमीन छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अनेक बातों के लिये जमींदारों पर आश्रित रहना पड़ता है और वे उन से अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते । ऐसे भी अनेकों उदाहरण हैं जिन में बेदखली के कोई उचित कारण नहीं बताये गये । इसलिये यदि आज कानून बन भी जाय तो भी बेदखलियां उस समय तक नहीं रुकेंगी जब तक कि यह न कह दिया जाय कि बिना न्यायालय की डिग्री के किसी को बेदखल न किया जाय । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो चाहे जो भी सुधार किये जायें उन से जनता का कोई हित नहीं होगा ।

सरकार स्वयं भी कृषकों की बेदखलियां कर रही है । त्रावनकोर-कोचीन में सरकार हजारों एकड़ जमीन से कृषकों को बेदखल कर रही है क्योंकि वह कहती है कि उस

[श्री ए० के० गोपालन]

जमीन की एक नई बस्ती बसाने की योजना के लिये आवश्यकता है । इसी तरह मलाबार में कोठा की जागीर से ३० परिवारों को बेदखल किया गया जोकि वहां वर्षों से रह रहे थे । मुदुगाई में भी किसान बेदखल किये गये जिस से सत्याग्रह हुआ और तब उन्हें वहां कुछ समय तक बने रहने की आज्ञा दी गई । आन्ध्र, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल व अन्य स्थानों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं । विशेषकर महाराष्ट्र में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत बम्बई सरकार द्वारा ऊसर भूमियां दी गई । वे जमीनें वापिस ले ली गई हैं । किसान, जोकि अधिकतर आदिवासी थे, उस को वापिस लेना चाहते थे । उन्होंने विरोध किया तो उन का दमन किया गया । सरकार को तो इस सम्बन्ध में आदर्श उपस्थित करना चाहिये कि बेदखलियां बिल्कुल न हों । यदि मुझे समय दिया जाय तो यह बताऊं कि किस तरह से किसानों को अनेक स्थानों में सरकारी भूमि के लिये सत्याग्रह का आश्रय लेना पड़ा । यदि उन परिवारों को, जो किसी भूमि पर वर्षों से रह रहे हों, उन भूमि से बेदखल किया जा सकेगा तो उन में कार्य करने का उत्साह नहीं रहेगा । मेरी मंत्री महोदय से प्रथम प्रार्थना यह है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से यह कहना चाहिये कि जहां कृषक वर्षों से किसी भूमि को जोत रहे हों उन्हें बेदखल नहीं किया जाय । यदि वे बेदखल किये जायेंगे तो जनता को विश्वास नहीं हो सकता कि सरकार उन की रक्षा करेगी । जब आप कहते हैं कि समस्त ऊसर जमीन को जोत में लाना चाहिये तो किसान उस को नहीं लेंगे । अनेक स्थानों में ऐसा हो रहा है । पुलिस सामान्य नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानती और कानून तथा व्यवस्था के नाम पर लाठी चलाई जाती है । जब तक कृषकों की बेदखली से रक्षा नहीं की जाती समस्त सुधार व्यर्थ हैं । आप एक अध्यादेश जारी करिये और फिर कानून बनाइये जिस के द्वारा राज्यों की सरकारों को आदेश दीजिये कि जो भी कृषक बेदखल किये गये हों उन्हें उन की जमीनें वापिस दिलाई जायें । ऐसा करने से जनता में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि जमीन जोतने वाले की होती है । खाते की भूमि की अधिकतम सीमा व अन्य प्रश्न इसी नीति पर निर्भर है कि जमीन जोतने वाले की होती है इस पर नहीं कि उसे जमीन से निकाला जा सकता है ।

अधिकतम सीमा का प्रश्न उठाया गया है । सरकार कहती है कि खाते की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना भूमि की समस्या का अन्तिम हल है तथा उससे जमींदारी प्रथा का अन्त हो जायेगा । परन्तु अधिकतम सीमा के संबंध में योजना आयोग की सिफारिशों से मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उससे जमींदारी प्रथा का अन्त न होकर कृषकों की कठिनाइयां ही बढ़ेंगी । मेरे ऐसा कहने के कारण निम्नलिखित हैं । सर्वप्रथम, अधिकतम सीमा का प्रयोग सरकार द्वारा जमींदारों को बड़े पैमाने पर बेदखलियां करने की अनुमति देने के लिये किया जाता है । दूसरे, भूमि को संबंधियों तथा मित्रों को हस्तान्तरित करने पर कोई प्रभावपूर्ण निषेध नहीं है । भूमि जमींदारों के मित्रों व संबंधियों को हस्तांतरित की जा सकेगी और वे अधिकतम सीमा के नाम पर बेदखलियां करते जायंगे । तीसरे, अधिकतम सीमा ऐसी निर्धारित की गई है कि जमींदार अपने कब्जे में बहुत जमीन रख सकता है और परिणामस्वरुप किसानों को वितरित करने के लिये बहुत थोड़ी भूमि रह जाती है । जब काश्तकारी सुधार कानून पर चर्चा हो रही थी यही चीज हुई । यह कहा जाता है कि संघों की संपत्तियां तथा औद्योगिक संपत्तियां अधिकतम सीमा से मुक्त

रहेंगी। जमीदारों ने अभी से संपत्ति को संघों व औद्योगिक संस्थाओं के नाम में करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि कोई भूमि वितरण के लिये न बचे। अधिकतम सीमा का प्रयोजन यह है कि एक व्यक्ति को निश्चित सीमा तक भूमि दी जानी चाहिये और जो भी अधिक भूमि उसके कब्जे में हो वह वितरण के लिये ले ली जानी चाहिये। यदि अधिकतम सीमा का यही प्रयोजन है तो ऐसे कदम उठाए जाने चाहियें जिनसे अधिक से अधिक भूमि वितरण के हेतु उपलब्ध हो सके। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिक भूमि के वितरण का कार्य कृषि मजदूरों के संघों द्वारा किया जाना चाहिये।

अगली बात सामाजिक न्याय के संबंध में है। कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजूरी समस्त राज्यों के लिये निश्चित नहीं की गयी है। यही नहीं, जहां कहीं वह निश्चित की भी गयी है वह वर्त्तमान वास्तविक मजूरी से कम है। उदाहरणार्थ मद्रास में अभी २ रु० प्रतिदिन मिलता है। सरकार ने अब न्यूनतम मजूरी १रु.० ४ आ० निर्धारित की है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से सरकार को चाहिये कि जितनी परती भूमि हो उसे भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित करे। अभी भी बहुत से स्थानों में भूमि परती पड़ी है। सरकार को प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व ही ऐसी भूमि के वितरण करने के उद्देश्य की घोषणा करनी चाहिये थी।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तगर्त हम राष्ट्रीय आय एवं जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। यदि आप ग्रामीण आबादी के ३१ प्रतिशत को परती जमीनें दे सकें जिनके पास साल में छै महीने कोई काम नहीं रहता तो राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है और जीवन स्तर भी ऊंचा हो सकता है। यदि पहले सरकार जमीन दे तो अन्य उसका अनुसरण करेंगे।

कुछ मामले एक अन्य प्रकार के हैं जो बेदखली से भिन्न हैं। त्रावणकोर कोचीन में एक कुट्टानड पृष्ठजल नामक क्षेत्र है जिसमें २०,००० एकड़ भूमि है। इस वर्ष जमीदार ने उसे जोतने के लिये नहीं दिया है। जब उसके लिये सरकार से कहा गया तो मुख्य मंत्री ने बताया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मैं जमींदार को वह भूमि देने को बाध्य कर सकूं। उस क्षेत्र में एक लाख मजदूर कार्य करते हैं और प्रथानुसार वे अन्य किसी भी स्थान में कार्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि जमींदार उस भूमि को दो एक साल परती पड़ी रहने दे तो एक लाख मजदूर बेकार रहेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि यदि जमींदार जमीन नहीं देता तो सरकार स्वयं उसको लेकर जुतवा सके।

तदनन्तर मैं ग्रामीण ऋण पर आता हूं। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में संकेत किया था कि अभी जो कृषि संबंधी ऋण दिया जाता है वह आवश्यक रक्म से बहुत कम पड़ता है, वह ठीक प्रकार का नहीं है, उससे ठीक प्रयोजन पूर्ण नहीं होता तथा वह उस जनता तक नहीं पहुंचता जिसको सही रूप में उसकी आवश्यकता होती है। इसलिये समिति ने सिफारिश की थी कि ऋण तथा पेशगियां उपलब्ध कराई जायें।

अस्तु दो महत्वपूर्ण चीजें आवश्यक हैं, एक तो वर्त्तमान कर्जभार की समस्या को सुलझाया जाय क्योंकि जब तक यह नहीं किया जाता कृषिसंबंधी अर्थ व्यवस्था में उन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे, सस्ती दर पर कर्ज दिया जाय। सहकारी समितिया ठीक व्यक्तियों के हाथ में नहीं हैं इसलिये जन साधारण को कर्ज नहीं मिल पाता। इसलिये मैं सुझाव रखता हूं कि महाजनों पर नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जायं, सूद की दर पर नियंत्रण रखा जाय, अवैध कार्यवाहियों के विरूद्ध कदम उठाये

[श्री ए० के गोपालन]

जायं, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उन्हें उसकी अदायगी से मुक्ति दिलाई जाय आदि आदि। इन सबके लिये आवश्यक कानून बनाये जायें।

अन्त में कांग्रेस के फैजपुर में पास किये गये संकल्प की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस संकल्प में कहा गया था कि वर्त्तमान दशाओं को देखते हुए ल न तथा मालगुजारी कम कर दी जाये, अमितव्ययी खाते की भूमियों को उन्मुक्ति मिले, काश्तकारी की विरासत योग्य अधिकारों के साथ स्थिरता हो और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह कि ग्रामीण ऋण का भार दूर किया जाय। ऐसे ऋण जो कृषक चुका न सकते हों समाप्त कर दिये जायें और सस्ते ऋण की सुविधायें उपलब्ध की जायें। पिछले वर्ष की मालगुजारी की बकाया खत्म कर दी जाय। उसकी वसूली अन्य ऋण की तरह हो बेदखली द्वारा नहीं। अन्त में, कृषि मजदूरों के लिये उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जायं एवं जीवनयापन के लिये पर्याप्त मजदूरी मिलने के लिये कानून बनाया जाय। जहां तक इन बातों का संबंध है मैं यह कहूंगा कि सरकार को फैजपुर कांग्रेस के संकल्प को द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पूर्व कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाने चाहियें ताकि देश की कृषि संबंधी अर्थ व्यवस्था सुधर सके।

श्री बूबराधस्वामी (पैरम्बलूर): मुझे दुख है कि मैं उस समय उपस्थित नहीं था जबकि स्थानापन्न प्रस्तावों के नाम पुकारे गये थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे नाम का स्थानापन्न प्रस्ताव सं० १८ प्रस्तुत किया गया मान लिया जाये।

श्री वेलायुधन: पहले यह कहा गया था कि वह रोक लिया जायेगा।

सभापति महोदय: प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

श्री बूबराधस्वामी द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव सं० १८ प्रस्तुत किया गया।

सभापति महोदय: यह संशोधन भी सदन के समक्ष है।

सरदार लाल सिंह (फीरोजपुर लुधियाना): कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये हमें अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। मैं संक्षेप में यही बताने की कोशिश करूंगा कि अन्य उन्नतशील देश इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर रहे है।

काश्तकारों की समस्या कवल भारत में ही नहीं है। इंग्लैंड में काश्तकारों की बहुत अधिक संख्या है। १९२३ में वहां की सरकार ने काश्तकारों के लिये एक कानून बनाया कि काश्तकार को अपनी जमीन से हटाने के लिये भूपति को १२ महीने पूर्व सूचना देनी होगी तथा स्थायी अथवा अस्थायी रूप से काश्तकार जो सुधार भूमि पर करवायेगा, उसके लिये उसको प्रतिकर दिया जायेगा।

इसके बाद १९४८ में वहां की सरकार ने एक दूसरा अधिनियम पारित किया कि कोई भी काश्तकार बिना कृषि मंत्रालय की स्वीकृति के नहीं निकाला जा सकता। केवल कुछ ही मामलों में कृषि भूमि न्यायाधिकरण के पास अपील भेजी जा सकती थी।

इन अधिनियमों से किसान को तो लाभ हुआ ही, साथ ही साथ सरकार भी इस योग्य हो सकी कि वह जमीन का किसी प्रकार भी दुरुपयोग न होने दे और राष्ट्र का हित हो। मेरी इच्छा है कि अपने देश में भी इस प्रकार का एक विधान बनाया जाये जिससे काश्तकार भूमि की उपजाऊ शक्ति कम न होने दे। अब इस नारे से काम नहीं चलेगा कि किसान ही भूमि का मालिक है। जिस देश को अभी स्वतंत्रता मिली है उसे किसी को भी

लापरवाही करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिये ।

इंग्लैंड इस संबंध में कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचा है । प्रथम यह है कि भविष्य में काश्तकारों के संबंध में सोचते समय सामाजिक दृष्टिकोण के स्थान पर कृषि की उन्नति का दृष्टिकोण सामने रखा जाये । द्वितीय सारे देश में बड़े और छोटे खेतों के बीच एक सन्तुलन रखा जाये । तृतीय, भविष्य में जो काश्तकार बनें, उन्हें काश्तकारी का पूरा ज्ञान हो । चौथे, यह कि भविष्य में जो काश्तकार बनें वे कम से कम २५ प्रतिशत पूंजी अपने खेत में लगा सकें । बाकी पूंजी का प्रबन्ध सरकार करेगी । इंग्लैंड की सरकार ने यह सोचकर कि कृषि की उन्नति पर ही देश की उन्नति निर्भर है अनेक ऐसे विधान बनाये जिससे कृषि उद्योग किसानों के लिये काफी लाभदायक सिद्ध हुआ । वहां की सरकार पहले से ही चीजों का मूल्य नियत कर देती है और किसानों द्वारा अपना माल बेचे जाने के लिये पूरा प्रबन्ध कर देती है, किन्तु साथ ही साथ वह यह भी चाहती है कि किसानों की दक्षता और कार्यकुशलता में कोई कमी न आने पाये । आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका, की सरकारें भी ऐसी ही करती हैं । स्विटजरलैंड में भी मैंनें ऐसा ही देखा है । केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि किसानों को उनकी उपज के मूल्य की प्रत्याभूति दे दी जाये और उनको उसके बेचने का प्रबन्ध कर दिया जाये, इसके साथ साथ यह भी परमावश्यक है कि किसान अपने कार्य में बड़े दक्ष रहें । इंग्लैंड की सरकार ने (तथा अन्य देशों की सरकारों ने) इसके लिये दो उपाय किये हैं । प्रथम उसने भूमिधर और किसान दोनों को इस बात के लिये बाध्य किया है कि वे दक्षता के नियत स्तर को क़ायम रखें और दूसरे किसानों की सब प्रकार की वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता दी जाती है । उसने कृषि उत्पादों के मूल्यों की प्रत्याभति देने का क्रम १९३२ से ही आरम्भ कर दिया था । फरवरी १९४५ से लगभग सब कृषि उत्पादों के मूल्य नियत कर दिये गये हैं ।

आस्ट्रेलिया में भी सरकार इसी नीति का पालन कर रही है । उत्पाद की लागत कम करने के लिये सरकार किसानों को सभी प्रकार की सहायता देती है और उन्हें निर्यात सम्बन्धी सुविधायें भी देती है, ताकि वे अपना माल बाहरी देशों को बेच सकें । गन्ने इत्यादि का मूल्य निर्धारित करते समय सरकार केवल खेती के सामान्य खर्चों का ही ध्यान नहीं करती है बल्कि वह यह भी देखती है कि खेती के औजारों पर तथा खेत में लगी हुई पूंजी पर कितना ब्याज पड़ा है और पर्यवेक्षण व्यय कितना हुआ है । वहां की सरकार ने गन्ने की कीमत निर्धारित करने के लिये एक 'मूल्य निर्धारण बोर्ड' कायम कर रखा है ।

इसके अतिरिक्त सभी देशों की सरकारें किसानों की सहकारी विपणन के लिये प्रोत्साहित करती है । मुझे माननीय मंत्री से यह सुनकर खुशी हुई है कि हमारी सरकार भी ऐसी योजनाएं बना रही है । क्वीन्सलैंड में ५० प्रतिशत चीनी के कारखाने सहकारिता के आधार पर ही खोले गये हैं । इन कारखानों में सर्वप्रथम सरकार ने ही सारी पूंजी लगाई । गन्ने के काश्तकारों को कारखाने की लागत पूरी करने के लिये केवल एक आना प्रति मन गन्ना देना पड़ता था । इसी प्रकार से आस्ट्रलिया में फल-परिक्षण का सब से बड़ा कारखाना खोला गया है ।

अमरीका में भी हम देखते हैं कि वहां की सरकार न किसानों को ऋण की काफी सुविधायें दे रखी हैं । वहां के किसानों को भारत के .०९ प्रतिशत ऋण के मुकाबले ४३ प्रतिशत ऋण मिलता है, जिसका

[सरदार लाल सिंह]

मतलब यह हुआ कि यदि भारतीय किसान को भारतीय बैंकों से ९ रुपये का ऋण मिलता ह तो वहां के किसानों को ४३०० रुपये मिलगे ।

इसके अतिरिक्त अमरीका की सरकार जब कभी यह देखती है कि आवश्यकता से अधिक होने पर किसी वस्तु की कीमत घट रही है और किसान को पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तब वह तुरन्त उस वस्तु की खरीद ऊंचे भाव पर शुरू कर देती है और सस्ते भाव पर उस वस्तु का निर्यात बाहर देशों को कर देती है जिससे किसान को काफी सहायता पहुंच जाती है । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि अमरीका में खेती खूब उन्नति कर गई है और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ गई है ।

अब मैं यह बताऊंगा कि भारत में कृषि की क्या अवस्था है । पंजाब में आर्थिक जांच बोर्ड ने गत तीस वर्षों से जो जांचे की हैं उन से पता चलता है कि भारत में कृषि व्यवसाय किसी प्रकार भी लाभप्रद नहीं ह और कृषकों को एक स्थायी मजदूर के बराबर भी आय नहीं होती है । इसको देखते हुये इस बात की परम आवश्यकता है कि इस व्यवसायें को लाभप्रद बनाये । सर्व-प्रथम ऋण की सुविधायें बहुत ही अधिक कर देनी चाहिएं और ऋण लेने का तरीका भी सरल कर देना चाहिये, जिससे किसानों की इस ओर से कोई परेशानी न हो । बाहर के देशों के समान ही अपने देश में भी फसलों की कीमतें उत्पादन की लागत के आधार पर नियत करनी चाहिये और यह कीमतें कई साल पहले नियत कर देनी चाहियें ताकि काश्तकार भूमि-सुधार इत्यादि के सम्बन्ध में एक दीर्घावधि योजना तैयार कर सकें । दो साल पूर्व जब मैं आस्ट्रेलिया गया था तो मैं ने देखा कि ऐसी सरकारी अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं कि प्रत्येक फल और शाक सब्जी विक्रेता की अपनी चीजों के क्रय मूल्य का प्रमाण-पत्र रखना आवश्यक है और कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों को क्रय-मूल्यों से ३३.३ से ऊपर नहीं बेच सकता । अपने देश में हम देखते हैं कि उत्पादक को एक वस्तु का जितना मूल्य मिलता है उससे ५०० या १००० प्रतिशत अधिक मूल्य उपभोक्ता को देना पड़ता है ।

जहां तक गन्ने और चीनी के मूल्यों के निर्धारण का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि इस काम के लिये आस्ट्रेलिया के समान ही एक मूल्य निर्धारण बोर्ड कायम किया जाये क्योंकि मूल्य के निर्धारण की समस्या बड़ी उलझन-पूर्ण है और गन्ने की कीमत १ आना प्रति मन घटाने का अर्थ यह होता है कि चीनी के कारखानों को २½ करोड़ रुपये का लाभ हो जाये । अतः इस काम को आफिस के लोगों पर सौंपना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि १९४६ से १९५२ तक जबकि सरकार ने गन्ना उत्पादकों और मिलमालिकों के परामर्श से गन्ने और चीनी के मूल्य निर्धारित किये थे, चीनी के मूल्य में गन्ना उत्पादकों का अंश ६५ से ७० प्रतिशत तक रहा, किन्तु अब हम दखते हैं कि वह अंश केवल ५३ से ६० प्रतिशत तक रह गया है । इसी प्रकार से गत तीन वर्षों में चीनी मिलों को जो अतिरिक्त लाभ हुआ था और जो कि सरकार के वचनानुसार गन्ना उत्पादकों को मिलना चाहिये था, वह अभी तक नहीं दिया गया ह ।

श्री ए० पी० जैन : लाभ का ७५ प्रतिशत भाग दिया जा चुका हं । केवल शेष २५ प्रतिशत के बारे में झगड़ा है ।

सरदार लाल सिंह : भूमि सुधार के सम्बन्ध में पंजाब के आर्थिक जांच बोर्ड ने जो

बातें बताई हैं, वे बड़ी शिक्षाप्रद हैं। उस बोर्ड ने अपने प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि भारत में कृषि व्यवसाय लाभप्रद नहीं है और एक किसान को स्थायी मजदूर के बराबर भी आय नहीं होती। दूसरे यह कि जो लोग किराये के मजदूर लगाकर खेती करवाते हैं उनको काफी नुक्सान उठाना पड़ता है। तीसरे यह कि सम्पन्न वर्ग के लोग भूमि को खेती करवाने उद्देश्य से न खरीद कर ऊंची दरों पर काश्तकारों को भूमि देने के उद्देश्य से ही खरीदते हैं। अतः भारत में भूमि सुधार के लिये सर्व प्रथम इन बातों की ओर ध्याम देना चाहिये। (१) भूमि का उचित किराया नियत कर दिया जाये ; (२) भूधारणाधिकार तय कर दिया जाये ; और बेदखली की दशा में काश्तकार को भूमि के अस्थायी अथवा स्थायी सुधार के लिये खर्च किये गये धन के सम्बन्ध में प्रतिकर दिया जाये ; (३) एक स्वतंत्र भूमि न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये; और (४) जमीदार तथा किसान से खेती का एक विशेष स्तर रखने के लिये कहा जाये।

कुछ वर्तमान भूमि सुधारक इस बात पर जोर देते हैं कि इसकी सीमा निश्चित कर देनी चाहिये कि एक आदमी की खुद की अधिकतम काश्त कितनी होनी चाहिये। मेरी समझ में ऐसी प्रस्थापनायें किसी प्रकार भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकतीं। इससे भारत में खेती का ढंग बजाय आधुनिक होने के वही पुराने समय का हो जायेगा और खेती के व्यवसाय पर बेपढ़े लिखों का ही एकाधिकार हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इससे नगरों और ग्रामों के बीच एक प्रकार की द्वेष-भावना पैदा हो जाने की भी संभावना है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : सांख्यकीय पुस्तिका में यह देखकर कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है प्रसन्नता हुई है ; किन्तु साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि आज खाद्य पदार्थों का उपभोग युद्धकाल के पूर्व से कहीं अधिक है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री ने विक्रेय अतिरेक उत्पाद के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया है। उत्पादन की कमी के कारण पैदा होने वाला यह संकट लगभग उन सभी देशों के समक्ष आया है जो कि आर्थिक विकास करने में लगे हुये हैं। चीन में आज विक्रेय अतिरेक उत्पाद की कमी की समस्या बहुत बड़ी है। अपने देश में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगले ५ या १० सालों में उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ हम ऐसे सुधार करें, जिससे उत्पादन अपेक्षित अतिरेक मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस ओर ध्यान देना परमावश्यक है क्योंकि घाटे की अर्थ व्यवस्था हम तभी कर सकेंगे जबकि हम ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरेक खाद्यान्न अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने में समर्थ हो जायेंगे। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे अपने उपसंहार वक्तव्य में इन बातों पर प्रकाश डालेंगे।

माननीय मंत्री ने हमारे समक्ष भूमि-सुधार का एक चार सूत्रीय कार्य-क्रम रखा है। पहली बात जमींदारों के उन्मूलन के बारे में है। यह बताया गया है कि लगभग २२.५ लाख जमींदार हटा दिये गये हैं। यह वस्तुतः बड़े गर्व की बात है किन्तु साथ ही साथ ५०० करोड़ रुपये से ऊपर जो प्रतिकर दिया जा रहा है उससे जैसा कि श्री० कैनिथ ए० पारसन्स ने बताया है वर्तमान काश्तकारों पर बड़ा ऋण हो जायेगा। यह स्थिति है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। केवल इस बात से ही प्रसन्न हो जाना पर्याप्त नहीं है कि हमने जमींदारों का उन्मूलन कर दिया

[श्री अशोक मेहता]

है, अपितु हमें यह देखना है कि अब कौन कौन से सुधार करने आवश्यक हैं।

जहां कहीं सुधार हुये भी हैं वहां राजस्व प्रशासन के स्थापित करने में बड़ी मन्द गति से प्रगति हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि १४ राज्यों में खेतों की गणना पूरी हो गई है। किन्तु केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। कितने बड़े खेत हों इस सम्बन्ध में निश्चित की गई किसी भी नीति की कार्यान्विति के लिये यह आवश्यक है कि हम एक राजस्व प्रशासन स्थापित करें। इससे धारणाधिकार तथा लगान सम्बन्धी प्रश्नों के तय होने में भी सहायता मिलेगी। लगान के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है कि योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि लगान उत्पाद का चौथाई या पांचवां भाग होगा। योजना आयोग ने यह योजना पांच वर्ष पूर्व बनाई थी किन्तु बहुत से राज्यों में उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। भूधारणाधिकार के बारे में भी कोई एक रूप विधान नहीं है। माननीय खाद्य मंत्री ने बताया कि यह लगान अस्त वयस्त रूप में लगाये गये हैं। भूधारणाधिकार की सुरक्षा के लिये उपबन्ध किया जा सकता है।

जमींदारों द्वारा व्यक्तिगत खेती को पुनः ले लेने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब इस बात का समय आ गया है कि योजना आयोग यह निर्धारित करदे कि "व्यक्तिगत खेती" की परिभाषा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नहीं हो सकती और यह कि कितने समय में यह कार्य होगा। इन बातों पर समान नीति का होना आवश्यक और सम्भव है।

आपने देखा होगा कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने अपनी टीका टिप्पणी में भारत में ग्रामीण परिस्थितियों को अवगुण का आकार कहा है और यह कहा है कि यह नगरीय दबाव है—अथवा ग्रामीण समाज में कुछ उच्च जातियों व वर्गों का जो नगरीय अर्थ व्यवस्था से मिलकर कार्य करते हैं, दबाव है।

भूमि सुधार कार्यक्रम की तीसरी बात उच्चतम और न्यूनतम की है। दुर्भाग्यवश हमें भमि सम्पति सम्बन्धी गणना के पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं है, परन्तु ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से हमें ज्ञात होता है कि १० प्रतिशत कृषकों के पास लगभग ३० प्रतिशत भमि है और ३० प्रतिशत कृषकों के पास ११ प्रतिशत भमि है। अतः हमें जो भी थोड़े से आंकड़े प्राप्त हैं उनसे विदित होता है कि असमानता बहुत है और भूमि के पुनः वितरण का प्रश्न शीघ्र हल होना चाहिये। प्रो० गाडगिल ने यह कहा है कि भारत में आधे से अधिक कृषक परिवारों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं और यह आवश्यक है कि केवल छोटे कार्यों का ही नहीं अपितु भूमि के पुनः वितरण का प्रश्न शीघ्र ही लिया जाना चाहिये। अतः इस सामान्य पुनः वितरण पर आपको उच्चतम और निम्नतम निर्धारित करना है। उच्चतम से अधिक भूमि को फिर से बांटना है और निम्नतम से कम को मिलाकर एक करना है। प्रो० गाडगिल ने हमें बताया है और माननीय मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारत में भूमि प्रबन्ध के बारे में हमारी निश्चित नीति नहीं है। हमें बताया गया था कि अनेकों समिति नियुक्त की गई हैं और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है। हम पिछले दिनों की अनेकों समितियों के बारे में जानते हैं और किसी विषय को टालने का एक ढंग यह भी है कि उसे किसी समिति को सौंप दिया जाये। ग्रामीण प्रबन्ध का यह समूचा प्रश्न आजकल मूल महत्व रखता है। यदि हम इस प्रश्न को नहीं सुलझाते तो भूमि सुधार के हमारे सारे प्रयत्न विफल हो जायेंगे परन्तु अति अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न भूमि सुधारों की

केवल एक नीति ही बनाने का नहीं है, अपितु वह साधन भी ज्ञात करना है जिसके द्वारा यह कार्य किया जाये । केवल एकमात्र साधन जो अन्य देशों ने हमें दिखाया है वह स्वयं लोगों द्वारा निर्वाचित किसी प्रकार की भूमि समितियां हैं और प्रशासन केवल सहायक साधन के रूप में आ सकता है। मेरी शिकायत यह रही है कि प्रशासन के पुनर्संगठन, वस्तुओं के निर्धारण और प्रशासन व्यवस्था के पुनर्संगठन के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। यह बड़े ही अचम्भे की बात है कि सामूहिक विकास में भूमि सुधार के प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

ग्रामीण ऋण की समस्या के बारे में हम देखते हैं कि सरकार और सहकारी संस्थायें केवल तीन तीन प्रतिशत ऋण देती हैं । आज कल हमारे कृषकों की आवश्यकता लगभग ७५० करोड़ रुपये की है। मैं नहीं जानता कि विभिन्न अभिकरण, जो नियुक्त किय जा रहे हैं, इस राशि में से कितनी राशि देंगे।

श्री ए० पी० जैन : १९६०–६१ में २२५ करोड़ प्रति वर्ष ।

श्री अशोक मेहता : अर्थात् आवश्यकता का एक तिहाई । अब तक हमारा अनुभव यह रहा है कि सरकारी और सहकारी वित्त व्यवस्था से प्रायः बड़े बड़े कृषक ही लाभ उठा पाते हैं। अतः हमें ऐसे उपाय व ढंग ज्ञात करने हैं जिन से अधिक ऋण सुविधायें विशेषकर छोटे छोटे कृषकों को प्राप्त हों। मैं यह जानता हूं कि सहकारी संस्थाओं का बहुत विकास होना है। परन्तु अब तक का हमारा अनुभव यह रहा है कि हमारी सहकारी संस्थाओं का औसत आकार बहुत ही छोटा है । औसत सदस्यता केवल ४६ है। यहां भी यदि हम विश्लेषण करें और आंकड़ों की तुलना करें तो हमें विदित होता है कि सहकारी आन्दोलन ने भी आकृषकों को अधिक ऋण दिया है। १९५० में राष्ट्रपति ने कृषि अर्थ-शास्त्रियों के सम्मेलन में कहा था कि सरकारी व्यवस्था लाल फीताशाही से निकलकर कृषकों के साथ वह घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में असफल रही है जो उस का विश्वासपात्र बनने और उस का उत्साह जगाने के लिये आवश्यक हैं। माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि कुछ असावधानी की जा रही है। मैं उनका ध्यान अखिल भारतीय ग्रामोद्योग बोर्ड के इस सुझाव की ओर आकर्षित करता हूं कि एक हजार परिवारों के लिये सहकारी संस्थायें बनाई जायें जो आन्तरिक रूप से स्वायत्त हों और सरकारी अगवादी के बिना कार्य करें। मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्री इन आधारों पर कार्य करें। मैं यह सुझाव देता हूं कि सारे देश में एक सा रूप न अपना कर विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूप अपनाने चाहियें। फिर कुछ समय में हमें ज्ञात हो जायेगा कि हमारे देश के लिये कौन सा ढंग उपयुक्त है ।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन में और संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेकों रचनाओं में यह कहा गया है कि केवल ऋण व्यवस्था के पुनर्संगठन से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। निस्सन्देह ऋण व्यवस्था और भूमि सुधार का एक साथ पुनर्संगठन महत्वपूण है परन्तु मैं नहीं समझता कि उस योजना में, जो हम आजकल बना रहे हैं, भूमि पर जो दबाव है उसे किसी भी रूप में बदल सकेंगे । जहां मजदूर अधिक हों और पुंजी थोड़ी हो वहां पूंजी की कमी को सदैव ही काफी संगठन से पूरा किया जा सकता है । आर्थिक विकास के बारे में यह लैनिन का सिद्धान्त है । मैं देखता हूं कि सरकार के विचार में संगठन के ढांचे पर कहीं भी विचार नहीं किया गया है हम देखते हैं कि इस देश में संगठनों के विकास पर कदाचित् ही कोई ध्यान दिया जा रहा है, जब कि केवल इन्हीं के द्वारा हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्रियशील और सुदृढ़ बना सकेंगे ।

सभापति महोदय : मैं देखता हूं कि अब कोई सदस्य खड़े नहीं हो रहे हैं । क्या मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कहूं ?

श्री एम० पी० मिश्र (मूंगर उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय .....

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य) : हम यह समझते थे कि इस समय कोई दूसरा विषय लिया जायेगा इसीलिये कोई खड़ा नहीं हुआ ।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी विषय साढ़े चार बजे के बाद ही लिये जा सकेंगे ।

श्री एम० पी० मिश्र : अभी कृषि मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया और देश की कृषि के सम्बन्ध में जो एक सन्तोषजनक चित्र रखा, उस पर मैं भी संतोष जाहिर करता हूं । इस समय मुझे उस आदमी की याद आती है जो आज इस सदन में मौजूद नहीं है । आज से तीन, चार साल पहले इस देश की स्थिति खास कर भोजन और खाद्य के मामले में बहुत ही नाजुक मानी जाती थी । लेकिन हम ने देखा कि जब स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई ने कृषि मंत्रालय का कार्य भार सम्हाला तो उन्होंने बड़ी योग्यता से अपने कर्तव्य को निभाया और एक बहादुराना और मजबूत कदम उठा कर देश में खेती, कृषि और भोजन की स्थिति बदल दी । आज इसका श्रेय उन को है और यह सदन उन को याद करता है कि चार साल के अन्दर नक्शा इतना बदल गया है कि जो देश चार साल पहले हर साल अकाल का सामना करता था, वह आज अपनी जरूरत का अनाज पैदा कर के अतिरिक्त अनाज विदेशों में भेज कर बेचता है ।

कृषि मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार के साथ सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र किया है । मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझको मालूम है कि पहली पंचवर्षीय योजना में इस देश की कृषि खेती और जमीन को सब से ज्यादा तरजीह दी गई थी, पहली जगह दी गई थी और उसमें जो २० सौ करोड़ रूपया खर्च किया जाने वाला था उसका करीब २५ प्रतिशत खेती पर खर्च किया जाने वाला था और खर्च किया गया । उस योजना में यह समझा गया था और माना गया था कि इस देश की तरक्की खेती के माध्यम से ही हो सकती है ।

दूसरी चीजें इसके बाद आती हैं और उसी के मुताबिक हमने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में सब से ज्यादा तरजीह कृषि और खाद्य उत्पादन को दी गई है और क्यों ऐसा माना गया, इस के खास कारण हैं । इस देश की जो समस्या है वह अपने ढंग की अकेली है, वह दूसरे देशों से नहीं मिल सकती ।

सभापति महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं । अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करेंगे ।

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मृतक मानव शरीरों की दाह क्रिया का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करेगी । श्री तेलकीकर अपना पिछला भाषण आरम्भ करेंगे ।

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : पिछली बार मैं इस समस्या के स्वच्छता सम्बन्धी पहलू पर बोल रहा था । अब मैं मृतक शरीर को कंधों पर ले जाने की हानियों के बारे में कहूंगा । गाढ़ने और कंधों पर मृतक शरीर को ले जाने की दोनों प्रथायें ही गंदी और खतरनाक हैं । इस विषय के आधुनिक विशेषज्ञ डा० एच० आब्रे हस्बैंड का मत है कि मृतक के शरीर को ठिकाने लगाने का मामला समाज की भलाई की दृष्टि से पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है और

जहां तक गाड़ने के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह उपाय केवल अस्थायी हो सकता है क्योंकि अन्त में यह स्वच्छता का प्रश्न है । अतः यह उद्धरण इस विषय पर ईसाई संसार का मत प्रकट करता है ।

जहां तक प्रश्न के आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है, दाह क्रिया अन्य प्रथाओं की अपेक्षा सस्ती ह । यदि अन्त्येष्टि क्रिया के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें विदित होगा कि संसार की प्राचीन जातियों में दाहक्रिया की प्रथा थी । मैं इस सम्बन्ध में अथर्ववेद और ईलियड के कुछ उद्धरण देता हूं जिन से यह प्रकट हो जायेगा कि केवल भारत में ही नहीं अपितु प्राचीन यूनान और रोम और अनेकों प्राचीन देशों में भी साधारणतया दाहक्रिया प्रचलित थी । प्रथम उद्धरण है :—

"अपमें जीवा अरुधन् गृहेम्यः तं निर्वहत परिग्रामादितः ।

नृत्यर्यमस्या सीद्दतः प्रचेत असून पितृभ्यो यमायचिकार ।।"

अर्थात् जीवधारी व्यक्ति को चाहिये कि मृतक को अपने घर से निकाल कर नगर के बाहर ले जाये, आदि । मैं ने यह इस कारण पढ़ा कि हमारे नगरों में कोई शमशान न थे । दूसरा उद्धरण है :

श्री एस० एन० दास : आप वेद से पढ़ रहे हैं या उपनिषद से ?

श्री तेलकीकर : यह एक्स्ट्रैक्ट्स में अथर्ववेद से लाया हूं ।

"ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धता सर्वास्तानग्न आवह पिष्ट्टन हविषे अत्तवे ।।"

अर्थात् मृतक शरीर की अन्त्येष्टि के चार रूप हैं :—अग्नदाह ; भूमिदाह ; जलदाह और सूर्यादाह । प्राचीन काल में ये ही उपाय अपनाये जाते थे । केवल दाह क्रिया की प्रथा थी । परन्तु अन्य उपाय आकस्मिकताओं में अपनाये जाते थे ।

फिर अन्य उद्धरण हैं :—

'इहनी युनज्मिते वमों असुनीताय वोढ़वे ।
ताम्यां यमस्य सादनं समिती श्चावगच्छतात् ।'

अर्थात् मृतक शरीर के ले जाने के लिये बैलगाड़ी सुविधाजनक थी ।

एक उद्धरण और है :—

"अन्वंच प्रेतेमयुजो मिथुनाः प्रवयसेः
पीठ चक्रेण गोयुक्तेंन नयन्ति"

अर्थात् मृतक शरीर बैलगाड़ी में ले जाना चाहिये ।

अतः मृतक शरीर को कंधों पर ले जाने के लिये शास्त्रों में कोई समर्थन नहीं है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए ।]

अब मैं एक मुसलमान सज्जन, अबल अकमारी, का मत बताता हूं । उन का कहना है कि वह दाहक्रिया को पसंद करते हैं क्योंकि मृतक मानव शरीर की अस्वच्छता को ठिकाने लगाने का यह सर्वोत्तम उपाय है । एक माननीय सदस्य ने व्यंगपूर्ण यह सुझाव दिया था कि वह यदि विधेयक की समाप्ति चाहते हैं । मैं माननीय सदस्य से महात्मा बुद्ध के शब्दों में निवेदन करता हूं ।

> "विश्वास इस कारण न करो कि कुछ प्राचीन पांडुलिपियां प्रस्तुत की जाती हैं, विश्वास इस कारण न करो कि यह किसी का राष्ट्रीय विश्वास है, या बाल काल से यही विश्वास कराया गया है; अपितु इस सब का कारण ज्ञात करो और विश्लेषण करने के पश्चात यदि यह ज्ञात होता है कि उस से सब की ही भलाई होगी तो इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिये और दूसरों को इस की प्राप्ति में सहायता देने के लिये इस में विश्वास करो ।"

[श्री तेलकीकर]

इन शब्दों से मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुहीउद्दीन (हदराबादनगर) : मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का विधेयक लोक-सभा में कसे पुरःस्थापित हो गया है ? इस में एक ऐसे विषय का उल्लेख है जो राज्य सूची में सम्मिलित है। संसद् को इस प्रकार की विधि बनाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। दूसरे इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारण तथा छठे खण्ड को उपखण्ड (२) ऐसे उपबन्ध हैं जो इस देश की अधिकांश जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। उन का तात्पर्य यह है कि कब्रिस्तानों में से सभी कब्रें खोद दी जायें और उस स्थान का सार्वजनिक पार्कों अथवा इमारतों के लिये उपयोग किया जाये। मैं कहूंगा कि यह सुझाव धृष्टता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

यदि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया गया तो भारत की बहुत सी विभिन्न जातियों में बड़ी कटुता की भावना उत्पन्न हो जायेगी। मैं तो इस विधेयक को विचार करने तथा जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने के योग्य नहीं समझता हूं। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को तत्काल अस्वीकृत कर के इस पर अग्रेतर चर्चा समाप्त कर दी जाये।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : सर्व प्रथम मैं यह कहूंगा कि संसद् ऐसे को विधेयक पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है। दूसरे इस प्रकार का विधेयक देश के अनेकों लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाता है। अतः इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। यदि मनुष्यों के शवों को दफनाने के रीति बदल भी दी जाये तो पशुओं इत्यादि के सम्बन्ध में क्या होगा ? क्या उन शबों को भी जलाया जायेगा ? यदि नहीं तो फिर इस विधेयक का क्या लाभ है ? स्वास्थ्य अथवा सफाई की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है परन्तु इस विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। मुझे तो केवल यही दीखता है कि यह विधेयक एक दूसरी जाति के प्रति विद्वेष फैलाने के लिये बनाया गया है। बहुत सारे हिन्दू भी अपने मृतकों को दफनाते हैं। फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक का क्या आशय है ?

श्री नाम्बियार : निर्वाचन चाल।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : मैं नहीं कह सकता कि यह क्या है,। एक ओर तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष है और दूसरी ओर जब ऐसे विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि प्रस्तावक के मन में क्या बात होती है।

इस विधेयक में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले की सभी शमशान भूमियां सरकारी भूमियां समझ ली जायेंगी और उनका उपयोग लोग हितार्थ किया जायेगा ? क्या यह सम्पति की जब्ती का प्रश्न है ? अमरीका में भी इसी प्रश्न को लेकर वहां के आदिवासियों से कई लड़ाइयां हुई हैं। वास्तव में जहां बड़े बड़े व्यक्तियों अथवा सरकारों को दफ़नाया जाता है वह भूमि पवित्र समझी जाती है। फिर इस प्रकार की सम्पत्ति के अर्जन का कोई कारण भी तो नहीं दीखता है। मैं नहीं समझता कि ऐसे स्थानों पर देश की उपज बढ़ाने के लिये धान की खेती की जायेगी अथवा कोई और जल संसाधन आदि बढ़ जायेंगे। इससे केवल परस्पर जातीय कटुता बढ़ेगी अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री जयपाल सिंह : मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। मैं जिस निर्वा-

चन क्षेत्र से आया हूं उसमें मृतकों को दफ़नाने की विभिन्न रीतियां हैं। कई उन्हें चित्त दफ़नाते हैं। दार्जिलिंग के इलाक़े में, जहां कम भूमि है मृतकों को खड़ा दफ़नाया जाता है और जहां अधिक भूमि है वहां उन्हें भूमि के समानान्तर दफ़नाया जाता है। सन्थाल लोग भी मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। यह विधेयक हम सबको एक ही समान कार्य करने के लिये बाध्य करने वाला एक अप्रजातन्त्रिक प्रयत्न है। इस विधेयक के समर्थक यह कहना चाहते हैं कि देश में मृतकों को जलाने के अतिरिक्त और कोई रिवाज नहीं होना चाहिये। वह यह भूल गये हैं कि भारतवर्ष भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का देश है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस में भी अभेद की भावना को रखना चाहते हैं अथवा क्या आप सबको एक रूप ही देखना चाहते हैं कि सब लोगों के लम्बे ही बाल हों अथवा कोई भी अमुक वस्तु का प्रयोग न करे इत्यादि। क्या हमें अपने देश की एतिहासिक परम्पराओं में गर्व नहीं अनुभव होता है जहां मतवैषम्य होने पर भी सभी वस्तुओं को स्थान मिलता रहा है। हम तो शान्तिप्रद सह अस्तित्व के प्रचारक हैं। इसका व्यवहारिक आदर्श रखने में ही हमारे देश का भविष्य निहित है। हमें अपनी भावनाओं को दूसरों पर लादना नहीं चाहिये अपितु प्रत्येक व्यक्ति को अपने में स्थान देना चाहिये। यह विधेयक पंच-शील के सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। अतः इसके प्रस्तावक को इसे तुरन्त वापस ले लेना चाहिये। मृत के पश्चात मेरे लिये यह विशेष महत्व नहीं रखता कि मेरे शव को जलाया जाता है अथवा किसी अन्य का दाह संस्कार किया जाता है अथवा इस विधेयक का ही मृतक संस्कार कर दिया जाता है। मैं इस विधेयक के वापस लिये जाने के लिये विनम्र प्रार्थना करता हूं क्योंकि यह विधेयक भारतवर्ष के गणतंत्र के प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि जब यह विषय राज्य सूची की मद संख्या १० में दिया हुआ है तब उन्होंने इसे संसद् में कैसे रखा है ?

श्री तेलकीकर : मैं ने यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २५ के उपबन्ध (२) के आधार पर रखा है। इसमें समाज कल्याण, सुधार इत्यादि का उपबन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद २५ में धर्म की स्वतंत्रता दी गयी है और शान्ति, नैतिकता तथा लोक स्वास्थ्य की बातों का ध्यान रखते हुये उसके प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। यह रिवाज धर्म के आधार पर ही बना है। आपका क्या यही कहना है कि इस से स्वास्थ्य की हानि होती है अतः यह विधेयक रखा गया है। यह मानने पर भी कि यह तर्क ठीक है 1 क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह विधेयक इस सभा में प्रस्तुत कैसे किया गया है ?

श्री तेलकीकर : इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य सूची की मद संख्या ६ और १० में इस विषय का उल्लेख है किन्तु हमें शब्दों के पीछे ही नहीं जाना चाहिये। हमें विधेयक के उद्देश्यों को देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : लोक स्वास्थ्य भी तो राज्य सूची में है।

श्री तेलकीकर : किन्तु मैं आपका ध्यान समवर्ती की सूची की मद संख्या २० की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्थिक और सामाजिक योजना की ओर ठीक है, शबदाह ही तो सारी योजनाओं का अन्त है। क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई तर्क है ?

श्री तेलकीकर : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इस विषय पर कुछ कहेंगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): जो कुछ भी सदस्यों नें अब तक कहा है उस से मेरा यही विचार है कि यह विधेयक इस सभा के अधिकारों से शक्ति परस्तात् है ।

श्री जयपाल सिंह : आपने श्रीमान् इस विधयक के प्रस्तावक से यह पूछा था कि उन्होंने इसे पुरःस्थापित क्यों किया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे केवल यह पूछा है कि उन्होंने इसे पुरःस्थापित कैसे किया ?

श्री जयपाल सिंह : तो इसे क्यों स्वीकार किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया सभा की यह रीति है कि प्रथम वाचन में विधेयकों का विरोध नहीं किया जाता है । हो सकता है कि प्रथम वाचन में इसका विरोध किया गया हो ।

श्री ए० एम० थामस : किन्तु प्रथम वाचन के समय हमें विधेयक की विषय वस्तु मालूम नहीं होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कोई सदस्य किसी मामले विशेष की ओर सभा का मत जानने के लिये उसकी सूचना सभा को नहीं देता है, सभा इसकी ओर ध्यान नहीं देती है । मैंने श्री जयपाल सिंह से केवल यह पूछा है कि यह सभा के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं आपको बताती हूं कि हम इस का क्यों विरोध करते हैं । उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक अखिल भारतीय महत्व का एक सामाजिक एवं आर्थिक विधान है, इसी कारण यह समवर्ती सूची में आता है और यह संविधान की धारा २५ में अनुमतिदायक अपवाद भी है । स्वास्थ्य मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के परामर्श से विधेयक की वैधानिक स्थिति का परीक्षण कर लिया है । श्रीमान् जी आपने भी कहा था और सभा के सदस्य भी अनुभव करते हैं कि कबरिस्तान तथा श्मशान भूमि राज्य सूची की मद १० के अन्तर्गत आते हैं इसीलिए इस विधेयक का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या २० के अन्तर्गत नहीं आता है इस कारण लोक सभा के इस प्रकार का विधान बनाने का अधिकार नहीं है विशेषतया भाग (क) तथा (ख) में के राज्यों के क्षेत्रों में जब तक कि संविधान की धारा २४९ और २५० में निर्धारित प्रक्रिया पूरी न की जाये अथवा धारा २५२ के अधीन समस्त राज्य लोक सभा से इस उद्देश्य के लिये विधान बनाने की प्रार्थना न करें । जब तक ऐसी स्थिति न हो, मैं नहीं समझती कि लोक सभा इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने के लिये समक्ष है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु यह विधि तो भाग (ग) में के राज्यों पर लागू हो सकती है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : अन्य त्रुटियां भी हैं । यदि यह विधेयक विधि बन जाती है, तो संविधान की धारा १३ (२) के अधीन खण्ड ४ और ५ के शून्य घोषित किये जाने की संभावना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्मशान और श्मशान भूमि आदि के बारे में संविधान में स्पष्ट उपबन्ध है, तो आर्थिक और सामाजिक योजना जैसी सामान्य प्रविष्टि का आश्रय लेने का कोई लाभ नहीं है ।

यदि सभा चाहती है कि इस विधान को पारित किया जाये, तो वह इसे पारित कर सकती है और यह भाग (ग) में के राज्यों पर लागू होगी ।

अब मैं इस प्रस्ताव को वैधानिक तथा गुणावगुण के पहलू से मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री तेंलकीकर : मैं उत्तर में कुछ कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्यों को अध्यक्ष को निदेश देने की आवश्यकता नहीं है । क्या उपमंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूं ।

श्री तेंलकीकर : यह केवल जनता का मत जानने के लिये परिचालन का प्रस्ताव है । इसका उद्देश्य यह जानना है कि देश इस सुधार का कहां तक समर्थन करता है ।

मैं समझता था कि पुरानी रूढ़ियों के कुछ पुजारी इन सुधारों से क्रुद्ध होंगे और यह देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है ।

इस विधेयक में यथावश्यक परिवर्तन भी किया जा सकता है जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक में इतने परिवर्तन किये गये थे कि उसका मूल रूप ही नष्ट होगया था । दूसरे इसके उपबन्ध यहां रहने वाले विदेशियों पर भी लागू किये जा सकते हैं । यदि सभा विदेशियों पर इसे लागू न करना चाहे तो वे उपबन्ध निकाले जा सकते हैं ।

इस विधेयक में एक उपबन्ध है कि दाह संस्कार विधि को ही अपनाया जाना चाहिये हम इसे केवल हिन्दुओं तक सीमित कर सकते हैं । यदि सभा को यह भी स्वीकार न हो तो केवल यह उपबन्ध किया जा सकता है कि शव को कन्धों पर उठा कर ले जाने की प्रथा को समाप्त करके उसे गाड़ी में ले जाया जाये ।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि स्वच्छता बनाये रखने की दृष्टि से, कराची में भी जहां धर्म निरपेक्ष सरकार नहीं है नगर के बीच के सभी श्मशान बन्द कर दिये गये हैं, और यह आदेश दिया गया है कि श्मशान नगर से बाहर होने चाहिये । हम भी इसी प्रकार का उपबन्ध कर सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि सभा इस परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ।

इसके सम्बन्ध में दो संशोधन हैं । श्री पोकर साहब केवल दिसम्बर के अन्त तक अवधि का विस्तार कराना चाहते हैं ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : मैंने मूलतर जो आपत्ति उठाई थी कि संसद् को इस विधेयक पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, उसके सम्बन्ध में आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय निस्संदेह सातवीं अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि संख्या १० में है, किन्तु संसद् का समस्त भाग (ग) में के राज्यों पर क्षेत्राधिकार है । इसलिये केवल राज्य सूची में होने के आधार पर ही इसे अनियमित घोषित नहीं किया जा सकता । इस विधेयक को अस्वीकार करना सभा पर निर्भर है ।

श्री पोकर साहब और श्री एन० बी० चौधरी ने अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये ।

इस के पश्चात मूल प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि धर्म परिवर्तन को विनियमित करने और किसी व्यक्ति को अन्य धर्मग्राही बनने में सहायता देने वाले व्यक्तियों के पंजीयन तथा अनुज्ञापन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

साधारणतया घोर जड़ता, निर्धनता, असहायावस्था, अन्धकार और अन्धकार-

[श्री जेठालाल जोशी]

मय प्रदेशों में तथा अन्धकारमय समय में धर्म परिवर्तन होते हैं। मैं धर्म सम्बन्धी संकीर्णता का पक्षपाती नहीं हूं, बल्कि मैंने सबसे पहला धार्मिक ग्रन्थ "बाइबिल" ही पढ़ा था। जान बनियन के "पिलग्रिमज प्रोग्रेस" ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। इसलिये मैं कह सकता हूं कि ईसाई धर्म प्रचारक ऐसी बहुत-सी बातें कर रहे हैं जो उनके धर्म के सिद्धांतों के ही विरुद्ध हैं।

भारत के जनगणना पत्र २, १९५३, में कहा गया है कि प्राकृतिक वृद्धि आप्रव्रजन और धर्म परिवर्तन के कारण किसी समुदाय की जन संख्या में वृद्धि होती है। जन्म और मृत्यु का पंजीयन किया जाता है तथा द्रष्टांक पारपत्र आदि के द्वारा आप्रव्रजन के आंकड़े भी रखे जाते हैं, किन्तु धर्म परिवर्तन करने वालों का जो इस प्रतिवेदन के अनुसार बड़े पैमाने पर होता है, पंजीयन नहीं किया जाता है। बिहार, उड़ीसा, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, त्रावनकोर-कोचीन आदि राज्यों में गत तीस चालीस वर्षों में ईसाई धर्मावलम्बियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के सभी ओरावों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हैदराबाद में भी बहुत अधिक लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। मेरे पास समस्त आंकड़े हैं। जन गणना प्रतिवेदन में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है। सारांश यह कि प्रायः समस्त देश में धर्म परिवर्तन होने के कारण ईसाइयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।

ईसाई धर्म प्रचारक लोगों को धर्म परिवर्तन न करने और गिरजा न आने पर अभियोग चलाने तथा मारने पीटने की धमकियां देते हैं, तथा निर्धन और मूढ़ व्यक्तियों को ऋण दे कर तथा ईसाई बन जाने पर ऋण की चुकती कर देने के प्रलोभन देते हैं। वे पुरानी प्रथाओं के विरुद्ध प्रचार करते हैं और भारतीयों को असभ्य कह कर यहां के धर्म के प्रति घृणा की भावना फैलाते हैं। अपने धन धान्य का प्रदर्शन कर के, बच्चों को स्कूल में भर्ती कर के उन के ईसाई नाम रख कर, भुखमरी और बाढ़ आदि संकट काल में अनाज धन और कपड़ा आदि की सहायता दे कर वे लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। वे लोगों को नौकरी दिलाने का प्रलोभन दे कर भी ईसाई बनाने का प्रयत्न करते हैं :

महात्मा गांधी ने कहा था यह कि धर्म प्रचारक लोगों की निर्धनता और जड़ता का अनुचित लाभ उठा कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को बाध्य करते हैं। उन्हों ने यह भी कहा था कि यदि ईसाई धर्म प्रचारक शताब्दियों से चले आने वाले भारतीय ढांचे को नष्ट न करते हुए अपना मानवीय कार्य करें, तो बहुत अच्छा होता और उत्तम काम कर सकते।

पिछड़ी श्रेणियों के अन्यथा सेवक श्री ठक्कर बापा ने भी यह कहा था कि जबलपुर ईसाई मिशन के मंत्री ने भी यह बात मानी थी कि उन का भारत आने का उद्देश्य लोगों का धर्म परिवर्तन करना था।

कुछ स्थानों में धर्म प्रचारकों ने गांवों के मन्दिरों को गिरा कर उन के स्थान पर इसाइयों के गिरजाघर बना दिये।

यह वास्कम पिकेट की एक पुस्तक है। इस में उन्हों नें धर्मप्रचारकों को सलफलताओं, महत्वों, महा परोपकार की कमजोरियों और सम्भावनाओं तथा दैवी कार्य (सामूहिक परिवर्तन) का एक ध्यान देने योग्य विवरण पत्र बताया है। तदोपरान्त, सारे धर्म प्रचारकों ने यथा सम्भव अधिक अस्पृष्यों आंदिम जातियों के व्यक्तियों तथा शूद्रों को अपने प्रभाव में लाने का एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया है :

उन्हों ने नये बने ईसाइयों से कुछ प्रश्न किये हैं और उन के उत्तर पृष्ठ १६३ पर दिये जाते हैं। उत्तरों से पता चलता है कि वे प्रश्न किस प्रकार के थे। उत्तरों के कुछ उदाहरण ये हैं :—

"१. क्योंकि मैं बुराई से परेशान था।

२. हैजा से बचने के लिये।"

यह अजीब सी बात है। यदि हैजा का उपचार अन्य धर्म गृहण करने से हो सकता है, तो औषधियों और अस्पतालों की कोई आवश्यकता न रहेगी। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण हैं।

विधेयक के उपबन्ध साधारण हैं। प्रथम यह है कि कोई भी व्यक्ति धर्मपरिवर्तन की घोषणा किये बिना धर्मपरिवर्तन नहीं करेगा। फिर, धर्मपरिवर्तन के निश्चित दिनांक से एक मास पूर्व सूचना होती है। धर्मपरिवर्तन का कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्राधिकार से, जैसे, जिला अधिकारी, अनुज्ञा अवश्य ले लेनी चाहिये। एक रजिस्टर रखा जायेगा और तीन मास में अनुज्ञाधारी और धर्मग्रहण करने वाला व्यक्ति धर्मपरिवर्तन सम्बन्धी बातें उसमें लिखेंगे। फिर, अवयस्कों के लिये धर्मपरिवर्तन निविद्ध होना चाहिये। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर २०० रुपयों या ३०० रुपयों का दंड लगेगा। यह विधेयक केवल किसी एक धर्म पर ही लागू न होगा अपितु इस देश के सारे धर्मों पर लागू होगा।

मि० पिकेट ने अपने उद्धरण में कहा है कि लोक आन्दोलन में अब तक प्राप्त हुई बड़ी सफलता और हमारी वर्तमान परिस्थितियों से इस विश्वास को प्रोत्साहन मिलता है कि और भी अधिक सफलता हो सकती है। अपने विश्वास के उन्होंने कुछ कारण भी बताये हैं। इन गरीबों और पिछड़े हुए लोगों पर अब भी उनकी आंखें लगी हैं, तैलगू क्षेत्र में अन-ईसाई शूद्र लोग उन लोगों से कहीं अधिक हैं जिन्हो ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और उनमें से अधिकतर लोगों में मित्र और संबंधी ईसाइयों में है। २२ जुलाई १९५५ के 'हिंदुस्तान टाईम्स' का यह एक कटा हुआ समाचार है जिसमें यह उल्लेख है कि डा० आइज़ाक, आंध्र ने लन्दन में "बैपटिस्ट ब्लर्ड अलाऐंस कांग्रेस' से कहा था कि भारत में अंग्रेजी की समाप्ति से बैयस्टि मिशन के कार्य को नया प्रोत्साहन मिला है। उन्हों ने कहा था कि उच्च जातियों के लोग अधिक से अधिक संख्या में ईसाई हो रहे हैं। डा० बेरियर एलबिन, जो पश्चिमी देशों के नागरिक हैं, कहते हैं कि छोटा नागपुर आदि, में आदिम जाति के हजारों लोग ईसाई बना लिये गये हैं, और वर्तमान प्रगति जातिसे कुछ वर्षों में ही समूची आदिम जाति जनसंख्या ईसाई बना ली जायेगी और यह अक्रमणात्मक राष्ट्र-विरोधी अल्प संख्या होगी। यह बात १९४४ में लेखबद्ध की गई थी और हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व अधिकरण में यह कहां तक सच सिद्ध हुई है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की नैतिकता से किसी का संबंध नहीं है, तो गिरजा घर में या मस्जिद में या मन्दिरों में पूजा करने का ढ़ंग एक थोथा सिद्धान्त है। यदि राजनीतिक क्षेत्र में सह-अस्तित्व हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि इस देश में सारे धर्मों में सह-अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। आजकल भारत में ३२ देशों के धर्म प्रचारक कार्य कर रहे हैं। भारत में भारतीय ईसाइयों का कोई भी मिशन स्वतन्त्रता रूप से कार्य नहीं कर रहा है। वे सब विदेशों से सम्बद्ध हैं। क्योंकि धन विदेशों से आता है। उदाहरणार्थ, मिस्र में प्रतिबन्ध है, अन्य देशों में भी धर्म परिवर्तन की कार्यवाहियों पर बड़े बन्धन हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री उइके : (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं श्री जेठालाल जोशी के विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और उनको इस तरह का बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं । उन्होंने जो यह बिल रक्खा है, उसका मैं पूरी शक्ति से के साथ समर्थन करता हूं । हमारी तो आज से नहीं बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऐसा कोई बिल इस पार्लियामेंट के सामने आये, किन्तु हम में इतनी पार्लियामेंटरी बुद्धि न होने के कारण हम खुद इस काम को न कर सके और यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे श्री जेठालाल जोशी इस तरह का विधेयक इस संसद् में लाये हैं और इस अवसर पर मैं समझता हूं कि हम अपनी कुछ कहानी आपको सुनायें ।

श्री जेठालाल जोशी के भाषण में और उन्होंने जो उद्धरण दिये उनसे यह आपको विदित हो गया होगा कि यह जो सारे धर्म परिवर्तन हुए हैं, उनका असर ज्यादातर हमारे आदिवासियों पर ही पड़ा है और हमारे काफी भाइयों का धर्म परिवर्तन हुआ है क्योंकि अपने देश में आदिवासी ही ऐसे भोले भाले हैं जो बहकावे में आ जाते हैं, वे धर्म शब्द को ही नहीं जानते कि धर्म क्या चीज़ है । अगर किसी भी आदिवासी के पास आप जाइये और उससे आप पूछिये कि तुम्हारा धर्म क्या है तो वह नहीं बता सकेगा कि उसका धर्म क्या है, वह धर्म जैसी चीज़ को नहीं समझता, वह अगर समझता है तो अपनी संस्कृति को समझता है, और उसकी समझ में अपने देवी देवता की पूजा, अर्चा करना ही उसका धर्म है । उसकी जो जाति है वह उसका धर्म है और अगर उसका नाम उसकी जाति में न लिख कर किसी दूसरी जाति में लिखा जाय तो वह समझता है कि उसका धर्म चला गया । अगर उसके रहन सहन में कोई बाधा डाले तो वह समझता है कि उसका धर्म चला गया, अगर उसके देवी, देवता की पूजा, अर्चा करने में कोई फेर बदल कर दे तो वह समझता है कि मेरा धर्म चला गया और अगर किसी ने उसके पानी को छू लिया या खाने को छ दिया तो वह समझता है कि उसका धर्म चला गया । उसका धर्म इस आचार विचार में है, बाक़ी धर्म शब्द का क्या अर्थ है, इसको वह नहीं जानता । अब मैं आपको बतलाऊं कि जिस हिन्दू जाति के आदिवासी एक अंग हैं, वे हिन्दू महादेव को मानते हैं और आदिवासी भी बड़े देव को मानते हैं, महादेव को वे बड़ा देव कहते हैं, महा माने बड़ा होता है और महा से मोटा भी समझा जाता है । अब अगर बड़े और मोटे देव को उनसे कहा जाय कि महादेव कहो तो वह समझेंगे कि यह कोई दूसरी चीज़ हमारे सामने ला रहे हैं, महा शब्द का अर्थ बड़ा है, यह उनको मालूम नहीं है । वे महादेव को किसी द्वेष भावना से अस्वीकार नहीं करते बल्कि वास्तव में उनको महा शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है और वे समझते हैं कि यह किसी दूसरे देवता की पूजा करने को कहते हैं और ऐसा कह कर यह मेरी जाति लेना चाहता है । आदिवासियों ने हज़ारों वर्षों से अपना ख़ून बहाया पसीना बहाया हजारों मुसीबतें भोगीं हैं और अपनी पूजा, अर्चा, संस्कृति और आचार, विचार तथा सच्चाई और इमानदारी बचाने के लिए वे पहाड़ों में जाकर रहने लगे हैं । आज उनमें इतनी शक्ति और योग्यता नहीं है कि वह अपनी बातें आपके सामने पेश कर सकें किन्तु इन भोले भाले लोगों की निष्कपट वाणी निकली हुई बातें सबल तथा मर्म भरी होती हैं तथा दिल को हिला देती हैं । आज यह आदिवासी पहाड़ों और जंगलों में कष्टमय जीवन बिता रहे हैं जहां उनकी आर्थिक अवस्था बड़ी दर्दनाक है लेकिन वे अपनी संस्कृति और अपनी पूजा, अर्चा की रक्षा करते हुए वहां इस तरह का जीवन बिता रहे हैं और इतनी कठिनाइयों के बावजूद प्रसन्न चित्त हैं और कोई चिन्ता नहीं करते, उनको चिन्ता अब व्यापती है जब कोई उनकी पूजा, अर्चा,

विधेयक

और रहन सहन में फेर बदल करे और तब वह समझते हैं कि उनका सर्वस्व लुटा जा रहा है।

यहां पर मैं मध्यप्रदेश के ३२ लाख गोंड आदिवासियों की भावना प्रकट कर रहा हूं। हालांकि मैं गोंड आदिवासी हूं लेकिन चूंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र के गांव में हुआ था और मैं चंदन आदि लगाया करता था और पढ़ा लिखा होने के कारण मैं कोट कमीज पतलून आदि पहनता था तो मेरे प्रान्त के भाई लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं था कहते थे कि तुम तो हिन्दू हो, चंदन लगाते हो, मैंने उनको बतलाया कि भाई मैं तो गोंड भाई हूं और बड़े देव की पूजा करता हूं लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहने लगे कि तुम्हारी वेष भूषा तो हिन्दुओं की जैसी है तब और कोई चारा न देख कर मैंने चंदन लगाना बन्द कर दिया और पूछा भाई, अब मैं कौन हूं ? अब तुम मुझे आदिवासी भाई समझो और अपने साथ में लो। उन्होंने कहा, अभी भी तुम हम से अलग हो। तब मैंने मुर्गियां पालीं। जब मैंने यह किया तो उन्होंने समझा कि यह जरूर आदिवासी है, मुर्गियां पालता है। लेकिन इस पर भी पांच साल तक उन्होंने मेरे हाथ का पानी नहीं पिया और न अपने ही हाथ का पिलाया। उन्होंने कहा कि भले ही तुम मुर्गी पालते हो, लेकिन हम तुम्हें गोंड मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हम न अपनी जाति देना चाहते हैं और न तुम्हारी जाति लेना चाहते हैं, इसलिये न हम तुम्हारे हाथ का पानी पियेंगे और न अपने हाथ का पानी तुम को पिलायेंगे। कितने अच्छे और सुन्दर भाव हैं ? दूसरे की जाति भी नहीं लेना चाहते और अपनी जाति भी नहीं देना चाहते। ऐसे सीधे सादे और भोले लोगों को समझाने के लिये, यह साबित करने के लिये, कि मैं गोंड हूं, मुझे पांच साल का समय लगा और बड़े परिश्रम से उन की समझ में आया। मुझे दो तीन जिलों के गोंड आदिवासियों को अपने साथ लेकर पांच साल तक घूमना पड़ा, अपना रहन सहन बदलना पड़ा, उनके अनुसार अपना रहन सहन करना पड़ा, पुराने ढंग के कपड़े पहनने पड़े। तब कहीं जाकर वह मुझ को गोंड मानने के लिये राजी हुए। ऐसे सीधे सादे लोगों के बीच में हमारे ईसाई भाई उनकी सेवा करने जाते हैं, दवायें लेकर जाते हैं। बहुत से शहर के लोग कहते हैं कि ईसाई लोग आदिवासियों के ऊपर बड़ा उपकार करते हैं, बड़ी कीमती कीमती दवा लेकर पहाड़ों में जाते हैं। आप अगर गवर्नमेन्ट की तरफ से जांच करवायें तो पता चलेगा कि जितने दवाखाने सरकार न आदिवासियों के इलाकों में खोले हैं सब बन्द पड़े हैं। आदिवासी दवाखानों से कोई दवा नहीं लेना चाहते। वह अपनी जड़ी बूटी पर भरोसा करते हैं, दवा की गोली भी नहीं चाहते। इन आदिवासियों के बीच में कुछ ईसाई मिशनरी कीमती कोमती दवाईयां चीजें लेकर गये। उन से भले ही कुछ न होता हो, लेकिन आपको कहने के लिये हो जाता है कि वह लोग हमारे बीच में जाकर बड़ी सेवा कर रहे हैं। जो आज आदिवासियों में जाकर उन को शिक्षित कर रहे हैं और उनका सुधार कर रहे हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर इसी तरह से उनको हमारी सेवा करनी है तो हमें सहायता करने के बजाय हमारा शोषण करना छोड़ दें। अगर वह ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आदिवासियों पर उनका बड़ा भारी उपकार हुआ। यह ईसाई मिशनरी हमारे रहन सहन, आचार विचार और पूजा अर्चा का शोषण कर हमारी सच्चाई और ईमानदारी का नाश कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि १९४२ में जिस वक्त सारे हिन्दुस्तान में लोग देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे, उस समय मालूम नहीं क्या हुआ, कौनसी राजनीतिक घटना हुई कि रोमन कैथोलिक मिशन ने बहुत जोरों से आदिवासियों के बीच में धर्म प्रचार करना शुरू किया। उनका तरीका क्या था ? सन् १९४२ में जब सब लोग हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में लग हुए थे, सन् १९४२

[श्री उइके]

में उस वक्त यह ईसाई आदिवासी इलाकों में पहुंच गये, और उस वक्त की गवर्नमेन्ट ने उन को इस की इजाजत भी दे दी। मैं मंडला जिले की कहानी बताता हूं। वहां २००, २५० मदर्से खुले। वह मामूली मकानों में थे, लेकिन उनके लिये २०–२० २५–२५ रुपये किराये दिये जाते थे, लेकिन वह बच्चों के पढ़ने के मदर्से नहीं थे, वह चर्च थे। जो स्कूल थे उनमें फादर रहा करते थे, फादर को पादरी कहा जाता है। वहां के आदिवासी पादरी का नाम सुन कर डर जाते थे, वह जानते थे कि पादरी ईसाई होते हैं, और उनके गांव में आ जाने से गांव भ्रष्ट हो जायेगा। गिर्जाघर के नाम से वह समझ जाते थे कि यह वही जगह है जहां ईसाई बनाते हैं। वहां के लोगों के लिये पादरी का नाम बड़े भय का नाम माना जाता था। इसलिये यह रोमन कैथोलिक लोग वहां गये और उन्होंने २००—३५० मदर्से खोले। इन लोगों ने वहां जाकर कहा कि हम पादरी नहीं हैं, हम स्वामी हैं। हमें स्वामी कहो। उनके साथ रांची से उरांव, मुंडा पहाड़ी ईसाई भी आये हुए थे, वह भी उन्हें स्वामी ही कहते थे। हम ईसाई नहीं हैं, हम रोमन कैथोलिक हैं। वहां के लोगों को कैथोलिक शब्द का अर्थ नहीं मालूम था। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि यह ईसाई नहीं हैं जिन से हम डरते हैं, यह तो कैथोलिक हैं। और यह गिरजाघर नहीं हैं, यह तो हमारे बच्चों के पढ़ाने के लिये मदर्से हैं। साथ ही कैथोलिकों ने यह भी बताया कि तुम्हारी जाति हम कभी नहीं बदलेंगे, हम तुम को अपने हाथ का खाने पीने के लिये नहीं कहते हैं, न हम तुम को अपना खाना पीना देते हैं, हमें तो सिर्फ तुम अपने गांव में रहने दो। तुम अपनी जातें बनाये रहो, सिर्फ अपने लड़कों को हमारे यहां पढ़ने के लिये भेजो। हो गया। जगह देदी, जिन लोगों को मकानों के लिये २ रुपया किराया नहीं मिलता था उन को उस के लिये २० और २५ रुपये मिलने लगा। गांव का जो मुखिया हुआ करता था, मान लीजिये किसी गांव में १०० घर हैं, वह १०० घर जिस एक आदमी को अपना मुखिया बना लेते थे, उस के ही कहने पर चलते थे, उस मुखिया को, वह पादरी लोग अपने वश में कर लेते थे। उन मुखियों के ऊपर उन पादरियों न लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिये। कुछ भी काम न करतें हुए, उस को उन्होंने १०० रु०, २०० रु० महीना देना शुरू किया, सिर्फ इस लिये कि वह गांव का मुखिया था और उस के कहने से गांव के लड़के मदर्से में पढ़ने के लिये आये। जब वह लड़के मदर्से जातें थे तो उन को गणेश का 'ग' नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि पहले दिन से ही उन को ईसाई धर्म की आयतें पढ़ाई जाती थीं। जो आदिवासी हमेशा से जय राम जी की कहते हैं उन्हें जय ईसू कहना सिखाया जाता था, जिन के चोटी होती थी, उन की चोटी काटी जाती थी और गले में पहनने के लिये मरियम के बिल्ले बांटें जाते थे। जितने लड़के पढ़ते थे, अगर वह जय ईसू कह देते थे तो उन को मिठाई बांटी जाती थी, कपड़े दिये जाते थे। जो आदिवासी होते थे उन को जानवरों का शिकार करके दिया जाता था और साथ में दारू दे दी जाती थी कि लो पियो। इसी तरह से वे वहां के लोगों को पैसा देने लगे इस शर्त पर कि वह अपने लड़कों को पढ़ने के लिये मदर्से भेजें। वह कहते कि अगर तुम लड़कों को पढ़ने के लिये भेजोगे तो ब्याज छोड़ देंगे और कुछ दिनों के बाद अगर लड़का जय ईसू कहने लगेगा तो असल भी छोड़ देंगे। इस प्रकार से अनेक तरह से प्रलोभन देकर के और किसी किसी को धमकी भी देकर कि हमारा राज्य है, ईसाइयों का राजा है, हम तुमको जेल में डाल

देंगे, तुम्हारा घर फुकवा देंगे, उन लोगों को ईसाई धर्म की ओर घसीटा जाने लगा। इस प्रकार से नाना तरीकों से काम लिया गया और जहां पर जय राम जी की हुआ करती थी, वहां पर जय ईसू होने लगी।

मैं आज उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हालांकि कई बातों में उस का और मेरा पूर्व और पश्चिम का सम्बन्ध था, लेकिन फिर भी मैं उस डाक्टर वेरियरलबिन को धन्यवाद दूंगा कि उस ने यह पोल खोली कि रोमन कैथोलिक मिशन आदिवासियों का सत्यानाश कर रहा है, और यह उस जगह पर हो रहा है जो आदिवासी क्षेत्र पार्शियली एक्स्क्लूडेड एरिया या एक्स्क्लूडेड एरिया है सन् १९३५ के एक्ट के अनुसार कोई धर्म प्रचार करने वाली संस्था वहां जा कर धर्म प्रचार नहीं कर सकती है। सरकार को जांच करनी चाहिये तो उस को पता चलेगा कि वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार करने वालों के द्वारा आदिवासियों की चोटियां काटी गईं, उन की मरियम के बिल्ले बांटे गये और हर प्रकार से उन को ईसाइयत की तरफ घसीटा गया। इतना ही नहीं वे यह करते थे कि चार मूर्तियां बनाते थे तीन मुर्तियां तो लकड़ी की हुआ करती थीं और एक धातु की होती थी। पहली तीन मूर्तियों में से भगवान शंकर का नाम दिया जाता था, एक का भगवान कृष्ण और एक का भगवान राम। उस के बाद चौथी मूर्ती जो कि किसी धातु की होती थी उस का नाम दिया जाता था भगवान मसीह। धांतु वाली मूर्ती को कोई ऐसा कलर दिया जाता था कि वह पहली तीन मूर्तियों की तरह ही मालूम होती थी। इस के बाद वह देहात के रहने वालों के पास जा कर कहते थे, कि यह भगवान शंकर हैं, ये भगवान राम हैं यह भगवान कृष्ण हैं, और ये भगवान मसीह हैं। अब इन चारों देवताओं को हम आग में डालते हैं जो सच्चा देवता होगा वह रहेगा और जो झूठा होगा वह जल जायेगा। लकड़ी के भगवान राम, कृष्ण और शंकर जल कर राख हो जाते थे और मसीह वैसे के वैसे ही निकल आते थे। क्या भोला आदिवासी उन की इस मक्कारी को समझ सकता था ? जब ये सारी चीजें गवर्नमेंट के सामने पेश की गयीं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन् १९३५ एक्ट के अनुसार उन की सारी ग्रांट बन्द कर दी, और न जाने भीतर से क्या हुक्म दिया कि जितने मदरसे चलते थे वे सब बन्द हो गये, जो बड़े बड़े बंगले बने हुए थे, वे सब बन्द हो गये, एक नार्मल स्कूल जो ८०,००० की ग्रांट से आदिवासियों के लिये बना था वह बन्द हो गया और धीरे धीरे ईसा का जो नाम सुनायी पड़ता था वह बन्द हो गया, बच्चों के गले से मरियम की मूर्तियां गयीं और लोगों की चोटियां भी बढ़ने लगीं। अगर वे लोग धर्म को समझ कर फिर ईसाई हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे यह समझ कर धर्म परिवर्तन करें कि ऐसा करने से उन का आचार विचार सुधरेगा, उन को ईश्वर जल्दी प्राप्त होगा या उन की मुक्ति होगी तो मेरी राय में उनके धर्म परिवर्तन में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो आदिवासी धर्म का नाम तक नही समझते उनको इस तरह चालाकी से दूसरे धर्म में डाल देना तो गलत चीज है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को बन्द कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि सन् १९४७ तक, बल्कि सन् १९५० तक हमारे यहां शान्त रही। लेकिन जब सन् १९५० में २६ जनवरी को हमारा विधान लागू किया गया तो उसमें कहा गया कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है और आदिवासियों के लिए धर्म की कोई पाबन्दी नहीं है। वे किसी धर्म के भी हों वे आदिवासी ही रहेंगे। यह मालूम होने पर फिर ईसाई बनाने का काम शूरू हो गया। अब उन्होंने यह चालाकी की कि जो आदिवासी जिस जाति का था उसको उसी जाति का रहने

[श्री उइके]

दिया, जैसे अगर कोई उराव था तो उसको उराव रहनें दिया, अगर कोई मुंडा था तो उसको मुंडा ही रहने दिया परन्तु उनके नाम बदल दिये । अगर किसी का नाम मान सिंह था तो थामस कर दिया, या अगर कोई राम सिंह था तो उसे मार्टिन कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो सरकार की तरफ से स्कालर शिप मिलतें है हमारी उन्नति के लिए, उनमें से अधिकतर इन ईसाई आदिवासियों को मिल जातें हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बतलाना चाहता हूं। हमारे देश में १ करोड ९१ लाख आदिवासी हैं । तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये स्कालरशिप किस तरह से लोगों को मिलतें हैं । सन् १९५३–५४ में दो विदेशी स्कालर शिप दिये गये मिस ओलिव टिप्पू और श्री फ्रेंकलिन टिरकी को । ये दोनों बिहार के हैं । सन् १९५५–५६ में चार विदेशी स्कालर शिप इस प्रकार दिये गये : १. श्री ए० के० सी० धन, बिहार, २. श्रीमती एलविन गुहा, आसाम, ३. मिस डा० एस० हूरू, आसाम, और ४. डा० मार्टिन एक्का, बिहार । इससे ऐसा मालूम होता हैं कि मानों बिहार और आसाम में ही आदिवासी रहते है और किसी जगह नहीं रहते । ऐसा मालूम होता है कि बाकी जितने प्रदेश है उनमें कोई आदिवासी नहीं है । इस तरह से ये लोग विदेश शिक्षा पाने गये और आदिवासियों के लड़के नहीं जा सके । यही हाल उन स्कालर-शिप्स का हो रहा है जो कि भारत सरकार नें देश में पढ़ने वाले आदिवासियों के लिए दिय हैं । आज इस लिस्ट को देखें तो आपको मालूम होगा कि जो आदिवासी बालक दूसरे इलाकों में पढ़तें हैं उनके नाम हैं अजित सिंह, मधुकर आदि लेकिन जो रांची, मध्यप्रदेश के छात्र रांची के कालेज स्कूल में हैं उनके नाम इस प्रकार हैं : १. एलफोंग कुजूर, २. बूले-सियस एक्का, ३. पोलस लकरा, ४. एलाइस बारा, ५. जान करकेंटा, ६. सेवेस्चियन कजूर, ७. डोमिनिक टिरकी, और ८. लारेंस एक्का । पर इन लोगों की जाति ओराउं ही दिखलायी गयी है । इस तरह से ५९ स्कालरशिप्स में से ३४ इन लोगों को मिल गये हैं और ये रांची कालिज में ही है । ये लोग कन्वर्टेड हैं ये तो इनके नाम से ही मालूम होता है । यह बात आपको जबलपुर, नागपुर और रायपुर के कालेजों में नहीं मिलेगी । वहां पर तो आदिवासी लड़कों के ऐसे नाम हैं, जैसे मधुकर, या अजय धन आदि । इसके विपरीत आप देखेंगे कि जो लड़के रांची कालिज में आदि-वासियों के हैं वे सारे जान मार्टिन आदि हैं । सन् १९४४–४५ से सन् १९५१ तक हमारे यहां यह बात बन्द रही और शान्ति रही लेकिन चूंकि हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि अब यह धर्म निरपेक्ष राज्य रहेगा और आदिवासी चाहे किसी धर्म के हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब से यह काम फिर शुरू हो गया है, जो बंगले खाली हो गये थे वे फिर भर गये हैं और ईसा का जय जय-कार होने लगा है । अब तो वहां यह कहते हैं कि अब जाति पात और छूआछत कोई चीज़ नहीं रह गई है तो आदिवासी समझता है कि अब इस राज्य में कोई धर्म नहीं रहा है और सब धर्मों के आदमी आदिवासी रह सकते हैं । उनसे कहा जाता है कि अगर कोई छूतछात मानेगा तो उसको जेल होगी क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है । ये चीजें उन लोगों के सामने रखी जाती हैं । ये लोग देखते हैं कि ईसाई आदिवासियों के लड़कों को स्कालर शिप मिलते हैं तो वे सोचते हैं कि यदि हम भी अपना धर्म बदल लें तो हमको भी ये सुविधायें मिल सकती हैं ।

आजकल यह होता है कि अगर किसी आदिवासी का लड़का मैट्रिक पास कर लेता है तो आपके क़ानून के अनुसार उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता

है ताकि वह उसकी तस्दीक कर दे। उसके बाद ही उसको नौकरी या स्कालरशिप मिलने में सुविधा मिल सकती है। ऐसा करने में उसे बड़ी मुसीबत होती है। उनकी इस कठिनाई का ये मिशनरी फायदा उठाते हैं। उनके आदमी आदिवासी इलाकों में घूमते रहते हैं, जिनको कि वे तनख्वाह देते हैं वे लोग ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं जिनको कि किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो। वे उनसे पूछते हैं कि तुमको किस तरह की मदद चाहिये और उनको वह मदद देते हैं। अगर उनको पैसा चाहिये तो उनको पैसा देते हैं, और यहां तक करते हैं कि उनको लड़कियां भी देते हैं और इस तरह से उनको प्रलोभन दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप किस तरीक़े से हमारे धर्म परिवर्तन को रोक सकते हैं इस पर विचार करें। मैं यह नहीं कहता कि कोई धर्म परिवर्तन न करे। कोई किसी धर्म को वास्तव में अच्छा समझता है तो वह उसमें चला जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है,लेकिन किसी को लालच देकर या उसकी कठिनाई का लाभ उठाकर ऐसा न कराया जाय। हमारे आदिवासी आज हजारों साल से हिन्दुओं से अलग होकर अपने आचार विचार की रक्षा करते हुये पहाड़ों में रह रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि आज वे सब एक दम ईसू का जय जयकार करने लगते हैं और अपनी चोटी कटाने लगते हैं। क्या ये लोग मैदानों को छोड़ कर जंगलों में सुख के लिये गये थे ? नहीं, वे वहां अपने रहन सहन और आचार की रक्षा करने के लिए गये थे। आज वहां क्या हो रहा है ? हम देखते हैं कि आपका विधान आज हमारा सत्यानाश कर रहा है। अगर आप जाति पांति नहीं मानते तो न मानें, हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन इस ओर तो आप ध्यान दें कि जो कुछ आप हम आदिवासियों की उन्नति के लिए देते हैं वह हमको नहीं मिलता, दूसरे उसे ले जाते हैं।

अभी हमारे यहां नागपुर में ईसाइयों का एक "एन्क्वायरी" नाम का पेपर निकला है। मैंने अपने यहां की सरकार को रिपोर्ट दी थी कि सालेडंडा गांव में आदिवासियों को बहुत सताया जा रहा है। उस पर जांच की गयी। एक गांव में मकान के ईसाई आदिवासी थे और ३७ मकान उस गांव में आदिवासियों के थे। मिशनरी लोग उस गांव में गये और आदिवासियों को रौब जताने लगे। उन्होंने वहां कहना शुरू किया अब जाति पांति नहीं रही है और अगर कोई छूतछात मानेगा तो उसे सजा होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई आदिवासी लोग आदिवासियों की शादी आदि में उनका खाना छू लेते थे और उसको खराब कर देते थे। इस प्रकार जब उनको बहुत कष्ट हुआ तो वे गांव छोड़ने लगे। उस समय मेरे पास कुछ आदमी आये। मैंने मुख्य मंत्री से शिकायत की और उन्होंने जांच करवाई। दो डिप्टी कमिश्नरों ने जांच की और उनको मालूम हुआ कि आदिवासियों के देवी देवताओं को उठाकर फैंक दिया गया था और कई मर्तबा शादी आदि में उन का खाना बरबाद कर दिया गया था और लोगों को भूखा वापस जाना पड़ा था। यह सरकारी जांच का नतीजा निकला। अब हमारे पास तो पैसा नहीं है जो मुकदमा चलायें। इन मिशनिरियों के पास बहुत पैसा है। ये प्रचार कर सकते हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। और हर तरह से अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं। इन्होंने अभी "इन्क्वायरी" पेपर निकाला है उसमें जसपुर के ट्राइबल्स के बारे में पेपर नं० २ सफा ५ पर लिखा है कि दो साल में २० हज़ार आदिवासी ईसाई हो गये। इसमें इस प्रकार लिखा है : १९०७ के बाद २ या तीन वर्षों में या सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना थी, दो वर्षों में लगभग २० हजार व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन जब इन मिशनरियों को यह मालूम हुआ

[श्री उइके]

कि इस मामले की चर्चा मेम्बर लोग पार्लियामेंट में करने लगे हैं तो उन्होंने लिखा कि यह २० हजार लोग हिन्दुओं से परेशान होकर उनके पास ईसाई होने गये थे और ये लोग समझते थे कि ऐसा करने से इनका आचार विचार अच्छा होगा। यह कहा गया है कि ये लोग हिन्दुओं से मुक्ति पाने के लिये पादरियों के पास गये थे। उनसे पादरियों ने उस समय यह कहा बतलाया जाता है कि अगर तुमको ईसाई बनना है तो हम तुमको ईसाई कर लेंगे लेकिन हम तुमको किसी तरह की सुविधा नही दे सकते, हम तुमको कोई खास सहायता नहीं कर सकते हैं। शायद सब माननीय सदस्यों को इस पत्र की प्रतियां भेजी गयी हैं। ऐसा शायद इसलिये किया गया कि लोक-सभा के बहुत से माँननीय सदस्यों को आदिवसियों के धर्म परिवर्तन के असली कारण मालूम नहीं रहते हैं, उन्हें मिशनरियों का धर्म परिवर्त्तन करने का काम निर्दोष दिखे।

मैं पार्लियामेंट के सदस्यगण जितने माननीय हैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई जो हज़ारों सालों से पहाड़ों और जंगलों में रह रहे हैं और किसी प्रकार अब तक हिन्दू धर्म के एक अंग बने हुये हैं और अपनी संस्कृति और रहन सहन की रक्षा करते आये हैं, उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये और साथ ही यह भी सावधानी बर्तनी चाहिये कि कहीं वह बहका कर और फुसला कर ईसाई या और धर्म में तबदील तो नहीं किये जा रहे हैं और ऐसा न हो कि वे अपने हिन्दू भाइयों से इतने परेशान हो जायें कि वे अपना धर्म तबदील करने पर विवश हो जायें और ईसाई बन जायें। हमें इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना है और इस अपने अंग को अपने से अलग नहीं करना चाहिये। हमारे देहातों में जो भाई रहते हैं वे बहुत भोले और अपढ़ हैं और चूंकि आज उनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही शोचनीय है, इसलिये ईसाई मिशनरीज़ उनको सब्ज़ बाग़ दिखा कर और धन का लालच देकर उनको ईसाई बनाने का प्रयत्न करते हैं और इस वास्ते यह जो धर्मपरिवर्तन के रजिस्ट्रेशन का विधेयक लाया गया है उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने हिन्दू भाइयों से अपील करूंगा कि अगर आपको इन १ करोड़ ६१ लाख आदिवासियों को अपने में बनाये रखना है तो आपको उसके लिये अभी से आवश्यक कार्यवाही करनी होगी और उनकी दशा सुधारने की ओर ध्यान देना होगा।

अभी थोड़े दिन हुये हमारे उपगृह मंत्री महोदय ने यह कहा था कि विधान के अनुसार आदिवासी धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आदिवासी रहेगा और उससे कोई फर्क नहीं आयेगा तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि आदिवासी इन बातों को नहीं समझते और उनको मंत्री महोदय के इस स्टेटमेंट से बड़ी निराशा हुई है और वह ऐसा महसूस करने लगे हैं कि उनका कोई मां, बाप नहीं है और वे ऐसा समझेंगे कि चलो अब तो सब धर्म एक हैं फिर ईसाई क्यों न बन जाओ, वहां बच्चों की पढ़ाई का भी माकूल इन्तजाम हो जायेगा, नौकरी भी आसानी से मिल जायेगी और ईसाई बनने से पैसा भी मिलेगा। मुझे डर है कि अगर उनको रोका न गया तो सारे आदिवासियों को ईसाई बनते पांच या दस साल से अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि आज वे बिलकुल उपेक्षित पड़े हैं और बावजूद इसके कि हम जो उनके प्रतिनिधि लोग हैं यहां पर काफी समय से उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को पेश करते रहे हैं और सरकार का उनकी ओर ध्यान दिलाते रहे हैं लेकिन उनकी जैसी हालत थी, वैसी बनी हुई है और इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया

है और हो सकता है कि उनमें इससे इतनी निराशा का भाव भर जाय कि वे हिम्मत छोड़ दें और ईसाई बनना शुरू कर दें और यह चीज़ यदि है ऐसा हुआ तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । इसलिये मैं तो हाउस के तमाम लोगों से चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों या इसाई भाई हों अपील करूंगा कि यह इंसानियत का तकाजा है कि जो दुखी हैं और मुसीबत में जकड़े हुए हैं उनकी मदद की जाय और उनकी अवस्था में सुधार करने का प्रयत्न किया जाय । सच्चा मानव धर्म यही है कि बिना किसी प्रकार के राजनीति स्वार्थ के या और किसी स्वार्थ के हर एक धर्मावलम्बी को इन मुसीबत जदा और पिछड़े हुये अभागे आदि भाइयों की सहायता करनी चाहिये और उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री जी० एच० देशपांडे : इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सभा में प्रस्तुत करने के लिये मैं अपने माननीय मित्र श्री जेठालाल जोशी को बधाई देता हूं । मैं उनमें से एक हूं जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं । मैं चाहता हूं कि भारत में धर्म के कारण नागरिकों में भ्रम न हों । इसके साथ ही मैं इस मानव कल्याण कार्य का महत्व भी कम करना नहीं चाहता जो अनेकों ईसाइयों ने इस देश में किया है । परन्तु इसके साथ ही मैं आपके और इस सभा के द्वारा संसार के समस्त धर्मप्रचारकों से कहना चाहता हूं कि वे यह महसूस करें कि अब भारत एक स्वतन्त्र देश है । हम स्वाभिमानी लोग हैं । इसमें सन्देह नहीं कि हम में ऐसे भी लोग हुये हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों में मेहनत करते रहे हैं, परन्तु क्या हम उनका रुचि रखने वाले लोगों द्वारा शोषण होने दें ? क्या वे मानव नहीं हैं ? यदि आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो अवश्य उनकी सेवा करें । परन्तु आप धर्म परिवर्तन का यह मामला सेवा से क्यों मिलाते हो ? सेवा शुद्ध होनी चाहिये । परन्तु हम विगत आठ वर्षों में देखते क्या हैं ? श्री जेठालाल जोशी ऐसे व्यक्ति हैं जो बेकार ही किसी की आलोचना करना नहीं चाहते । अनाधिकारपूर्ण वह कभी नहीं बोलेंगे । अतः आपके द्वारा मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे माननीय मित्र श्री जेठालाल जोशी के भाषण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें ।

हम ईसाई संसार में कोई भ्रम उत्पन्न करना नहीं चाहते । हम प्रत्येक के साथ मित्रता के सम्बन्ध रखना चाहते हैं । सम्भव है कि कुछ इस विचार विमार्श से भ्रम उत्पन्न हो जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये । यहां ईसाइयों के विरुद्ध कोई बात नहीं है । यहां विदेशों के ईसाई धर्म प्रचारकों का भी स्वागत है । परन्तु वे राजनीति में टांग क्यों अड़ाते हैं ? इस धर्म परिवर्तन के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है । हमारा संदेह यह है कि कुछ साम्राज्यवादी देश हैं जो आज भी साम्राज्यवाद के स्वप्न देखते हैं। कदाचित उनका विचार है कि एक पाकिस्तान बना, तो भारत में एक 'ईसाई क्षेत्र' क्यों न बने ? वे यह देखना चाहते हैं कि भारत राजनीतिक दृष्टि से प्रगति न कर सके । हम जो प्रगति कर रहे हैं उससे वे प्रसन्न नहीं हैं। अतः इसमें राजनीतिक उद्देश्य हैं । क्या हम सबका यह कर्तव्य नहीं है कि हम इसे रोकें ? और विशेषकर मैं इस देश के ईसाइयों से निवेदन करता हूं । इससे ईसाईपन को केवल हानि ही होगी, लाभ कुछ न होगा । मैं इस सभा और आप द्वारा ऐसे कार्य करने वालों से यह कहना चाहता हूं कि उन्हें कुछ लाभ न होगा । वे अपनी आंखें खोलें । अब भारत १९४७ के पहिले का भारत नहीं है । यदि कुछ मित्र हमारी धर्म निरपेक्षता का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें यह अवश्य महसूस करना चाहिये कि इस स्वाभिमानी देश में

[श्री जी० एच० देशपांडे]

यह सहन न किया जायेगा । अब तक हम धर्म निरपेक्षता पर अडिग हैं ।

कोई प्रगतिशील राष्ट्र केवल यही तो कर सकता है । हम भी आत्म सम्मान रखते हैं । हमारा एक आदरणीय राष्ट्र है । यहां कोई भी व्यक्ति आकर खुले आम धर्म परिवर्तन के लिये प्रचार कर सकता है । किन्तु ऐसा कार्य करने वालों को गुप्त और नीच उपाय नहीं बरतने चाहियें । यह नहीं कि वह किसी व्यक्ति को औषधि देकर अथवा पढ़ाई के लिये कुछ पैसे देकर बदले में उसे ईसाई बनने के लिये कहें । यह बातें ईसाई धर्म को शोभा नहीं देती हैं । उन्हें दृढ़ता से खुल कर लोगों के समक्ष यह सिद्ध करना चाहिये कि सचमुच ईसाई धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है । अगर किसी को धर्म परिवर्तन के लिये कहना है तो उसे डंके की चोट से मैदान में आना चाहिये । इसके लिये हम उनका स्वागत करते हैं । सरकार उन्हें ऐसे प्रचार के लिये छूट दे किन्तु चालाकियों के लिये नहीं ।

हमें अपनी जनता की निर्धनता भी दूर करनी चाहिये ताकि कोई भी उनकी हीन अवस्था का अनुचित लाभ न उठा सके । मैं स्वयं अपने ज़िले की कुछ आदिवासी बस्तियों में गया था । हमने वहां पर इन सब चीज़ों को देखा है । अब हमारे कार्य तथा प्रचार के कारण ईसाइयों की चालाकियां वहां नहीं चल सकती हैं । वे वहां से भाग गये हैं । यह विधेयक मानव की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिये है अतः मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम): अभी जो भाषण हुये उनको सुन कर मेरे हृदय में यह भावना है कि जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया गया है, उस के पीछे बहुत अच्छे कारण हैं । इस पर हमारे उपमंत्री जी, जो यहां उपस्थित हैं क्या करेंगे, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन से, उनकी गवर्नमेंट से तथा यहां के सदस्यों से मेरा तो यह कथन है कि जो कारण बताये गये हैं उन कारणों के अतिरिक्त हम सबों को कुछ और भी इन मिशनरी पादरियों का अनुभव है । उन सब बातों को जानते हुये, उन का अनुभव करते हुये, यह उचित है कि हम इस प्रकार से अपने देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों द्वारा दूसरे धर्मों में जाने से बचावें ।

यह ठीक है कि हमारे संविधान में इस बात की छूट है कि जो पुरुष या नारी किसी दूसरे धर्म में जाना चाहती हैं वह जा सके, साथ ही दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार का भी अवसर हमारे यहां दिया गया है । साथ ही संविधान का यह भी अभिप्राय है कि यहां भी हमें यह दिखाई पड़े कि इस धर्म परिवर्तन के पीछे छल कपट है उसे हम रोक सकते हैं । किसी गवर्नमेंट को जिस में नैतिकता का आदर है, जो डरपोक नहीं है, किसी दूसरे देश से डरती नहीं है, इस प्रकार की अनुचित बातें सहन नहीं करनी चाहियें । हमें इस विषय के भीतर घुस कर, जो ऐसे बुरे मार्ग हैं लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के लिये, उन को रोकना है ।

डा० एल्विन ने जो बातें कई वर्ष पहले अपने अनुभव से लिखी थीं, उन को हम लोग पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं और इधर भी हम सदस्यों को एक पुस्तिका बांटी गई है, जिसको देखने का मुझे अवसर मिला । वह बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है । डा० एल्विन का जो अपना अनुभव है इन मिशनरियों के बारे में, उस से यह प्रकट है कि यह लोग जो काम करते हैं, उन में से कुछ अच्छे लोग भी हैं, सज्जन भी हैं, लेकिन उन में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ईसाई बनाने के लिये छल कपट का सहारा लेते हैं ।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि वह आदिवासी हैं। आदिवासियों में ईसाई मिशनरी किस तरह से काम कर रहे हैं, यह उन्होंने बताया। अपने को स्वामी बताना, जैसा उन्होंने कहा कि ये स्वामी बन कर जाते हैं, इस का क्या अर्थ है ? मैं ने भी पहले देखा था कि एक दूसरी संस्था के लोग थे, सैल्वेशन आर्मी के लोग, वह भी साधू का वेश रख कर जाते थे, जैसा हमारे यहां साधू सन्यासी हुआ करते हैं, उसी प्रकार वह भी गांव गांव का दौरा करते थे। इस में सन्देह नहीं कि वह यह सब काम सेवा के रूप में करते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, जहां हमारे आदमियों का जाना कठिन होता है। वह लोग शिक्षा भी देते हैं, हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से वह पैसा बांटते हैं, लेकिन इस सब का असली तात्पर्य यह होता है कि वह किसी तरह से लोगों को इसाई बना सकें। डा० एल्विन ने अपने वक्तव्य में बहुत बल के साथ कहा है कि यहां यह ईसाई जो बातें कर रहे हैं वह दूसरे देशों में बाहर के लोग नहीं कर पाते। उन्होंने हालैंड की मिसाल दी और बताया कि यहां पर डच मिशनरी बहुत फैल रहे हैं और घुसे हुये काम कर रहे हैं, वे स्वयं हालैंड में वे बातें नहीं कर सकते जो यहां करते हैं यह छल कपट का रास्ता हमें बन्द करना है। डा० एल्विन ने जो अपना वक्तव्य शायद सन् १९४४ या १९४५ में लिखा था मुझे ठीक याद नहीं है। उस समय उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया था कि जब इस देश की अपनी गवर्नमेंट आयेगी तब वह इन बातों को रोकेगी और जो बातें आज हो रही हैं उन की अनुमति कभी नहीं देगी। आज मुझे ऐसा लगता है कि इन पादरियों के काम में हमारी स्वतन्त्रता के आने के बाद भी छल कपट बन्द नहीं हुआ और ईसाई होने वालों की संख्या बढ़ती जाती है।

इसका यह कारण नहीं है कि जनता में कोई धर्म परिवर्तन की लालसा बढ़ती जाती है। असल बात यह है कि ये मिशनरी इन लोगों की गरीबी का बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। हमारा देश गरीब है,आदिवासी भी गरीब हैं और हरिजन भी गरीब हैं। इन आदिवासियों और हिरजनों की गरीबी का ये लोग बेजा फायदा उठाते हैं। अभी जो भाई जेठालाल जी ने पढ़ा वह मैं ने सुना। उन्होंने बतलाया कि उत्तर प्रदेश में जो चमारों की ५ लाख की बहुत बड़ी संख्या है उस पर इन मिशनरियों की निगाह लगी हुई हैं। वे समझते हैं कि ये हरिजन उनकी खूराक हैं। जेठालाल जी ने और भी समूहों के नाम गिनाये हैं जिन पर इनकी निगाह है और जिनके बारे में इनकी मान्यता है कि ये गरीब लोग हैं, हिन्दू धर्म इनको अच्छा अपनाता नहीं है, तो हम ही क्यों न इनको घसीट कर ले आवें और ईसाई बनावें। मेरा कहना है कि हमें इस बात को रोकना है। हमने हिम्मत करके यह फैसला किया है कि हम अछूतपन बन्द करेंगे और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश में अछूतपन बन्द हो गया। यह ठीक है कि वह नियम द्वारा बन्द किया गया है, और अभी भी कहीं कहीं देंहातों में कुछ बना हुआ है। इसका कारण यही है कि यह बहुत पुरानी प्रथा है एक दम से नहीं जा सकती। लेकिन अब हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह के छल कपट से लोगों का धर्म परिवर्तन न होने दे। इसमें कोई संकुचित धार्मिक भावना की ही बात नहीं है, इसका बहुत गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, यह नहीं भूलना चाहिये। डा० एल्विन ने स्वयं इस बात पर बल दिया है कि जिनका इस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जाता है उन पर दूसरे प्रकार के राजनीतिक असर पड़ते हैं और देश में नये नये प्रकार के अल्पसंख्यक समूह बन जाते हैं जोकि भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारों की मांग करती हैं।

[श्री टंडन]

जो हमारे यहां ईसाई भाई हैं हम उनका आदर करते हैं और जो दूसरे धर्म वाले हैं उनका भी हम आदर करते हैं। हमारा देश तो इस विषय में सदा से बड़ा उदार रहा है। यह खाली सनातन धर्मियों का ही देश नहीं है। यहां सब धर्मों के लोग हैं। हमारे यहां प्राचीन समय से लोग अलग अलग मतों के अनुसार चलते रहे हैं। परन्तु यह उनका स्वतंत्र मत होता था, वे लोग स्वतन्त्रता के साथ इन मतों के अनुसार चलते थे। हमारा तो यह कथन रहा है : "नास्ति मुनिर्यस्य मति, नं भिन्नाई"। यह हमारी दुर्बलता का एक कारण भी हो सकता है, लेकिन यह हमारा बड़प्पन भी बतलाता है कि इस बारे में हमने कोई रोकथाम नहीं की। मुनियों में भी आपस में मतभेद रहा है। स्मृतियों में भी भेद रहा है। इस प्रकार हमारे यहां परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन अपनी संख्या बढ़ाने के लिये, धोखाधड़ी से लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाय और उनको हमारे देश की संस्कृति से अलग कर दिया जाय, तो यह बहुत ही भयावह है और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। यह केवल सामाजिक प्रश्न नहीं है। इसलिये हमको यह उचित लगता है कि इस ओर हमारी सरकार ध्यान दे। यदि इस बिल में हमारे मंत्रियों को कुछ बदलने की आवश्यकता प्रतीत हो तो वे इसमें संशोधन कर सकते हैं। मुझको तो यह बिल बहुत सीधा सादा लगता है। अगर सरकार जरूरत समझे तो कुछ परिवर्तन कर ले।

इस बिल में केवल यह कहा गया है कि यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो पहले वहां के अधिकारी को इसकी सूचना दे दे। अगर वह सचमुच धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिये इस बिल में कोई रोक नहीं है। हां जो लोग छिपकर काम करने वाले हैं उनको यह बात पसन्द नहीं आयेगी। नहीं तो इसमें तो यह सीधी सी बात है कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहे वह पहले से उसकी सूचना दे दे, और जो आदमी धर्म परिवर्तन कराने में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वह पादरी हो या चाहे कोई दूसरा हो, जो इस काम में मदद देना चाहता है कोई किताब पढ़ा कर या कोई रस्म करा के, उस को भी पहले ऐसा करने की अनुमति लेनी होगी। उसको इस बात के लिये आज्ञा लेनी होगी कि वह धर्म परिवर्तन कराने में भाग ले सके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बिल में कोई आपत्तिजनक बात है।

ये पादरी लोग सब पैसे वाले हैं। विलायत से, अमरीका से और दूसरे देशों से इनके पास पैसा आता है। ये लोग इस पैसे का यह उपयोग करते हैं कि हमारे गरीब भाइयों को बहका कर उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। ये लोग इन गरीब लोगों को कुछ धन का फायदा करा देते हैं या पैसा दे देते हैं और इनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। डा० एल्विन ने भी यह लिखा है कि ये लोग उनको कर्ज़ देते हैं और थोड़ी थोड़ी सुविधा देकर धीरे धीरे इनको ईसाई बना लेते हैं। हमको यह बरदाश्त नहीं करना चाहिये कि कोई आदमी आवे और पैसे का लोभ देकर हमारे यहां के आदमियों का धर्म परिवर्तन कर दे। हमारी गवर्नमेंट को इस विषय में सचेत होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह बिल जो उसके सामने पेश है बहुत उचित है। उसकी बातें बहुत सीधी सी हैं। उसमें केवल दो तीन तो बातें ही हैं। एक यह कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहे वह पहले इसकी सूचना अधिकारी को दे दे, दूसरी यह कि धर्म परिवर्तन कराने वाला अधिकारी व्यक्ति हो, अर्थात् राज्य के किसी अधिकारी से उनको यह अधिकार मिला हो कि वह यह काम करा सकता है, तीसरी यह कि जिनका धर्म परि-

वर्तन होता है उनका एक रजिस्टर रखा जाय। यही तीन बातें इस बिल में मुख्य हैं। मैं नहीं समझता कि इनमें कोई ऐसी बात है जिसको अनुचित कहा जा सके। यह सब संविधान के भीतर है। संविधान उनको सुविधा देता है .....

श्री कानावडे पाटिल : भारत में इस समय धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

श्री टंडन : आप कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न तो किसी व्यक्ति के धर्म का है, जिसका हम और आप फैसला नहीं कर सकते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे ईसाई बनना चाहिये, तो आपका यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी हिन्दी समझते हैं। मैं तो आपकी अंग्रेजी समझ गया। तो आपने मुझे अंग्रेजी भाषा में यह समझाया है कि अब धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे कोई प्रश्न हल नहीं होगा। हमने इस विषय में अपने संविधान में छट दे दी है। अगर आप हिन्दू से ईसाई होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात की रोक कर सकते हैं कि आपको कोई छल कपट से, धोखा देकर ईसाई न बनावे।

यह नियम सबके लिये लागू है, केवल ईसाइयों के ही लिये नहीं है। अगर कोई हिन्दू किसी ईसाई को हिन्दू बनाना चाहेगा तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। अगर हमारा कोई हिन्दू धर्म का प्रचार करने वाला जायेगा तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। यह कोई ईसाइयों के लिये नहीं है। कोई धोखाधड़ी नहीं होने दी जायेगी। जिसको हिन्दू होना है वह डंके की चोट हिन्दू होगा, वह कहेगा कि मुझे हिन्दू धर्म स्वीकार है इसलिये मैं हिन्दू होना चाहता हूं। इसी प्रकार जो ईसाई होना चाहेगा वह डंके की चोट ईसाई हो सकेगा। यह आवश्यकता का प्रश्न नहीं है। यह तो अपने अपने मत की बात है। हमारे देश में सदा मत की स्वतन्त्रता रही है, लेकिन हम छल कपट नहीं होने देंगे। छल कपट से छोटे छोटे बच्चों को ईसाई बनाया जाता है। मुझे आशा है कि हमारे उप मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी।

श्री ए० एम० थामस : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। श्री देशपांडे जी ने कहा है कि जिसे धर्म परिवर्तन के लिये प्रचार करना हो उसे डाक्टरों की भांति अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी चाहिये। मेरे विचार में धर्म का प्रचार करने वालों के लिये इससे बढ़ कर लज्जास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है। कार्यवाही को घृणित समझता हूं। मैं नीति की दृष्टि से तीन या चारों आधारों पर ऐसी इस विधेयक का विरोध करता हूं।

यह विधेयक हमारे संविधान के विरुद्ध है और इसे अधिनियमित करने से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं इस आधार पर भी इसका विरोध करता हूं कि अवांछनीय कार्यों को रोकने के लिये सरकार के पास पहले से ही अधिकार हैं। सरकार ने उन अधिकारों का प्रयोग भी किया है जैसा कि गृह मंत्रालय के प्रशासन सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन से ज्ञात होता है।

सार्वजनकि नीति की दृष्टि से भी भारतवर्ष में सदैव से ही धार्मिक निष्पक्षता और सहिष्णुता रही है। जब हमने अपना संविधान बनाया तब भी हमने विचारों की पूर्ण स्वतन्त्रता रखने की घोषणा की थी। इसका हमें गर्व है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : किन्तु दबाव डालने की स्वतन्त्रता नहीं।

श्री ए० एम० थामस : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संसार में कहीं पर भी धर्म परिवर्तन करने वालों को पंजीबद्ध करने की विधि है ?

क्या आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद २५ की क्या पृष्ठभूमि है । उस समय यह प्रश्न उठाया गया था कि धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिये और यदि कुछ व्यक्ति ऐसा प्रचार करते हैं तो उन्हें करने दिया जाये परन्तु संविधान में ऐसा मूल अधिकार न दिया जाये । किन्तु संविधान के निर्माताओं ने फिर भी उस अनुच्छेद को रखा । उन्होंने वहां से शब्द 'प्रचार' नहीं हटाया । उस समय वाद विवाद में भाग लेते समय स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्रा ने कहा था कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में भारतीय ईसाई जाति सब से अधिक शान्तिप्रिय जाति है । वे यहां के लोगों के उद्धार के लिये औषधालयों, शिक्षा संस्थाओं तथा लोक स्वास्थ्य आदि विषयों पर लगभग दो करोड़ रुपया व्यय करते हैं । यदि यही रुपया वे लोगों को ईसाई बनाने में लगाते तो ईसाइयों की संख्या ७० लाख से ७ करोड़ तक बढ़ जाती । उसी अनुच्छेद पर वाद विवाद में भाग लेते हुये श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने ग़ैर-सरकारी सदस्य की हैसियत से कहा था कि इस देश में बहुत से लोगों के ईसाई बन जाने का कारण ईसाई धर्म द्वारा उन्हें दिया जाने वाला दर्जा है । जैसे ही कोई अछूत ईसाई बनता है वह प्रत्येक दशा में उच्च से उच्च वर्ण के हिन्दू के समकक्ष हो जाता है और यदि ऐसा न होता तो कोई ईसाई बनता ही नहीं ।

अब मैं विधेयक के गुणों दोषों की विवेचना करता हूं । मैं पूछता हूं कि जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उसे पंजीबद्ध करने से क्या लाभ है ? जो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है उसका पंजीयन करने से क्या लाभ है ? इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होती है सिवाये पंजीयनमात्र के इस विधेयक से और कोई लाभ नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ४ में धर्म परिवर्तन से पूर्व उसकी सूचना दिये जाने का उपबन्ध है । जिस प्रकार विवाह करने से पूर्व विवाह करने की सूचना दी जाती है उसी प्रकार धर्म परिवर्तन की सूचना भी दी जानी चाहिये ।

श्री ए० एम० थामस : धर्म परिवर्तन की सूचना कौन देगा ? केवल जिसने धर्म परिवर्तन किया है वही सूचना देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का विचार है कि यह सब कुछ बेकार और असंगत है । इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि धर्म परिवर्तन करने वाले को धर्म परिवर्तन करने से पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिये ।

माननीय सदस्य अभी कितनी देर और बोलेंगे ?

श्री ए० एम० थामस : मैं दस पन्द्रह मिनट और लूंगा ।

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा क्रमशः २४ सितम्बर, १९५५ तथा २६ सितम्बर, १९५५ को पारित औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक तथा पुरस्कार पहली प्रतियोगिता विधेयक को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ११ बजे तक के लिये स्थगित होगी और कल सभा सात बजे म० प० तक चलेगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शनिवार १ अक्तूबर, १९५५ के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई ।